खण्ड-254, अंक-10
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(8 मार्च, 1965 ई0)

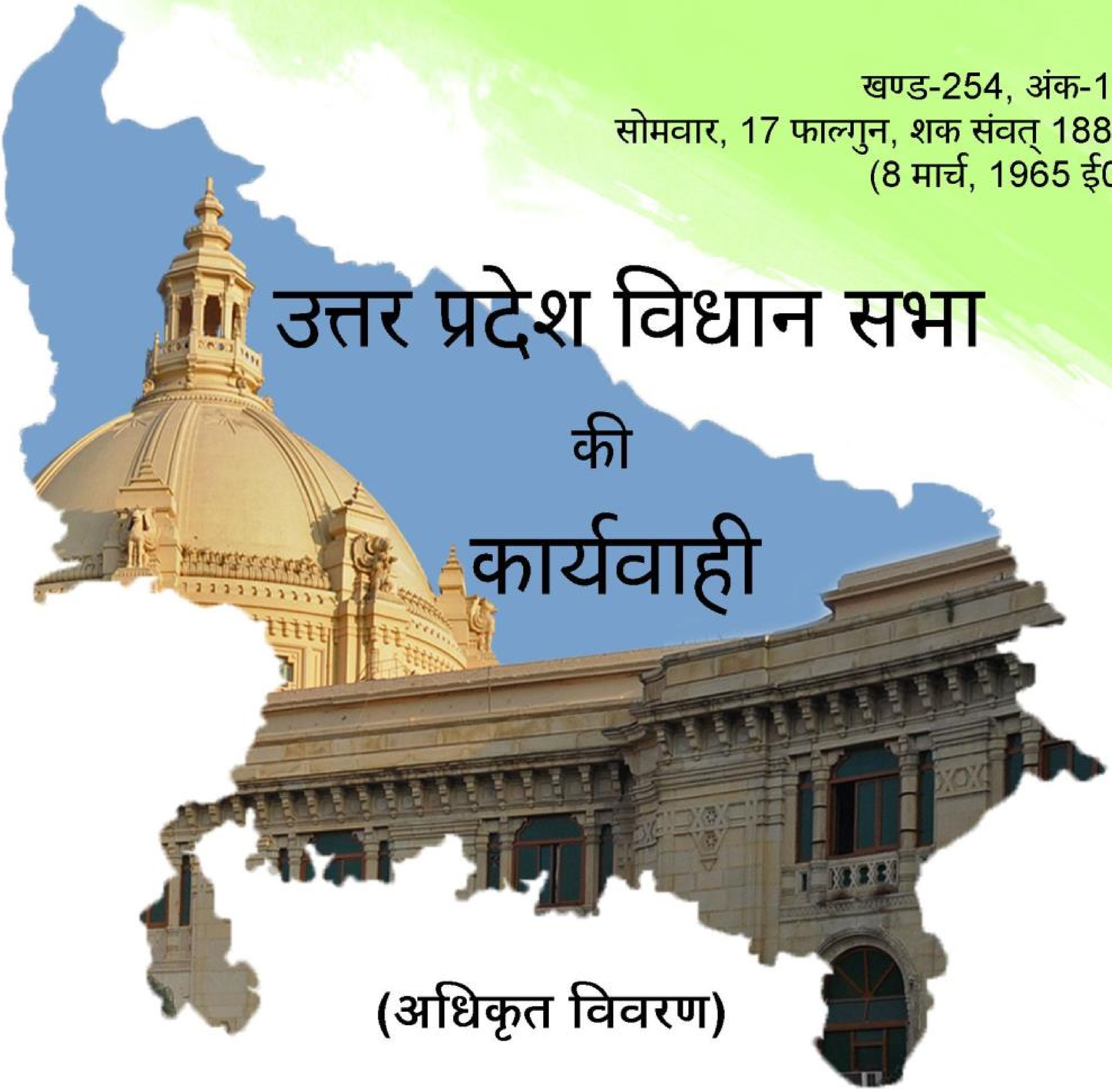

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	९५१–९५५
प्रश्नोत्तर	९५५–९८८
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९८८
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५, (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९८९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९८९
आश्वासन समिति का २६वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	९८९–९९१
उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४–६५) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	९९१
'पायनियर' के सम्पादकीय लेख में सदस्यों के प्रति की गई टिप्पणी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९९१–९९३
जालौन जिले में अध्यापक समर्थक छात्रों के जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९९३–९९५
हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों से फोटो जमा करने के शासकीय आदेश के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	९९५–९९६
सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मुख्य सचिव के परिपत्र के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	९९६–१००८
बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला देना बन्द किये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१००९–१०१०
सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में वक्तव्य	१०१०–१०१२
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ४५ प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	१०१२–१०२७
अनुदान संख्या १३—कारागार (स्वीकृत)	१०२७–१०२८
अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	१०२८–१०५०
नत्थियां	१०५१–१०५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फत सिंह यादव, श्री
उदल श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपालसिंह, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंग, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त वकील, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लाल बहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह सेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

*१–३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

राजकीय उद्यान, सहारनपुर का एयरकंडीशन

*४—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर के राजकीय बाग के अतिथि गृह में जो एयरकन्डीशन लगा हुआ है वह कब, कहां से और कितने में खरीदा गया था ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

यह एयर कन्डीशनर खरीदा हुआ नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह वहां पर कब लगा यानी किस वर्ष लगा और किस व्यक्ति ने लगाया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह अतिथि गृह में १९५७ में रोकफेलर फाउन्डेशन, संयुक्त राष्ट्र आफ अमेरिका के डा० स्मोक, जो इस संस्थान के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये आये थे, उनके आने के पूर्व लगाया गया था ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

वह वहां पर किसने लगाया, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह मेसर्स यूनाइटेड रेफरिजरेटर्स, लखनऊ ने दान में दिया था ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में वहां पर डा० एल० बी० सिंह थे, उन्होंने उस कंपनी से, जिस कम्पनी का नाम लिया है, लाखों रुपये का सामान खरीदा था और उसके भ्रष्टाचारस्वरूप उसने यह चीज दी और इसकी मंत्री जी इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कोई सामान खरीदा गया या नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उसी साल में ग्लास हाउस के लिये टेन्डर काल किये गये थे तो दूसरा टेन्डर ८२ हजार का था और १ लाख ४० हजार का इस कम्पनी का था, तो उसी सिलसिले में क्या यह लेन-देन भी हुआ था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बड़ी भारी दानी कम्पनी है इसने किसी और जिले को भी ऐसा दान दिया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिस संस्था ने दान दिया उसका नाम मैंने आपको बता दिया । बाकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री लखीसिंह—

मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस काम में शामिल नहीं है जिस भ्रष्टाचार के रूप में यह लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि इससे अधिक उनको पता नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

यह जो कम्पनी ने दान में एयरकंडीशन दिया, यह किस आदमी ने दिया और किस अधिकारी ने इसको प्राप्त किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१९६२ से पहले वहां पर जो निदेशक काम करते थे, वह आजकल भारत सरकार की सेवा में हैं । उनसे मालूम किया गया था तो उन्होंने बताया कि यह काफी दिनों की बात हो गई है लेकिन जहां तक उनको स्मरण है यह दान में मिला था और उस संस्था से मिला था जिसका मैंने अभी नाम लिया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ब्रह्मदत्त मायर ने सूचना दी है कि यह उस समय में दान दिया जब ८२ हजार का टेन्डर नामन्जूर करके १ लाख ४० हजार का मंजूर किया गया तो इससे यह सन्देह पैदा होता है कि यह कुछ रियायत के साथ दिया गया तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुये इसकी जांच करायेंगे कि ऐसा हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस सूचना के लिये नोटिस दे दें तो निश्चय ही मैं उसे यहां दे सकता हूं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मैंने अक्तूबर और सितम्बर के महीने में लिखित डा० एल० बी० सिंह, जो उस समय वहां डाइरेक्टर थे, उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी को ५ पेज की टाइप्ड शिकायत दी थी और ३ नवम्बर, १९६२ को माननीय मंत्री जी स्वयं वहां गये थे और उन्होंने जांच की । जांच करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद उन्होंने उनको डिमोट किया और इलाहाबाद, ट्रान्सफर किया और डिमोशन के दौरान में डा० एल० बी० सिंह मंत्री जी के पास तशरीफ लाये और अपना रिजिग्नेशन आफर किया । मंत्री जी ने कहा कि आपको तो जेल जाना होगा, मैं आपका रिजिग्नेशन मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं । क्या यह सही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

पशुपालन विभाग के अस्थायी तथा डेपुटेशन पर गजटेड अफसर

*५—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं पशुपालन विभाग में ऐसे कितने गजटेड अफसर (नाम व पद सहित) हैं जिनको दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक प्रदेश के बाहर डेपुटेशन या फारेन सर्विस पर लगातार कार्य करते हुये चार या उससे अधिक वर्ष पूरे हो गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

निम्नलिखित चार अधिकारी—

(१) श्री इब्ने अली, प्रकाशन अधिकारी,

(२) डा० एजाज हुसैन, जिला कृषि अधिकारी

(३) डा० टी० आर० मेहता, अर्थवनस्पतिविद् (कपास), बुलन्दशहर ।

(४) डा० जी० डी० अग्रवाल, कृषि अर्थशास्त्री, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर ।

*६—श्री नवलकिशोर—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं पशुपालन विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजटेड अफसर हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से? उक्त में से कितनों को कोई भी चार्जशीट नहीं दी गयी है? और क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं । ऐसे कोई अफसर नहीं हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री नवलकिशोर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं पशुपालन विभाग में ऐसे कितने गजेटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक-सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कुल १४५ अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम व पद † संलग्न तालिका में दिये गये हैं ।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चार अधिकारी चार साल से ज्यादा डेपुटेशन पर हैं उनकी अवधि क्या है और वह कब-कब से हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों की अलग अलग अवधि इस प्रकार है—श्री इब्ने अली १-५-५४ से डेपुटेशन पर हैं और जब तक भारत सरकार उनको वापस नहीं भेजेगी तब तक वह काम करते रहेंगे । डा० एजाज हुसैन, जिला कृषि अधिकारी ५-४-५९ से २८-२-६६ तक डेपुटेशन पर रहेंगे । डा० टी० आर० मेहता २३-२-५५ से २१-१२-५८ तक और फिर १-१-५९ से ३०-६-६६ तक डेपुटेशन पर रहेंगे । डा० जी० डी० अग्रवाल फरवरी, १९५८ से १२-१०-६० तक और फिर १०-१२-६० से अब तक हैं । वह फार्म मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, एबाडिन नाइजेरिया में डेपुटेशन पर हैं ।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब आमतौर से डेपुटेशन की मियाद ३ साल की होती है और उसे बढ़ा कर आमतौर से ४ साल कर दिया जाता है तो क्या वजह है कि यह लोग दस-दस साल से डेपुटेशन पर हैं और वह कौन-सी विशेष परिस्थितियां हैं कि जिनके अन्तर्गत इतना लम्बा समय इनको डेपुटेशन के लिये दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

समय समय पर इन अधिकारियों के बारे में प्रदेशीय सरकार से जहां वह काम कर रहे हैं वहां से मंजूरी ली जाती रहती है ।

श्री नवलकिशोर—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन १४५ अधिकारियों के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन स स्वीकृत नहीं मांगी गयी है उनमें कुछ १९५६ से कार्य कर रहे हैं ? क्या कारण है कि जब एक साल के अन्दर स्वीकृति मांगनी चाहिये तो ८,९ साल तक यह स्वीकृति क्यों नहीं मांगी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आमतौर से एक वर्ष तक बिना स्वीकृति के कोई भी अधिकारी काम कर सकता है । यह सारे अधिकारी नियोजन के काम में लगे हुये हैं । नियोजन की विशेष योजनायें होती हैं और उनके स्वीकृत होते ही तुरन्त अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है । उस मौके पर यदि कमीशन की स्वीकृति लेने का सवाल उठाया जाय तो उसमें एक साल से अधिक का समय भी लग सकता है जिससे नियोजन के काम में कठिनाई पड़ेगी ।

---

†छापी नहीं गई ।

इसलिये ये अधिकारी समय समय पर नियुक्त होते रहते हैं और नियोजन के खास काम को करते रहे हैं। सन् १९५६ से जो अधिकारी काम कर रहें हैं तो स्टाप-गैप अरेंजमेंट में कभी कोई अधिकारी किसी की जगह काम करता है, वहां से सीधा चुना हुआ आदमी आता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह के क्रम में ये चले आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से इनकी स्वीकृति जल्दी ही प्राप्त की जाय।

श्री नवलकिशोर—

यह तो मंत्री जी ने अपनी कठिनाइयां बतलायीं। मैंने तो कहा था कि एक दो साल नहीं, ९–९ साल से स्वीकृति नहीं मांगी गयी है, तो क्या कारण विशेष था कि ९–९ साल से पब्लिक सर्विस कमीशन से स्वीकृति नहीं मांगी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर किन्हीं के बारे मे कोई शिकायत हो तो उनके बारे में छान-बीन की जा सकती है कि वे कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण मंजूरी १९५६ से अब तक नहीं ली गई।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

बनारस के ऐग्रिकल्चरल आफिसर सत्यनारायणसिंह, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने १९५६–५७ और १९५७–५८ में चुन लिया गया था, आपकी लिस्ट में उनका नाम है, आपने अप्रूव नहीं किया, १५ साल पहले से काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि विभागीय अध्यक्ष, चन्द अपने लाडलों से अस्थायी तौर से काम लेते रहते हैं और जिनका हक होता है उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में इसलिए नहीं भेजते हैं कि अगर उनकी नौकरी स्थायी मान ली जायगी तो वह चले जायेंगे और हमारे लाडले नीचे खिसक जायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह एक आक्षेप है, ऐसा नहीं होता। वह तो विभाग में परिस्थितिवश जैसा-जैसा मौका आता है उसके मुताबिक किसी को स्टाप-गैप अरेंजमेंट में स्थान दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार अब ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में है कि जिन नामों को नहीं भेजा गया है उनको स्वीकृति के लिये भेज दें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, मैंने तो निवेदन किया कि उनके संबंध में पब्लिक सर्विस कमीशन से बराबर लिखा-पढ़ी चल रही है।

श्री नवलकिशोर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अफसरान की नियुक्ति किस ढंग से हुई, क्या कोई कमेटी बैठी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इनमें से कुछ अधिकारी वह ह कि जो जिस पद पर काम कर रहे हैं उससे पिछले पद से चुने गये हैं और स्टाप-गैप अरेंजमेंट में उनसे काम लिया जा रहा है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पिछले साल ऐग्रिकल्चर विभाग में वाराणसी में सहयोगी अभियन्ता जो कि बहुत अर्से से काम करते चले आ रहे हैं उनका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजा जिससे उनकी सीनियारिटी समाप्त हो गयी और वह जूनियर हो गये और जूनियर सीनियर हो गये, क्या इसकी जांच करायेंगे मंत्री जी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, आप लिख कर भेजें।

श्री नवलकिशोर—

जिनका प्रोमोशन हुआ है, जो नियुक्त हुये हैं उनकी नियुक्ति का ढंग और आधार क्या था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जितनी भी नियुक्तियां विभागों में होती हैं वह सिलेक्शन समिति के जरिये होती हैं, वह इन अधिकारियों का चुनाव करती हैं।

अरण्यपाल के इलाहाबाद कार्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा

*८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७–२० अगस्त, १९६४ को दक्षिण वृत्त अरण्य (वन विभाग) की कोई परीक्षा कुछ पदों के लिये इलाहाबाद हैमल्टन रोड में हुई थी ? यदि हां, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण कितने परीक्षार्थियों की नियुक्तियां अब तक किन-किन पदों पर तथा कहां-कहां पर हुई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

दिनांक १७–८–६४ से २०–८–६४ तक अरण्यपाल, दक्षिणी वृत्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में फारेस्टर, सहायक लिपिक, रेन्ज लिपिक, स्टोर-कीपर, ट्रैक्टर आपरेटर, जीप तथा लारी ड्राइवर के पद के लिये एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। उपरोक्त परीक्षा में ८ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें से ३ रेन्ज लिपिक के पद पर बांदा फारेस्ट डिवीजन, वाराणसी फारेस्ड डिवीजन तथा स्वायल कंजरवेशन डिवीजन उरई में नियुक्त किये गये हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

८ परीक्षार्थियों में से ३ की नियुक्ति लिपिक के पद पर हो गयी, शेष की नहीं हुई तो उसका कारण क्या था और जिसका प्रथम स्थान था परीक्षा में उसे नियुक्त किया गया या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

५, जिनकी नियुक्ति होनी शेष है क्रमानुसार उनका पहला, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां नम्बर है। जैसे ही स्थान रिक्त होंगे, उनकी नियुक्ति इसी वर्ष में हो जायगी।

श्री जगन्नाथ राव—

जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था उसकी नियुक्ति न होने का कारण क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिस उम्मीदवार ने जिस पद के लिये परीक्षा दी थी उसी पद में उसकी नियुक्ति होनी थी और वह हुई। पहले नम्बर वाले फारेस्टर के पद की नियुक्ति के लिये इंटरव्यू में गये, वह लिपिक के पद पर कैसे नियुक्त हो सकते थे ?

श्री उग्रसेन—

जब कई पदों के लिये परीक्षाएं हुई थीं तो उनकी क्रम संख्या एक में क्यों बनायी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सम्मिलित रूप से परीक्षाएं अवश्य हुईं लेकिन जिस पद के लिये जिसने आवेदन-पत्र दिया उसी पद में उसकी नियुक्ति पर विचार किया गया।

श्री जगन्नाथ राव—

जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उसने किस पद के लिये परीक्षा दी थी और जिस पद के लिये दी थी उस पर क्या अभी तक कोई नियुक्ति की गयी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने बताया कि उन्हीं की नियुक्ति हुई है जिनका पद रिक्त था।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

प्रथम स्थान पर जिसने फारेस्टर के लिये अप्लाई किया था तो अभी तक फारेस्टर पद के लिये किसी की नियुक्ति की गयी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

फारेस्टरों की नियुक्ति गत वर्ष हुई है, मई, १९६४ में। इनमें से फारेस्टर के वहां पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई।

गोरखपुर जिले से प्रोबेशन पर रिहाई के लिये प्रार्थना-पत्र

*९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, १९६२ से अप्रैल, १९६३ तक वाराणसी सेन्ट्रल जेल से प्रोबेशन आदि की रिहाई के सिलसिले में गोरखपुर जिले के कितने कैदियों ने आवेदन-पत्र दिये और अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

९ नवम्बर, १९६२ से अप्रैल, १९६३ तक वाराणसी केन्द्रीय कारागार से गोरखपुर जिले के १० बंदियों ने प्रोबेशन पर रिहाई के लिये प्रार्थना-पत्र दिये।

इनमें से एक बंदी का फार्म 'ए' प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति पर २ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया।

एक बंदी मुक्त हो गया।

६ बंदियों के फार्म 'ए' अपूर्ण होने के कारण वापस कर दिये गये।

एक बंदी का फार्म 'ए' जांच के लिये पुलिस के पास है।

एक बंदी का फार्म 'ए' कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय में आ गया है और उस पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, मेरी जानकारी यह है कि जब १/४ सजा अपराधी काट चुका होता है तब उसे फार्म का अधिकार हो जाता है। अब यह फार्म वहां वर्षों पड़ा रहता है और उस पर शीघ्र निर्णय नहीं हो पाता। ३ दिन की मीटिंग में १२०० फार्म पर निर्णय ले लिया गया। इस तरह ठीक से निर्णय नहीं भी हो पाता है। तो क्या सरकार कोई ऐसी प्रक्रिया बनायेगी जिससे कि इन फार्मों पर जल्दी निर्णय लिया जा सके ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह बात सही है कि कुछ देर हो जाती है। इसमें सुधार हेतु हम विचार कर रहे हैं जो इसके अध्यक्ष महोदय हैं वे भी इस पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार इस संबंध में जल्दी कार्यवाही हो। इसमें एक बात यह है कि आमतौर से यह खयाल किया जाता है कि जिन कैदियों की इतनी सजा समाप्त हो गयी है वे सभी छोड़ दिये जायेंगे। लेकिन सभी तो छोड़े नहीं जाते। हां, उनको फार्म भरने का अधिकार जरूर हो जाता है। उन फार्मों पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस से रिपोर्ट भी मांगनी पड़ती है, उसमें कभी कभी बड़ी देरी हो जाती है। अब हम इसके लिये डाइरेक्शन दे रहे हैं कि एक निश्चित अवधि के भीतर ही रिपोर्ट आया करें और इतना बिलम्ब न हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बन्दी कौन है, और इतने विलम्ब का कारण क्या है कि सन् ६२ से उस पर विचार हो रहा है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पुलिस कार्यालय में जिसका फार्म पड़ा है उसका नाम बेनी है, दूसरे का नाम कुटुम्ब है जिसका फार्म महानिरीक्षक के पास है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैंने यह पूछा है कि क्या कारण है कि अब तक उनके फार्म्स पर कार्यवाही नहीं हो पायी और इतना समय लग गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

पुलिस ने जांच जल्दी करके नहीं भेजी, यही कारण है।

श्री कल्पनाथसिंह—

२ साल तक पुलिस के यहां फार्म्स पड़े रहे हैं, इसका क्या इलाज है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

इस कारागार में बहुत से ऐसे लम्बी अवधि के कैदी हैं जो अपंगु हैं, चल फिर नहीं पाते, और उनके फार्म भी काफी समय से विचाराधीन हैं। गोरखपुर कारागार के भी ऐसे कुछ फार्म हैं। तो क्या सरकार उन पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एक केस मैंने माननीय मिश्र जी को बतलाया था और बाकी की कोई सूचना नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पुलिस कार्यालयों और जिलाधीशों के यहां जो कैदियों की सूचना मांगी जा रही है वह उपेक्षित पड़ी रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि भविष्य के लिये ऐसे कोई आदेश दे दिये जायं कि प्रोबेशन पर छूटने वाले बन्दियों के कागजात के साथ लापरवाही न बरती जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जैसा मैं अभी अर्ज कर चुका हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है और आदेश दिये जा रहे हैं कि भविष्य में देर न लगे।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गोरखपुर के कैदियों के मामले मंत्री जी के पास पहुंच चुके हैं और उनमें रिहाई का आदेश भी हो चुका है क्यों वे अन्तिम क्षण में लटके हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब आपकी कमेटी का फैसला रिहाई के लिये हो जाता है तब भी आठ २ महीनों तक मामले लटके रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी अपनी आबादी कम नहीं करना चाहते।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एप्लीकेशन्स तीन महीने के बाद आती हैं उसके लिये नियम बने हैं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आव जेल अपने रिमार्क भेज देता है और पुलिस की भी रिपोर्ट होती है लेकिन इसके बावजूद भी छ२ महीने या एक २ साल इसमें रिपोर्ट के लिये समय लग जाता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सु० आव् जेल और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद तुरन्त कार्यवाही करा ली जाय ताकि रिहाई के आदेश जल्द से जल्द हो सकें।

श्री अध्यक्ष—

वे कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेली नामक बन्दी का फार्म जो पुलिस के पास रह गया और जिसमें अनावश्यक बिलम्ब हुआ, इस विषय में उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, जिनके कारण यह बिलम्ब हुआ, और जो दोषी पाये गये, आवश्यक कार्यवाही करेगी ? और उनकी जानकारी देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिनमें ज्यादा बिलम्ब हुआ है उनके लिये हमारे से यहां आदेश जा रहे हैं कि उनका जबाव मांगा जाय कि बिलम्ब क्यों हुआ।

बांदा जिले में वन्य जन्तु के शिकार पर प्रतिबन्ध

*१०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में वन्य जन्तु हिरन, चीतल तथा सांभर की अनुमानतः संख्या क्या है? इन जानवरों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कोई उपाय सोचा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

बांदा जिले की हिरन और सांभर की अनुमानित संख्या देना सम्भव नहीं है परन्तु यह अनुमान है कि हिरन की संख्या बांदा तथा अन्य क्षेत्रों में कम हो गयी है। इस कारण सरकार ने काले हिरन, गौंड, सांभर और चीतल के मारने पर प्रतिबन्ध लगा रक्खे हैं।

श्री मतोलासिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में प्रतिबन्ध कब से लगाया गया और उसकी रुप-रेखा क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अलग-अलग तारीखे हैं। ११-९-६२ से हिरन, चीतल और चीतल नर पांच वर्ष के लिये विज्ञप्ति की तारीख से और उसमें बांदा के अतिरिक्त और भी जिले हैं।

श्री मतोलासिंह—

उन शिकारियों पर, जिनको लाइसेंस दे रक्खा है, कोई रोक या नोटिस दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

रिजर्व फारेस्ट में, बगैर परमिशन के, कोई लाइसेंसी भी नहीं जा सकता है और न जानवर मार सकता है।

बिसवां नगरपालिका अध्यापकों को राशन कार्ड बनाने की उजरत

*११—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलापूर्ति कार्यालय, सीतापुर से बिसवां नगरपालिका के अध्यापकों को राशन कार्ड बनवाई कितनी उजरत दी गई और नगरपालिका के किस अधिकारी को उस रकम का भुगतान किया गया ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

१५६ रुपये ८ पैसे की उजरत दी गई। उक्त धनराशि का भुगतान श्री आर० एस० शर्मा, चेयरमैन, शिक्षा समिति, नगरपालिका, बिसवां को २१-१-६४ को किया गया।

*१२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त उजरत जो पूर्ति विभाग द्वारा दी गई थी अध्यापकों को कब वितरित की गई तथा उस रकम को बिसवां नगरपालिका के कैशबुक में दर्ज किया गया या नहीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उक्त धनराशि अध्यापकों को दिनांक २४–११–१–६४, २६–११–६४, २८–११–६४ तथा ३०–११–६४ को वितरित की गयी। दो अध्यापकों को जो उस समय नगरपालिका से अन्यत्र नौकरी छोड़ कर कार्य कर रहे थे ५–१–६५ को मनी आर्डर द्वारा उजरत भेजी गई। उक्त धनराशि का कैश बुक में दर्ज होना आवश्यक नहीं था क्योंकि यह रुपया जिला पूर्ति अधिकारी के प्रति वितरित किया गया है।

*१३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिस नगरपालिका के सदस्य ने उपरोक्त धनराशि अपने पास अवैधानिक रूप से रखी उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर ने श्री शर्मा को उक्त धनराशि स्टाम्प रसीद लेकर वितरण के हेतु दी थी और उन्होंने अपने द्वारा ही वितरण किया। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुपया निकालने का अधिकार अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव अफसर को ही है या कोई सदस्य भी निकाल सकता है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जिसे डी० एस० ओ० अपने दायित्व पर देना चाहे।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा समिति के अध्यक्ष, श्री आर० ए० शर्मा, ने डी० एस० ओ० को कोई आदेश दिया था कि कितनी अवधि में रुपया बंट जायगा।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

नोटिस चाहिये।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

प्रश्न संख्या १२ का मंत्री का उत्तर गलत है। अध्यक्ष ने मास्टरों को सरक्यूलर भेजा, जिसके उत्तर में अध्यापकों ने लिखा कि २४–१२–६४ तक रुपया नहीं मिला है। मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पैसा तो मिल ही गया है।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

आप कहते हैं कि २४ नवम्बर तक मिल गया, लेकिन टीचर्स ने लिख कर दिया है कि २४–१२–६४ तक नहीं मिला।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मेरे पास यही इत्तला है कि श्री शर्मा द्वारा दिनांक २६, २८ और ३० नवम्बर, को दिया गया। आप लिखकर भेज दें क्या बात है।

औसर तथा सिंगरी ग्राम की वन विभाग में भूमि

*१४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा औसर तथा सिंगरी, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कितनी भूमि वन विभाग द्वारा हस्तगत की गई है ? उस ली गई भूमि में ऐसी कितनी भूमि है जिस पर काश्तकारों का जमींदारी विनाश के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है और वह जमीन काश्तकारों के नाम से दर्ज है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ग्राम औसर में १२४९.४६ एकड़ भूमि तथा ग्राम सिंगरी में १९०.१६ एकड़ भूमि वन विभाग ने माल विभाग से हस्तगत की इसमें से १४.०९ एकड़ भूमि ग्राम औसर में और २६.१३ एकड़ भूमि ग्राम सिंगरी में ऐसी है जिस पर काश्तकारों का जमींदारी विनाश के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है और वह जमीन काश्तकारों के नाम से दर्ज है।

श्री होरीलाल यादव—

जिस जमीन पर काश्तकार जमींदारों के समय से काबिज हैं उसे बेदखल करके ली गई है या जबरन ले ली गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पहले सरकार ने, जिस जमीन में खेती नहीं होती थी, उसे विज्ञप्ति द्वारा अरक्षित घोषित किया। इस समय वहां बन्दोबस्त चल रहा है और बन्दोबस्त अधिकारी किसानों की आपत्तियां सुन कर जैसे जैसे रेकार्ड्स से मालूम होता है उसके अनुसार वे किसानों को जमीन छोड़ देते हैं, और जो किसानों की नहीं है, जंगल की है, उसे जंगल में सुरक्षित कर देते हैं।

होरीलाल यादव—

जो जमीन सुरक्षित जंगल में आ जावेगी क्या उस पर भी किसान काबिज रहेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं।

श्री भीखालाल—

प्रदेश के अन्य जिलों में भी अगर सरकार जंगल लगाने नहीं जा रही है तो वह काबिज काश्तकारों के साथ कोई टेम्पोरेरी एग्रीमेंट करेगी ताकि वह जमीन बेकार न रहे और इस खाद्य समस्या के समय जो गल्ला वहां पैदा होता है उससे देश वंचित न रहे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सुरक्षित जंगल में किसी को भी भूमि नहीं दी जाती। वन विभाग में तौंगिया एक प्रणाली है और उसमें अगर विभाग यह समझता है कि खेती के लिये तौंगिया में देने से फायदा होगा तो वह जमीन तौंगिया में देता है।

श्री रघुबीरराम (जिला गाजीपुर)—

जमींदारी उन्मूलन के पहले से जमीन पर किसानों का नाम दर्ज है उस जमीन को वन विभाग किस आधार पर ले रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उसे लेने का कोई सवाल नहीं है। जो किसानों के नाम से दर्ज है वह उन्हें जायगी। बन्दोबस्त अधिकारी आपत्तियां सुन रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव—

मौजा औसेर और सिगरी में जो जमीन काश्तकारों की है और जिसे कश्तकार बहुत दिनों से जोतते चले आ रहे हैं, उस जमीन को सरकार न लेने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बन्दोबस्त अधिकारी जैसा फैसला करेंगे आगे उसके मुताबिक कार्यवाही होगी।

[८ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद तथा बिजनौर में जखीरेबाजों पर मुकदमे

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद और बिजनौर में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, सन् १९६४ में गल्ले के किस-किस व्यापारी के गोदाम को सील किया गया और किस-किस प्रकार का कितना-कितना अन्न प्राप्त हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला मुरादाबाद में अगस्त अक्तूबर सन् १९६४ में कुल २६२३.६९ क्विन्टल गल्ला १३ व्यापारियों के गोदामों से प्राप्त हुआ। जिला बिजनौर में इसी समय में कुल १३,३३९ क्विन्टल गल्ला १४२ व्यापारियों के गोदामों से प्राप्त हुआ। जिन व्यापारियों के गोदाम सील किये गये और उनमें से विभिन्न प्रकार का जितना गल्ला प्राप्त हुआ उसकी सूचना हमारे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उस प्राप्त माल को किस भाव पर बेचा गया और किन-किन लोगों को रुपया दिया गया और किस-किस पर मुकदमें कायम हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिला मुरादाबाद में प्राप्त माल बेचा नहीं गया अतएव रुपया देने का प्रश्न नहीं उठता। बिजनौर जिले में प्राप्त माल में से केवल चना ८५.७२ प्रति रु० क्विन्टल की दर पर बेचा गया और बिक्री से प्राप्त रकम सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है। मुरादाबाद जिले में ११ आदमियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। २ मामले पुलिस की जांच में हैं। बिजनौर जिले में १३ आदमियों पर मुकदमा चलाया गया।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन कब्जे में किये गये गोदामों की सूचना सरकार को किनके द्वारा मिली ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इन गोदामों की सूचना विभिन्न सरकारी सूत्रों से जैसे पुलिस, तथा सप्लाई आदि के द्वारा प्राप्त की गई थी।

श्री रियासत सैहुन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब कि चना बेच दिया गया है गेहूं सीलबंद करके क्यों डाल दिया गया है ? उसको न बेचने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कुछ मामलों में तो कोर्ट में जाने से पहले किसी ने खुद बेच दिया तो बिक गया या अदालत के निर्णय होने के बाद उनकी इजाजत से बेचा गया, शेष जितना रह गया है वह कोर्ट के आदेशानुसार ही बिक्री हो सकता है ?

श्री रियासत हुसैन—

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो छापे मारे गये उनमें गेहूं, चना आदि सभी चीजें बरामद हुईं। आपने जो उत्तर में जिक्र किया है वह केवल चने बेचे जाने का जिक्र किया है और कहा कि उसका रुपया सरकारी खजाने में जमा है। मेरा कहना है कि गेहूं न बेचे जाने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी कि यह गल्ला अदालत की इजाजत से बेचा गया या उन्होंने खुद बेचा।

श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी मुरादाबाद के उन १३ आदमियों के नाम जिनके गोदामों पर रेड की गयी, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उनके नाम इस प्रकार हैं :—

१—श्री प्यारेलाल राधेलाल
२—श्री शिव चरन लाल राम रतन
३—श्री फकीर चन्द लक्ष्मी नारायण
४—श्री बुधसेन जयप्रकाश दास
५—श्री राम अवतार
६—श्री दया शंकर गुप्त
७—श्री जगदीश शरण ओ३म प्रकाश
८—श्री रामचन्द्र
९—श्री नागरमल, शादीराम
१०—श्री नसरू पुत्र श्री अमीर हुसेन
११—श्री मनाजिर इस्लाम
१२—श्री शिवशंकर
१३—श्री कुन्दनलाल बिहारीलाल

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि मुरादाबाद के मुकामी एम० एल० ए० और मैंने भी इन गोदामों के अतिरिक्त और गोदामों की भी सूचना दी थी, उन गोदामों में से किसी के ऊप छापा पड़ा या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर लिख कर दे देंगे तो पूछ लेंगे।

*श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[२२-२-६५ को नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा हो चुकने के कारण हटा दिये गये।]

जिला बुलन्दशहर को सीमेंट का कोटा

*६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर को सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में कितना सीमेंट का कोटा दिया गया और जो कमी की गई उस कमी का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बुलन्दशहर को सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में क्रमशः ७७५१ मी० टन व ७,८५४ मी टन सीमेन्ट का कोटा एलाट किया गया । उक्त अवधि में इस जिले का सीमेन्ट का कोटा पहले से कम नहीं था बल्कि कुछ अधिक था। अतः कमी का कारण स्पष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोशालायें

*७—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चालित तथा सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त कितनी गोशालायें हैं ? उनमें १ अप्रैल, सन् १९६३, १ अप्रैल, १९६४ व ३१ अक्टूबर, १९६३ को कितने-कितने, किस-किस श्रेणी के पशु थे तथा उक्त अवधि में सरकारी गोशालाओं में कितना-कितना धन व्यय हुआ तथा कितनी आय हुई ?

श्री चरणसिंह—

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चालित कोई भी गोशाला नहीं है । इस समय राजकीय, सहायता प्राप्त गोशालाओं की संख्या ३७ है । इन गोशालाओं में १ अप्रैल, १९६३, १ अप्रैल, १९६४ व ३१ अक्टूबर, १९६४ को उपलब्ध विभिन्न पशुओं की संख्या का ब्योरा नत्थी 'क' में दिया हुआ है ।

उपरोक्त गोशालाओं में १ अप्रैल, १९६३ से ३१ अक्टूबर १९६४ तक २६,३५,३०८.३५ रुपये का व्यय हुआ तथा २३,५२,२७४.७२ रुपये की आय हुई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०५१ पर ।)

*८—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

सहायता प्राप्त गोशालाओं को कितनी-कितनी सहायता कब-कब दी गई है ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

सरकारी गोशालायें कहां-कहां पर हैं और किन-किन स्थानों में नई गोशालायें सरकार का खोलने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—

इस प्रदेश में कोई भी सरकारी गोशाला नहीं है । और न हीं सरकार द्वारा गोशालायें खोली जाती हैं ।

नगरपालिका सहारनपुर में पेय-जल तथा लेखाओं का सम्प्रेक्षण

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के एकाउन्ट्स का ऐनुअल आडिट १९६२–६३, १९६३–६४ का कब-कब हुआ और आडिट रिपोर्ट्स में क्या-क्या अनियमिततायें पाईं गईं ? क्या सरकार इन रिपोर्ट्स की एक-एक प्रतिलिपि सदन के समक्ष रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका सहारनपुर के वर्ष १९६२–६३ के लेखाओं का सम्प्रेक्षण ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त हुआ था तथा वर्ष १९६३–६४ के लेखाओं का सम्प्रेक्षण अभी ९ फरवरी, १९६५ को समाप्त हुआ है। चूंकि सम्प्रेक्षण टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं। उक्त सम्प्रेक्षण टिप्पणियों के प्राप्त होने पर ही उनकी प्रतियां सदन केसमक्ष रक्खी जा सकेंगी।

*११—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका द्वारा जो पानी जनता को दिया जा रहा है उसकी जांच अप्रैल, ६४ के बाद कब-कब हुई तथा उन जांच रिपोर्टस में प्राविन्शियल हाइजिन इन्स्टीट्यूशन, लखनऊ तथा एम० ओ० एच०, हरिद्वार ने जो रिपोर्ट्स दी उनकी सूक्तियां क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सहारनपुर की जनता को नगरपालिका द्वारा दिये जाने वाले जल की जांच अप्रैल सन् ६४ के बाद निम्न तिथियों में हुई जिन का जीवाणविक तथा रासायनिक परीक्षण का फल उनके सामने दिया है।

दिनांक		जीवाणविक परीक्षण
३०–५–६४	..	६ नमूने लिये गये जिनमें ४ उत्तम तथा २ असन्तोषजनक पाये गये।
४–६–६४	..	४ नमूने लिये गये जो सभी उत्तम पाये गये।
६–६–६४	..	४ नमूने लिये गये जिनमें ३ असन्तोषजनक और एक संदिग्ध पाया गया।
३१–७–६४	..	६ नमूने लिये गये जिनमें दो उत्तम, तीन असन्तोषजनक और एक नमूना संदिग्ध पाया गया।
४–८–६४	..	४ नमूने लिये गये जो सभी उत्तम पाये गये।
२२–८–६४	..	४ नमूने लिये गये जिनमें से ३ उत्तम तथा एक असन्तोषजनक पाया गया।
२६–९–६४	..	४ नमूने लिये गये जिनमें ३ उत्तम तथा एक असन्तोषजनक पाया गया।
१–१०–६४	..	४ नमूने पाये गये जो सभी उत्तम थे।
३–११–६४	..	२ नमूने लिये गये जो सन्तोषजनक पाये गये।

दिनांक		रासायनिक परीक्षण
१–६–६४	..	३ नमूने लिये गये जो सभी सन्तोषजनक और पीने योग्य पाये गये ।
२७–९–६४	..	२ नमूने लिये गये जो पीने योग्य पाये गये ।
१–१०–६४	..	१ नमूना लिया गया जो असन्तोषजनक पाया गया ।
७–११–६४	..	२ नमूने लिये गये जिसमें एक पीने योग्य तथा एक भारी पाया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं माननीय मंत्री जी से जनाना चाहता हूं कि सन् १९६२–६३ के एकाउन्ट्स को आडिट हुए एक साल के ऊपर हो गया, फिर उस आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि को सदन के सामने न रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

चूंकि यह संपरीक्षक मेरठ रीजन से ताल्लुक रखता है, इसलिये उनसे मांगा जा रहा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका द्वारा जून, १९६४ से दिसम्बर, १९६४ तक कितने रुपये का सामान पानी साफ करने के लिये मंगाया गया था और उसमें से कितना इस्तेमाल हुआ और अगर सारा ही इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*१२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[चौथे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३—१५ श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

[वापस ले लिये गये ।]

कानपुर महापालिका में इंडिया आयल कारपोरेशन को दी गयी भूमि

*१६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम शाहपुर, मोहसनपुर तथा रतनपुर जो कि कानपुर नगर महापालिका, कानपुर में शामिल कर लिये गये हैं इन ग्रामों की कृषि भूमि पर इंडिया आयल कारपोरेशन आयल स्टोर बनाने हेतु दिसम्बर, १९६४ से कब्जा कर रहा है ? यदि हां, तो किसानों की बोयी हुयी रबी की फसल जो खड़ी है वह कितने एकड़ है तथा उस पर कब्जा किस के आदेश से किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम शाहपुर, मोहसनपुर तथा रतनपुर की कृषि भूमि एवार्ड नं० ४७, दिनांक २९ जुलाई, १९६३ द्वारा महापालिका के पक्ष में अर्जन हो चुकी थी और दिनांक १० सितम्बर, १९६३ को इस

भूमि पर महापालिका का कब्जा हो गया था। इसी में से लगभग ४० एकड़ भूमि को इंडिया आयल कारपोरेशन को आयल स्टोर बनाने के लिये जिसका संबंध सुरक्षा कार्य से है शासन की अनुशंसा से दी गई है। लगभग सभी अर्जित भूमि पर फसल खड़ी है और महापालिका ने उसे हटाने का कोई कदम नहीं उठाया है।

*१७—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि नगर महापालिका, कानपुर में उपरोक्त ग्रामों की भूमि को "इन्डिया आयल कारपोरेशन" को कितने रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल कितनी भूमि बेची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगर महापालिका ने इंडिया आयल कारपोरेशन को लगभग ४० एकड़ विकसित भूमि १५ हजार रुपया प्रति एकड़ पर दिया है।

*१८—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नगरमहपालिका, कानपुर, ग्राम शाहपुर, मोहसनपुर व रतनपुर के किसानों की भूमि किस दर पर मुआविजा देकर ले रही है तथा भूमि लेने के बदले में वहां के किसानों की जीविका के लिये वह क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शाहपुर, मोहसनपुर की अर्जित भूमि जिसका क्षेत्रफल ४५१.३२ एकड़ है उसके मुआवजे की रकम एवार्ड के अनुसार १ लाख ७५ हजार ९७२ रुपये है। नगर महापालिका ने इन काश्तकारों को किसी भी उद्योग के लिये रियायती मूल्य पर प्लाट देने का निश्चय किया है।

इलाहाबाद में कुंभ मेला का प्रबन्ध

*१९—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के माघ मेला का कुंभ का प्रबन्ध १९६५ तथा १९६६ में सरकार की ओर से किया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। इलाहाबाद पंडित समाज, काशी विद्वत्परिषद् तथा साधु समाज में कुम्भ के संबंध में मतभेद था। इलाहाबाद पंडित समाज तथा काशी विद्वत्परिषद् ने ग्रहों और नक्षत्रों में विश्वास के आधार पर १९६५ में कुम्भ मनाये जाने का मत दिया। साधु समाज ने प्राचीन प्रथा के आधार पर १२ वर्ष पर १९६६ में कुम्भ मनाने का मत प्रकट किया था। अतएव, शासन ने जिलाधीश, इलाहाबाद के सुझावानुसार १९६६ में कुम्भ मनाने का निश्चय किया था। परन्तु चूंकि १९६५ में माघ मेले में तीर्थ यात्रियों की अधिक भीड़ होने की सम्भावना थी, अतएव माघ मेले का प्रबन्ध अर्धकुम्भ मेले के अनुरूप किया गया था।

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६५ तथा १९६६ के इलाहाबाद में लगने वाले कुभों में कितना धन व्यय करने का बजट है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्ष १९६४-६५ के बजट में, मेले के सामान्य प्रशासन के मद में २,१५,५०० रुपये का प्राविधान किया गया था। परन्तु बाद में गंगा में कटाव होने के कारण तथा माघ मेले का

प्रबन्ध अर्थ कुम्भमेले के अनुरूप करने के कारण जिलाधीश, इलाहाबाद ने सूचित किया था कि सामान्य प्रशासन की मद में अपेक्षित धनराशि का अनुमान ९,९२,६०० रु० और अधिक होगा। वर्ष १९६५–६६ में ८,९६,८०० रु० का प्राविधान इस मद में किया गया है। अन्य विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दारागंज से झूंसी जाने वाले पैन्टून ब्रिज के अतिरिक्त कुम्भ मेले में अतिरिक्त पुल बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो इन पर कितना व्यय का अनुमान है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। जिलाधीश, इलाहाबाद ने सात अतिरिक्त पैन्टून पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रक्खा है। इन पर कितना व्यय होगा यह अभी निश्चित नहीं है।

गृह निर्माण योजनान्तर्गत केन्द्र से प्राप्त धन

*२२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से सन् १९६२–६३, १९६३–६४ व १९६४–६५ में कितना-कितना धन हाउसिंग स्कीम के लिये प्रदेशीय सरकार को मिला और उसमें से प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना धन व्यय नहीं हो सका और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में विभिन्न प्लान गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्लान योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन त्रिमासों के वास्तविक व्यय तथा चौथे त्रिमास के अनुमानित व्यय के आधार पर भारत सरकार आर्थिक सहायता देती है। बाद में पूरे वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुसार दिये गये ऋण/अनुदान का ऐडजस्टमेन्ट होता रहता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन के व्यय न हो सकने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०५२ पर)।

निर्माण-कार्य विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन

*२३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सन् १९५८ का रेगूलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट लागू है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश में जिन-जिन स्थानों में उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ लागू है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०५३ पर)

*२४—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि प्रदेश में जहां-जहां रेगुलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट सन् १९५८ के मातहत कालोनी सरकार ने पास की है वहां सीलिंग ऐक्ट भी लाग है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिन-जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० भी लागू है उसकी सूचना भी सदन की मेज पर प्रस्तुत सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०५३ पर)

उपर्युक्त अधिनियम उन क्षेत्रों में इसलिये लागू है क्योंकि वह अधिनियम अपनी धारा १ के प्राविधानों के अनुसार धारा २ में उल्लिखित नगर क्षेत्रों आदि को छोड़ कर समस्त उत्तर प्रदेश में लागू है।

चकिया तहसील के किसानों के मामले में उप-अरण्यपाल, वाराणसी द्वारा जांच

*२५—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी के नौगढ़ ताल्लुका के गांव मरवटियां, लछिमनपुर, भरदुआ, बिसेसरपुर देउरा, अन्तरवां मझिगोंई, लोहसनिआर, देवखन, बिजयपुर बिजोरा, लालतापुर, जैमोहनी में किसानों की जमीन को प्लान्टेशन तथा जंगलात की भूमि कह कर वन विभाग ने बड़ा झगड़ा पैदा कर दिया है, जबकि रेवेन्यू मुहकमा किसानों से लगान वसूल करता है ? और इस संबंध में इन गांवों के किसानों की दरख्वास्तों को तारीख १६ नवम्बर, १९६४ को मुख्य मंत्री को दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही अब तक की गई और उन दरख्वास्तों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न में उल्लिखित गांवों के किसानों की कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसको वन विभाग ने ले रखा है या कोई प्लांटेशन इस भूमि पर किया गया है। वन विभाग ने केवल उसी भूमि को ले रखा है जिसे वन बन्दोबस्त अधिकारी ने अंतिम रूप से वन भूमि घोषित कर दिया है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि माल विभाग द्वारा ऐसी भूमि की मालगुजारी वसूल की जा रही है, जो वन विभाग की घोषित हो चुकी हैं अथवा वन विभाग के अधिकार में है तथा प्लांटेशन के अन्तर्गत हैं। वन विभाग की जानकारी में इस समय कोई ऐसा केस नहीं है। कथित गांव के निवासियों द्वारा प्राप्त दरख्वास्तों पर जांच, अरण्यपाल, वाराणसी वन खंड, रामनगर द्वारा की जा रही है।

श्री ऊदल—

जब उनके अनुसार अभी जांच ही की जा रही है तो मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि किसी किसान की कोई जमीन वन विभाग ने नहीं ली ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जांच तो जब कभी कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आता है तो उसकी कराई जाती है। लेकिन जो सूचना हमारे पास है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जमीन ऐसी नहीं है जिसे वन विभाग ने किसानों की होने पर भी अपने कब्जे में रखी हो।

श्री ऊदल—

इस विजयपुर बिजौरा की जो जमीन किसानों की थी जिसे उन्होंने काशी राज्य से लिया था उसमें ८० बीघा जमीन पर वन विभाग ने किस अधिकार पर पत्थर गाड़ दिया और जो आज तक वह गाड़े हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इस विषय में किसानों से उनकी आपत्तियां ली गयीं, उन पर विचार किया गया और जो जमीन उनके अपने नाम पर दर्ज थी वह उनको वापस की जा रही है और जो पत्थर गाढ़े गये हैं उनके संबंध में जांच-पड़ताल बन्दोबस्त अधिकारी कर रहे हैं ।

श्री ऊदल--

वह किसान काशी राज्य के वक्त से महाराजा बनारस से पट्टा लिये थे लेकिन १८१ बीघे जमीन पर वन विभाग ने सन् ५६ में पत्थर जबरदस्ती लगा दिये और ८० बीघा पर जोतने से रोक दिया और १७-७-६१ को बन्दोबस्त अधिकारी ने फैसला दिया और अभी नवम्बर में पत्थर गाढ़े हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकारी कागजात में वह जमीन किसानों की थी और उनके नाम दर्ज थी और वह लगान देते थे तो वन विभाग ने उस पर किस हैसियत से पत्थर गाढ़े और जोतने से रोक दिया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिन जिन ग्रामों में जो जो आपत्तियां की गई थीं और उसमें से जो जमीन किसानों की जंगल से अलग की गई है उसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, केवल जो जमीन जबरदस्ती किसानों ने जोत रखी थी वह वन में आ गई है और वही वन कानून के मुताबिक वन भूमि घोषित की गई है ।

श्री ऊदल--

यह श्री बैजनाथ यादव, मौजा देवखन, नं० २७७ के अनुसार १४ बीघा जमीन पर,और मौजा विजैपुर बिजौरा में रविदमन, परसराम, सोमासू, रामबचन, बैजनाथ, बोधा, जंगी, फेकू, रामनाथ, झगरू, नबोध, रामजियावन, खुरखुर और राम किशन आदि जो महाराज के समय से पट्टा लिये हैं, श्री भग्गन, साकिन लालतापुर नं० १२२ भी साढ़े ७ बीघा जमीन जोते हैं, रामदास मौजा मरदुआ, नं० ८९ में १५ बिस्वा काश्त करता है और बैजनाथ, जैमोहिनी भूमि नं० ५/१८१ में ५ बीघा जोते हैं और लगान देते हैं लेकिन वन विभाग ने कब्जा कर रखा है,तो क्या मंत्री जी इस इलाके की कोई स्पेशल जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जांच करा लेंगे ।

रायबरेली जिले में बीज के लिये गेहूं देर से मिलने की शिकायत

*२६--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली के लिये हाल में सरकार ने कितना गेहूं बोने के लिये दिया और उसमें प्रत्येक ब्लाक को कितना-कितना गेहूं दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्री बलदेवसिंह आर्य--हाल में सरकार ने रायबरेली जिले के लिये कुल ६,४०६.३३ कुंतल गेहूं बोने के लिये दिया । ब्लाक वार ब्योरा संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी'घ' आगे पृष्ठ १०५४ पर)

*२७--श्री रतीपाल--

क्या यह सही है कि उक्त गेहूं तब पहुंचा जबकि किसान खेत बो चुके थे ? यदि हां, तो क्या वह गेहूं खाने के लिये वितरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री रतीपाल--

क्या मंत्री जी इस बात की सूचना मंगा कर जानकारी करायेंगे कि हमारे रायबरेली जिले में गेहूं लेट पहुंचने के कारण और वहां जो डी०आई० आर० में बड़े महाजनों को पकड़ा गया उसके कारण किसान को गल्ला बोने के लिये नहीं मिल पाया जिसके कारण जमीन खाली पड़ी रह गयी आपकी गलत नीतियों के कारण डलमऊ तहसील ब्लाक में काफी जमीन परती पड़ी हुई है। क्या इसको देखते हुये उन किसानों की मालगुजारी माफ कराने की कृपा करेंगे जिनकी जमीन खाली पड़ी रह गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मेरे पास ब्लाकवार सूचना मौजूद है । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसानों की जमीन बगैर बोये हुये रह गयी है ।

श्री रतीपाल--

मैं मंत्री जी को अपने क्षेत्र की तरफ से यह सूचना देता हूं कि हमारे यहां जितना आपका गेहूं गया वह तमाम बीज गोदामों में खत्म हो गया था और किसानों को गेहूं बोने के लिये नहीं मिला और. . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय रतीपाल, उनकी सूचना आपसे भिन्न है । ज्यादा अच्छा यह है कि उसको लिख कर आप भेज दें उनको और उसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास भेज दें ।

श्री रतीपाल--

ठीक है श्रीमन्, इसकी जांच मंत्री जी करा लें ।

मैनपुरी जिले में स्टाकमैनी का इम्तहान

*२८--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में २३ नवम्बर, १९६४ ई० को जो स्टाकमैनी के लिये लिखित इम्तहान हुआ था और २४ नवम्बर, १९६४ ई० को जिन ३० लड़कों का इंटरव्यू हुआ था, तथा जो उनमें से ५ छांटे गये उनकी योग्यतायें मय डिवीजन के क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--

मैनपुरी जिले में स्टाकमैनी के लिये ३१ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में तारीख २३ नवम्बर, १९६४ को सम्मिलित हुये । केवल २९ अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये तारीख २४ नवम्बर, १९६४ को उपस्थित हुये । इसमें से ५ अभ्यर्थी, जिनमें एक इंटर (आर्ट्स) तृतीय श्रेणी में, दो हाई स्कूल द्वितीय श्रेणी में तथा दो हाई स्कूल तृतीय श्रेणी में हैं, जिला स्तर पर एक समिति द्वारा चुने गये ।

कानपुर जिले को लोहा, टीन व सीमेंट

*२९--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितना लोहा, टीन व सीमेंट अलग-अलग सन् १९६४ में कानपुर नगर और कानपुर जिले में दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

१९६४ में सहारनपुर जिले में १५४.६१३ मे०टन लोहे की टीन प्राप्त हुई । इसका कोटा जिला और नगर में अलग-अलग निर्धारित नहीं है । इसी अवधि में कानपुर जिले के लिये १५,१११ मे०टन सीमेंट एलाट हुई जिसमें नगर का कोटा १०,०७४ मे०टन सम्मिलित है ।

*३०—श्री शिवनाथसिंह—

क्या इसी संदर्भ में खाद्य मंत्री यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि देहात का कोटा शहर से क्यों कम रखा गया जबकि आबादी देहात की अधिक है और योजना केन्द्र देहातों में खुले हुये है ? उपर्युक्त कोटा किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सत्य है कि देहात की आबादी शहर से अधिक है परन्तु निर्माण कार्य जिनमें टीन व सीमेंट की खपत होती है वे नगर में अधिक होते है । अतः जिलाधीश शहरी और देहाती क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुये इन वस्तुओं का वितरण करते हैं ।

*३१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से कुछ ऐसे व्यक्ति बराबर उपर्युक्त सामग्री लेते रहते हैं और ब्लैक पर बेच कर मुनाफा कमाते हैं यद्यपि तामीर करने के लिये उनके पास कोई इमारत नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं । अतः प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि टिन की चादर और सीमेंट यह एक साथ दी गयी तो इसमें जिले को कितना सीमेंट और चादर दी गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिले को ही दिया गया और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं शहर और कानपुर जिले के नाम से अलग-अलग कोटा नहीं है बल्कि कानपुर जिले के नाम में सारा जिला आ जाता है ।

श्री शिवनाथसिंह—

श्रीमन्, स्पष्ट नहीं हुआ । मेरा मतलब यह है कि मंत्री जी जिले और शहर का कोटा बता दें । शहर में जो सीमेंट दिया जाता है वह १०,०७४ बोरी दिया जाता है, तो कितना कुल कोटा अलाट हुआ दोनों चीजों का और उसमें से कितना टिन और सीमेंट जिले को दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि नगर का कोटा १५,१११ मीट्रिक टन सीमेंट में से १०,७४५ है और बाकी देहात के लिये था और टिन ४४.७२० मीट्रिक टन देहात में और ६४.५१२ मीट्रिक टन शहरी आबादी में बांटा गया ।

गेहूं की सघन खेती के लिये सुविधायें

*३२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में ऐसे विकास खंडों को, जो कि गेहूं की पैकेज स्कीम में सम्मिलित हैं, उक्त योजना की सफलता के लिये क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई है या की जायेंगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरणसिंह--

गेहूं की सघन खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये विकास खंडों में निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :

१--कीटनाशक औषधियों पर २५ प्रतिशत राज सहायता ।

२--बैल खरीदने के लिये मध्यकालीन ऋण ।

३--किसानों के खेतों पर कम्पोजिट प्रदर्शनों की व्यवस्था ।

*३३--श्री मुमताजमुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विकास खंडों में लघु सिंचाई योजना की पूर्ति के लिये कृषकों को ऋण तथा सीमेंट की कोई विशेष सुविधायें प्रदान करने का वह विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

जी हां । जिन जिलों में उपरोक्त कार्यक्रम चालू है उनमें लघु सिंचाई योजना की पूर्ति के लिये आवश्यकतानुसार ऋण तथा सीमेंट की यथा संभव व्यवस्था की गई है । कुछ विकास खंडों में लघु सिंचाई का क्रैश प्रोग्राम भी चल रहा है जिसके अन्तर्गत ऋण की निर्धारित सीमा का ५० प्रतिशत छूट के रूप में परिणत किया जाता है ।

राज्य को खाद्यान्न का कोटा

*३४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र से उत्तर प्रदेश को मासिक गल्ले का कितना कोटा मिलता है और कितने की मांग है और मांग के अनुसार न मिलने का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश का विदेशी गेहूं का कोटा अगस्त, १९६४ से १,०५,००० टन प्रति माह निर्धारित किया था । परन्तु यह कोटा हर महीने विदेशी गेहूं की उपलब्धतानुसार घटाया बढ़ाया जाता रहा है । प्रदेश की विदेशी गेहूं की मांग लगभग १,७५,००० टन प्रति माह है । मांग के अनुसार न मिलने का कारण विदेशी गेहूं की अल्प उपलब्धता है ।

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चावल एवं मोटे अन्न की वसूली की धीमी प्रगति क्यों है और प्रगति को बढ़ाने के कौन-कौन उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

चावल एवं मोटे अन्न की वसूली की धीमी प्रगति का मुख्य कारण मंडियों की आमद में कमी है । दूसरे खरीदारी वाले जिलों की संख्या भी कम कर दी गई है । चावल की खरीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चावल का खरीदारी मूल्य बढ़ा दिया गया है ।

नैनीताल जिले से प्राप्त मक्का

*३६--श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के तराई व भावर को हिस्से में इस वर्ष कितनी मक्का बोई गई थी और इस क्षेत्र से कितनी मक्का सरकार को उपलब्ध हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मक्का बोये जाने के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुये हैं । इसलिये वांछित सूचना देने में सरकार असमर्थ है । सरकार ने इस क्षेत्र से ६८,१७२ क्वींटल मक्का प्राप्त की है ।

*३७—सर्वश्री कमलासिंह यादव, व माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

केन्द्र से प्राप्त खाद्यान्न

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६४ से जनवरी, सन् १९६५ तक भारत सरकार ने राज्य को किस-किस किस्म का कितना गल्ला दिया है, उसका मासिक विवरण क्या है और राज्य सरकार ने उन महीनों के लिये कितने गल्ले की मांग की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस अवधि में भारत सरकार ने राज्य को केवल विदेशी गेहूं दिया था। जून और जुलाई, १९६४ में प्रत्येक महीने के लिए राज्य सरकार ने अपने लेखे पर केन्द्रीय सरकार से १,००,००० टन गेहूं की मांग की थी। इसके अतिरिक्त प्रदेश की आटा मिलों को और पंच-महानगरों, मेरठ तथा बरेली नगरों में उपयोग के लिये केन्द्रीय सरकार सीधे अपने गोदामों से विदेशी गेहूं दिया करती थी। अगस्त, १९६४ से केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश की आटा मिलों को देने के लिये और उक्त सात नगरों में वितरण के लिये तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रदेश का कोटा १,०५,००० टन प्रतिमाह निर्धारित कर दिया। अतः तब से राज्य सरकार ने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की। उक्त कोटा भी विदेशी गेहूं की उपलब्धता-नुसार हर माह केन्द्रीय सरकार द्वारा घटा बढ़ा दिया जाता है। जून, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये गये विदेशी गेहूं की मात्रा तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०५५ पर)

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा खाद्यान्न वितरण

*३९—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के स्थापनार्थ राज्य में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और इसके स्थापनार्थ १९६५-६६ के बजट वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन की स्थापना के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

*४०—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में इस समय जनवरी, १९६५ में कुल सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें चल रही हैं ? उनमें कितनी शहरी क्षेत्र में हैं और कितनी देहाती क्षेत्रों में और एक दूकान पर एक सप्ताह में कितना गल्ला बेचने को प्राप्त होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

राज्य में जनवरी, १९६५ में कुल १२,७०९ सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही थीं, जिनमें ३,८५३ शहरी क्षेत्रों में और ८,८५६ देहाती क्षेत्रों में थीं। प्रत्येक दूकान को उनसे सम्बद्ध यूनिटों की संख्या और खाद्यान्नों की उपलब्धतानुसार गल्ला दिया जाता है।

*४१—श्री लखीसिंह—

(चौथे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।)

भूमि संरक्षण कार्य

*४२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वायल कंजरवेशन विभाग में १९६४–६५ में या आगे पूर्ण प्रदेश में कहां-कहां वह यूनिट कम करने जा रही है और क्यों?

श्री चरणसिंह—

कहीं भी यूनिट कम नहीं की जा रही है।

*४३—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश में १९६४ में स्वायल कंजरवेशन विभाग कौन-कौन से जिलों में कितने-कितने यूनिट काम कर रहे हैं और कितना-कितना काम किया जा चुका है? मिर्जापुर और झांसी जिले में १९६४ से जालौन जिले में कितना अधिक काम हो रहा है?

श्री चरणसिंह—

विवरण संलग्न सूची में दिया है।

इससे स्पष्ट है कि जालौन जिले में मिर्जापुर और झांसी से अधिक कार्य हुआ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०५६ पर)

जेल वार्डर्स का वेतन

*४४—श्री मुहम्मद रफी खां तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार जेल के वार्डर्स की तनख्वाह पुलिस के सिपाहियों के बराबर ही दिये जाने की कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह प्रश्न उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति के विचाराधीन है।

एटा जेल से कैदियों का भाग जाना

*४५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जेल से तारीख १९ जनवरी, १९६५ को तीन कैदी भाग गये और कौन-कौन जेल अधिकारी व कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। बन्दी किन परिस्थितियों में भागे यह अभी जांच का विषय है। अतः यह कहना कि कोई जेल का अधिकारी व कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी है या नहीं अभी सम्भव नहीं है।

*४६—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या स्वायत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जेल से भागे कैदियों में कितने कैदी पकड़े गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

एक।

ग्राम समाज, विसोखर व बेगमाबाद की भूमि पर मोदी मिल का अनधिकृत कब्जा

*४७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज की जमीन पर मिल लगाने के नाम पर मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स के चेयरमैन ने जरबस्ती कब्जा कर लिया है और एक तालाब, ४४ क्वार्टर तथा ६ दूकानें बनवा ली हैं ? क्या इसके सम्बन्ध में गाजियाबाद के सब-डिवीजनल आफिसर ने दिनांक ४ जनवरी, १९६१ को मोदीनगर के रायबहादुर सेठ जी० एम० मोदी, जो शहर अंचल कमेटी के चेयरमैन थे, उनके खिलाफ फैसला किया था और तहसीलदार तथा कानूनगो ने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल, मोदी नगर ने सन् १९५७ में ग्राम समाज विसोखर व बेगमाबाद की कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया था परन्तु मिल ने इस भूमि को पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ऐक्ट की धारा ११७ के अन्तर्गत रिजर्वेशन कराने के लिए और फिर लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अर्जन कराने का प्रार्थना-पत्र दिया था और इसी कार्य के लिये मिल्स को इस भूमि का विधिवत् कब्जा २९ अप्रैल, १९६१ को दे दिया गया था। प्रश्नगत भूमि पर ६४ क्वार्टर जिसमें ६ दुकानें सम्मिलित हैं, मिल बिल्डिंग व पानी की टंकी बनाये गए हैं। तालाब इस भूमि में नहीं है। तहसीलदार, गाजियाबाद ने इस भूमि के अनधिकृत कब्जे के विषय में बेदखली कराने की कार्यवाही की थी जो कि बाद में भूमि के अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण स्थगित कर दी गई है।

खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ती तथा खरीफ की उपज का क्रय

*४८—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजय सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दिसम्बर, १९६४ और जनवरी, १९६५ में गल्ले की निरन्तर कीमतें बढ़ने के क्या कारण हैं और सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभाव के महीने होने के कारण जैसा कि आम तौर पर होता है, दिसम्बर और जनवरी के प्रथम पखवारे में गल्ले की कीमतें बढ़ीं परन्तु जनवरी के दूसरे पखवारे से भावों में गिरावट शुरू हो गई, अतः किसी विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

*४९—श्री प्रेमसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खरीफ की फसल की पैदावार को सरकार ने खरीदने के क्या भाव रखे और क्या आढ़तियों को किसी आदेश द्वारा खरीद की किसी भी बाजार में किसी भी भाव बेचने की छूट दी? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकारी खरीद के लिये खरीफ फसल के अनाजों की कीमतें निम्नलिखित हैं—

				प्रति क्विन्टल बिना बोरे के। रुपयों में
चावल	श्रेणी	१	विशेष ..	८५.५०
,,	,,	१		७७.५०
,,	,,	२		६९.५० तथा ७२.००
,,	,,	३	.. ..	६०.०० तथा ६३.००
,,	,,	४	.. ..	५५.००
,,	,,	५	.. ..	५२,००
बाजरा			.. ..	४०.५०
मक्का			.. ..	३६.५०
ज्वार सफेद			.. ..	३९.००
ज्वार पीली			.. ..	३८.५०
ज्वार लाल			.. ..	३८.००

खुले बाजार में मोटे अनाजों की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतें गिराने के उद्देश्य से व्यापारियों का सरकार की लेवी देने के बाद बचे हुये मोटे अनाज के स्टाक को प्रदेश के अन्दर कहीं भी अपनी इच्छानुसार बेचने की छूट दी गई।

*५०—श्री प्रेमसिंह तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मार्च, अप्रैल और मई, १९६५ में खाद्यान्नों की कमी को रोकने के लिये सरकारी गोदामों में कितना स्टाक रखा गया है और उसमें से मोटा अनाज कितना प्रोक्योर किया गया तथा उपरोक्त महीनों में केन्द्र से कितना गल्ला प्रतिमास प्राप्त होता रहेगा, उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्टाक सम्बन्धित वांछित सूचना देना जनहित में उचित न होगा। केन्द्र से कितना गल्ला प्राप्त होता रहेगा, यह निश्चित नहीं है।

*५१—५२—सर्वश्री लखी सिंह (जिला सीतापुर), बिपिन बिहारी तिवारी, जगन्नाथ राव—

[९वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विजयपुर तथा विजौरा गांवों की जमीन पर वन विभाग का अधिकार

*५३—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव विजेपुर, बिजौरा, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के लोगों को १८१ बीघा से ऊपर लगानी २९७।।।) पर बन्दोबस्त काशी राज्य के समय में हुआ था? उसमें से ९० बीघा पर सन् १९५४ से पत्थर गाड़ कर बन विभाग में काश्त करने से मना कर दिया है और लगान अब तक काश्तकार दे रहे हैं और क्लेम में भी जीत गये हैं? यदि हां, तो बन विभाग क्यों इस गांव के लोगों के साथ ज्यादती कर रही है और ९० बीघा जमीन क्यों नहीं छोड़ता है?

श्री चरणसिंह—

जिला वाराणसी की तहसील चकिया के गांव विजयपुर, बिजौरा के लोगों के १८१ बीघा १० बिस्वा १८ विस्वांसी भूमि २९८ रुपये ९ आना के वार्षिक लगान पर काशी राज द्वारा दी गई थी। उपरोक्त भूमि में से केवल ८० बीघा भूमि जो जोत में नहीं थी, देखने में वन लगती थी तथा वन सीमा से सटी थी, को सन् १९५४ में पत्थर गाड़ कर वन भूमि के रूप में सीमांकन कर लिया गया था। यह सीमांकन केवल उसी समय तक के लिए किया गया था जब तक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कश्तकारों के दावे का निपटारा नहीं हुआ था। उपरोक्त काश्तकार अब तक लगान दे रहे हैं और कब्जे में भी जोत गये हैं। वन बन्दोबस्त अधिकारी के १७-७-१९६१ के निर्णय के बाद उपरोक्त ८० बीघा जमीन काश्तकारों के पक्ष में छोड़ दी गई है तथा उनके जोतने में वन विभाग द्वारा कोई बाधा नहीं है।

*५४—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

[चौथे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

*५५—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[पांचवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५६—श्री मन्नालाल—

[पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मंझनपुर तहसील में ऊसर

*५७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें सूचना है कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के ग्राम बैशकांटी तथा विदांव में ऊसर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? यदि हां, तो उसके रोकने आदि के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री चरणसिंह—

जी हां। कुछ बढ़ रहा है। फिलहाल इसको रोकने या सुधारने की कोई सरकारी योजना नहीं है।

आजमगढ़ जिले में सीमेंट वितरण

*५८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर सीमेंट के उपभोक्ताओं को फुटकर देने के लिये किन-किन व्यक्तियों के नाम लाइसेंस दिया गया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०५७-१०५८ पर)

*५९—श्री उमाशंकर—

क्या खाद्य मन्त्री को यह पता है कि उक्त जिले में मुहम्मदाबाद, गोहना, कोपागंज, रानी सराय में ऐसे सीमेंट वितरक हैं जो निर्दिष्ट स्थानों पर न बेच कर मऊनाथ भंजन और आजमगढ़ शहर में ही बेच देते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*६०—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि मऊनाथ भंजन और आजमगढ़ शहर में सीमेंट जनपद के हर कोने से अधिक दामों पर बिकता है? यदि हां, तो सरकार इन सारी अनियमितताओं को रोकने का क्या उपाय कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

वाराणसी में गंगाजल दूषित होने से बचाने के लिये सुझाव

*६१—श्री रघुवीर राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट के निकटतम गंदे नाले का पानी गंगा में गिरता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

*६२—श्री रघुवीर राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नाले का पानी जहां पर गिरता है उसके दोनों तरफ काफी संख्या में यात्री या वहां के स्थानीय लोग स्नान करते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इस गन्दे नाले के पानी का रुख बदलने पर विचार करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है और प्रदेश के जन-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक योजना इस बारे में सन् १९४७–४८ में बनाई गयी थी। किन्तु वहां की स्थानीय निकाय इसको कार्यान्वित करने में असमर्थ रही। गंगा नदी को दूषित होने से बचाने के लिए अब गंगा तट पर गिरते हुए समस्त नालों के रुख बदलने के लिए एक योजना का प्रारंभिक अनुमान जिसकी लागत ५४ लाख रुपया है, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया जा चुका है। इस योजना के लिए भारत सरकार से सहायता प्राप्त होने पर योजना कार्यान्वित की जा सकेगी।

फूलपुर टाउन एरिया में मेहतरों की हड़ताल

*६३—श्री अमजद अली (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फूलपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के मेहतरों ने कई महीने का वेतन एवं इस साल की वर्दी न पाने के कारण हड़ताल की है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां।

*६४—श्री अमजद अली—

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिस समय मेहतरों ने हड़ताल की थी उस समय उनका साढ़े तीन माह का वेतन बकाया था। उसमें से तीन माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। शेष आधे माह के वेतन के भुगतान की भी चेष्टा हो रही है। और आशा है कि इसका भी भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा। वर्दी देने के सम्बन्ध में जिलाधीश को आवश्यक आदेश शासन द्वारा दिया जा चुका है।

साधन समिति, रजबपुर को बीज न मिलने की शिकायत

६५—श्री केशरी प्रसाद पांडेय तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस साल साधन समिति, रजबपुर को कोई बीज सरकारी गोदाम से नहीं मिला जिसकी वजह से सैकड़ों बीघा जमीन बिला बोई रह गई? इसकी जिम्मेदारी किस पर है जबकि मेम्बरान ने हर तरह से अधिकारियों को दरख्वास्तें दीं?

श्री चरणसिंह—

कृषि विभाग द्वारा सहकारी विभाग की किसी भी साधन समिति को बीज नहीं दिया जाता है और न साधन समिति, रजबपुर से बीज की कोई मांग ही कृषि विभाग के बीज गोदाम में प्राप्त हुई। यह सही नहीं है कि कोई भी रबी का क्षेत्रफल ऐसा है जो बीज के अभाव के कारण बगैर बोये रह गया हो।

होम्योपैथिक डाक्टरों का वेतन

६६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नगरपालिकाओं की होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में काम करने वाले डाक्टरों का वेतन-क्रम क्या है क्या सरकार वर्तमान मंहगाई को एवं अन्य डाक्टरों की तुलना में उन्हें प्राप्त कम वेतन को ध्यान में रखकर उनके वेतन में वृद्धि करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिकाओं की होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में काम करने वाले डाक्टरों के लिये जनवरी, १,१९६२ से निम्नलिखित वेतन-क्रम और शैक्षिक योग्यता निर्धारित किये गये थे।

वेतन-क्रम	शैक्षिक योग्यता
(१) रु० १२०–४–१६०–द० रो०–८–२००।	(१) विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय की होम्योपैथी में डिग्री, या (२) बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश की जांच वर्ष की डिग्री या चार वर्ष का डिप्लोमा (जी० एच०–एम०एस० या बी० एम० एस०)। या (३) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का होम्योपैथी में चार वर्ष का डिप्लोमा।
(२) रु० ७५–५—१२०–द० रो०–८–२००।	उनके लिये जो ऊपर दी हुई कोई शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

जहां तक वर्तमान महंगाई तथा अन्य डाक्टरों की तुलना में कम वेतन के कारण इन डाक्टरों को वेतनवृद्धि देने का प्रश्न है, द्वितीय वेतन समिति की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

१–३ श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[चौथे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९–११ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

मथुरा जिले को सीमेंट तथा लोहे की चद्दर

४–श्री लखीसिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के जुलाई, १९६४ से दिसम्बर, १९६४ तक कितने सीमेंट तथा लोहे की चद्दर दी गई तथा जिले में सीमेंट व चद्दर का वितरण शहर तथा देहात को कितना-कितना दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मथुरा जिले को जुलाई, ६४ से दिसम्बर, ६४ तक कुल ३,३८१ टन सीमेंट दिया गया । उसमें से ९२० टन शहरी क्षेत्र को और २,४६१ टन ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया ।

इस अवधि में मथुरा जिले में नालीदार चद्दर का कोई कोटा प्राप्त नहीं हुआ । ६४ ९०० टन काली चद्दर प्राप्त हुई थी जिसमें से ३५ टन शहर में तथा १३ टन देहात में दी गई ।

आजमगढ़ जिले से खाद्यान्न का कोटा बढ़ाने की मांग

५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलाधीश ने सरकार से अनुरोध किया है कि आजमगढ़ को गल्ले का जो वर्तमान कोटा मिल रहा है वह वहां की खाद्य स्थिति और जन-संख्या को देखते हुये बहुत कम है और उसे बढ़ाकर उन्होंने सात हजार सात सौ मैट्रिक टन करने को कहा है और जिले की खाद्य सलाहकार समिति ने सभी सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके उपरोक्त मांग का समर्थन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । सरकार चाहते हुये भी खाद्यान्न का कोटा अभी बढ़ाने में असमर्थ है ।

६–श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के देहाती क्षेत्र में खुली सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रतिमाह केवल ४०० ग्राम गल्ला दिया जा रहा है जब कि जिला की संख्या का चालीस प्रतिशत भाग ऐसा है जो भूमिहीन है ? यदि हां, तो जिले में आवश्यकतानुसार गल्ला देने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों में केवल अति गरीब व्यक्तियों को ही सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न देने की व्यवस्था है ।

आजमगढ़ जिले को चीनी सीमेंट तथा कोयला

७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला को गत तीन महीनों में सीमेंट, कोयला, करकट और चीनी का कितना–कितना कोटा दिया गया है और वहां के पूर्ति अधिकारी ने कितन की मांग की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना निम्नलिखित है—

सीमेंट—सीमेंट का अलाटमेंट जिलों को तिमाही आधार पर किया जाता है। अक्तूबर-दिसम्बर, ६४ की तिमाही में जिलाधीश, आजमगढ़ ने २६,६८० मी० टन सीमेंट की मांग की थी। चूंकि सीमेंट की कमी सारे प्रदेश में है अतः केवल ३,४७३ मी० टन सीमेंट उपर्युक्त तिमाही में एलाट किया गया।

कोयला—साफ्ट कोक तथा कोयला चूर पर से भारत सरकार द्वारा १ जुलाई, १९६४ से वितरण नियंत्रण उठाने के कारण उक्त प्रकार से कोयले के अलाटमेंट तथा मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

करकट टिन शीट—गत तीन महीनों में केवल ६ मी०टन जी० सी० शीट्स जिला आजमगढ़ में प्राप्त हुआ। जिलाधीश आजमगढ़ से जी०सी० शीट्स की कोई मांग उक्त अवधि में नहीं प्राप्त हुई वह संभवतः इसलिये कि संकटकालीन स्थिति में भारतीय सरकार ने शीट्स का अलाटमेंट बन्द कर दिया है।

चीनी—जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, जिले का कोटा पूर्ति अधिकारियों की मांग पर निर्धारित नहीं किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदेश का मासिक कोटा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसंख्या तथा बड़े उपभोक्ताओं जैसे फल संरक्षकों आदि की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बांट दिया जाता है। २३–११–६४ से २२–२–६५ तक आजमगढ़ को शक्कर के निम्नलिखित कोटे दिये गये—

२३.११.६४से २२.१२.६४ तक के लिये	३८० मी० टन
२३.१२.६४ से २२.१.६५ तक के लिये	३८७ मी० टन
२३.१.६५ से २२.२.६५ तक के लिये	३८७ मी० टन
२७.१.६५ को ईद के लिये	१८ मी० टन
५.२.६५ को होली के लिये	१८ मी० टन
योग ..	११९० मी० टन

८–९–श्री रामसिंह शाक्य—

[चौथे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

पशुपालन विभाग में स्टाकमैनों और कम्पाउन्डरों का वेतन

१०—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में पशुचिकित्सा के स्टाकमैन व कम्पाउन्डर के वेतन–क्रम में भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

पशुपालन विभाग में १९६२ के पश्चात् प्रशिक्षित स्टाकमैन और प्रशिक्षित कम्पाउन्डर के वर्तमान वेतन-क्रम में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों का वेतन-क्रम ७५–५-१२० रु० है। सन् १९६२ से पूर्व प्रशिक्षित स्टाकमैनों को, जिनका वेतन-क्रम ४५:८० रु० है उपरोक्त वेतन-क्रम में लाने का प्रश्न उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति के सम्मुख विचाराधीन है।

११–१३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[प्रश्नकर्ता के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

बांदा जिले में किसानों पर वन विभाग के कथित नोटिस

१४—श्री मतोलासिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला में मुख्य तौर पर कर्वी व मऊ तहसील में सन् १९६३ ई० व ६४ ई० को ग्राम समाज व किसानों की भूमि को वन विभाग में लेने के वास्ते किन-किन ग्रामों को कितने नोटिस दिये गये उनका ग्रामवार रकबा किस-किस तादाद में था ?

श्री चरणसिंह—

बांदा जिले में १९६३ ई० में कोई भी नोटिस काश्तकारों या ग्राम समाजों को उनकी भूमि वन विभाग में प्रबंध हेतु लेने को नहीं दी गई थी। सन् १९६४ में कुल मिला कर कर्वी तथा मऊ तहसीलों के ५३३ ग्रामों में इस प्रकार की १०,७७४ नोटिसें काश्तकारों तथा ग्राम समाजों को दी गई थीं। जिनमें कुल मिलाकर १,७४,७३० ९६ एकड़ रकबा शामिल था। इन ग्रामों के नाम तथा ग्रामवार रकबा की सूचना †संलग्न सूची में है।

१५—श्री मतोलासिंह—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि को लेने का क्या परिणाम निकला और छोटे-छोटे रकबों को जंगलात में लेने में जानबूझ कर किसानों को परेशान करने का प्रयास क्यों किया गया ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कड़ा ऐक्शन लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

उक्त भूमि अभी प्रबंध में ली नहीं गई है। जिस भूमि के लिये नोटिस दी गयी थी उसमें से जांच के पश्चात् काश्तकारों की भूमि में से अधिकतर भूमि वन विभाग में प्रबंध हेतु लेने के लिये उपयुक्त नहीं पाई गई। ग्राम समाज की अधिकतर भूमि इस काबिल पाई गई कि उसका प्रबंध वन विभाग द्वारा किया जाये और इन जमीनों को वन विभाग द्वारा प्रबंध किये जाने के लिये कार्यवाही जारी है। जानबूझ कर किसानों को परेशान करने का प्रयास नहीं किया गया। बल्कि उनकी भूमि को विनाश से बचाने तथा वैज्ञानिक विधि से प्रबंध करने के उद्देश्य से इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ३८ एच (२) के अन्तर्गत नोटिसें दी गई थीं। यह नोटिसें उन रकबों के लिये तैयार की गई थीं जो लेखपाल के कागजात में बंजर परती या जंगल दर्ज थे। छोटे-छोटे रकबों की असली हालत कि वे छिटपुट हैं या एक ही में शामिल हैं और वन विभाग द्वारा प्रबंध किये जाने के लिये नाकाबिल हैं, मौके की जांच करने पर ही पता चला। इसलिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जो विधान सभा द्वारा १६ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी संशोधन के ५ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

---

† छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जो विधान सभा द्वारा १६ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के ५ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के ५ मार्च, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है ।

अश्वासन समिति का २६वां प्रतिवेदन†

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २६ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

२—इस प्रतिवेदन में उन १७२ आश्वासनों का उल्लेख है जो ४ फरवरी, १९६४ से ३१ मार्च, १९६४ की अवधि में विभिन्न अवसरों पर सदन में दिये गये थे ।

३—उक्त आश्वासनों पर विचार करने के निमित्त निश्चित की गयी तिथि से लगभग एक मास पूर्व शासन के विभिन्न विभागों को अवगत करा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों की वर्तमान स्थिति से समिति को अवगत करा दें । खेद है कि फिर भी कुछ आश्वासनों की पूर्ति के बारे में विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी । इन आश्वासनों की संख्या २७ है, जो प्रतिवेदन के वर्ग ३ में अंकित है ।

४—उपरोक्त अवधि के आश्वासनों पर विचार करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति से सम्बन्धित सूचनाओं को शासन को प्रेषित करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं । उदाहरणार्थ पंचायत निरीक्षक के पदों में हरिजनों के लिये प्रतिशत सुरक्षित करने से संबंधित विषय पर समिति को यह सूचित किया गया है कि वांछित सूचना निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है । उन्हें स्मरण भी कराया गया परन्तु उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित नहीं की । समिति के समक्ष इसी प्रकार के कई आश्वासन आये जिनमें शासन जिलाधिकारियों अथवा हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स से यथासमय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि शासन सदन में दिये गये आश्वासनों के महत्व से समस्त हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स, जिलाधिकारियों को अवगत करा दें ताकि आश्वासनों की शीघ्रातिशीघ्र पूर्ति हो सके ।

---

†छापी नहीं गई ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णपालसिंह]

५—इस प्रतिवेदन के पृष्ठ सं० ४२ पर उल्लिखित तथा चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित आश्वासन सं० ३५ की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मेंटल तथा सरोजनी नायडू, अस्पताल आगरा के मुअत्तल किये गये एक कर्मचारी से सम्बन्धित है। आश्वासन देते समय १२ फरवरी, १९६४, को सदन में यह कहा गया था कि "कर्मचारी का प्रत्यावेदन सरकार के विचाराधीन है जिस पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक की टिप्पणी अभी अपेक्षित है।" इस विषय पर समिति को जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें भी आज तक यही बतलाया गया है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक से सूचना मांगी जा रही है।

६—यह आश्वासन जिस कर्मचारी से सम्बन्धित है वह सन् १९५६ में मुअत्तल किया गया था और उसका प्रत्यावेदन सरकार के विचाराधीन है। समिति को खेद है कि इतना समय यानी ९ वर्ष से भी अधिक अवधि व्यतीत होने पर भी इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

७—अन्त में, मैं इस समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो इस समय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अभ्युक्ति माननीय सभापति, आश्वासन समिति द्वारा की गयी, उससे यह मालूम होता है कि सरकारी विभागीय अधिकारी आश्वासन समिति को सूचनाओं को देने में और अन्य तरीकों से सहयोग देने में असमर्थ रहे हैं। साथ ही साथ अभ्युक्ति से यह भी प्रतीत होता है कि सरकार भी, जो आश्वासन इस आदरणीय सदन के समक्ष देती रही है, उसकी पूर्ति में विलम्ब होता है। अब उसमें अगर कोई अनिवार्य कारण है, तो वे अनिवार्य कारण सदन के समक्ष आने चाहिये और अगर अनिवार्य कारण नहीं है तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में तम्बीह करे कि समय पर सूचना व सहयोग दिया जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, अभी जो आश्वासन समिति के सभापति जी ने रपट पढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि ९-९ वर्षों से जो आश्वासन दिये गये थे उनकी पूर्ति पिछले साल तक नहीं हुई और श्रीमन्, आदरणीय लोक सभा में और हाउस आफ कामंस में आश्वासन की पूर्ति न होने पर अध्यक्ष ने सदन के अवमान की व्यवस्था दी है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप की नीति क्या है? अगर आश्वासनों की पूर्ति नहीं होती है तो आप क्या समझते हैं? मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसे अनिवार्य कारण थे जिनके परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ है तो वे सदन के सामने आने चाहिये। यह काल्पनिक प्रश्न हो जायगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन इस समय जो उचित समझा वह मैंने कह दिया। आगे फिर विचार हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह तीसरी बार है कि हाउस में उन्होंने इस प्रकार की राय जाहिर की है और आपने भी तीसरी बार इस प्रकार के आदेश दिये हैं तो हर वक्त वही बात दुहराई जाती है।

इसलिये इस पर आपकी ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि इस तरह की चीज फिर होती है तो आप क्या करेंगे ? इस का इसमें निश्चय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४–६५) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६४–६५) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

पायनियर के सम्पादकीय लेख में सदस्यों के प्रति की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में एक सूचना माननीय विजय सिंह जी ने भेजी है । 'पायनियर' अखबार का सम्पादकीय लेख है, उसमें जो वाक्यांश हैं जिन पर आपत्ति उठाई गई है, वे वाक्यांश इस प्रकार से हैं कि—

"Rarely do we come acros s a Legislator making a thorough study of these problems at least with relation to his own constituency and explaining them with facts and figures on the floor of the House."

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप इसका हिन्दी में भावार्थ कर दें । उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष अपने मुखारविन्द से अंग्रेजी पढ़ें, यह बड़े दुख की बात है और आपने पहले जो व्यवस्था दी थी उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, जिस वाक्यांश पर आपत्ति उठाई गई है वह मूलतः क्या है, वह सदन के सामने आना चाहिये । अभी जो वाक्यांश मैंने पढ़ा था उसका तात्पर्य यह है कि हम शायद ही कभी ऐसे किसी विधायक को पाते हैं जो कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बंधित उन समस्याओं को पूर्ण रूपेण अध्ययन करके सदन में पूर्ण तथ्य सहित रखता हो । प्रायः ऐसे सदस्य नहीं हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में पूरा अध्ययन कर सकें ।

मैं आदरणीय सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि अगर समाचारपत्रों में कोई ऐसी बात छपे जिससे किसी व्यक्ति विशेष का निरादर होता हो या असम्मान होता हो या उस समाचार पत्र की नीयत रही हो कि किसी व्यक्ति विशेष को अनादर का पात्र बनाया जाय तो हम उसे आपत्तिजनक समझेंगे । रहा यह कि अगर समाचार पत्र हम लोगों को, हम लोगों के कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हैं, तो अनुचित नहीं है और कम से कम सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाना चाहिये । यह चीज ऐसी है माननीय विजय सिंह जी, आप से भी निवेदन करूंगा कि जब हम लोग सदन के अन्दर बैठ कर बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक प्रत्येक विषय के ऊपर आजादाना तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो समाचार पत्र की यह उपेक्षणीय बात है ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह पायनियर तो जैपुरिया का अखबार है, यह हमको गाली देता ही है, इधर हमें ध्यान नहीं देना चाहिये ।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

मुझे एक ही निवेदन करना था कि जो मैंने उद्धरण दिया है, उसके पूर्व यह भी लिखा है कि यहां पर मेम्बर्स गवर्नर के ऐड्रेस करने पर बॉयकाट करते हैं और अन्य टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपके ५२ से ६२ के निर्णय के संबंध में ३१६ पेज पर यह निर्णय हो चुका है। तो बदनामी वगैरह या किसी सदस्य को जनता की निगाह में गिराने का प्रयत्न करना, यह बात उस कार्य के संबंध में होनी चाहिए कि जो सदन में एक प्रतिनिधि की हैसियत से, वे करते हैं। यदि ऐसा किया, तो विशेषाधिकार की अवहेलना अपराध हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

अगर नीयत ऐसी है कि हमारे ऊपर, हमारे अपमान के लिये कोई कुछ करता है तो. . .

श्री विजय सिंह—

आप इसे विशेषाधिकार समिति को दे दें, अगर आपको कुछ शक है, उस कमिटमेंट के संबंध में, तो आप इसको विशेषाधिकार समिति में भेज दें। फिर अगर वह समिति समझती है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है, तो हम प्रेस नहीं करेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जनरल कहा गया है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब किसी माननीय सदस्य का नाम न लिया हो और सबके लिए कहा गया हो, तो माननीय सदन का अपमान होता है, जैसे कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ११७ पर है, कि अगर किसी सदस्य का नाम लेकर नहीं, बल्कि साधारण तौर पर आक्षेप किया है, तो हाउस का अपमान माना जायगा।

श्री विजय सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपका जो आदेश होगा शिरोधार्य है, लेकिन हमारी एक बात सुन लें. . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी भावना का आदर करते हुए भी आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा इसी में है. . . . .

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)

अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना आप से है कि प्रेस लिबर्टी आपने इसलिए दी है कि प्रेस ने अपोजीशन के मेम्बरों को बदनाम करने की कोशिश की है और सरकार की तारीफ की है। इसमें लिखा है—

"Moreover in the past certain opposition parties failed to give a good account of themselves whenever the State faced a crisis. Some of them are still known more for their ability to create scenes in the legislature than for a constructive work."

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह जी, यह ठीक है कि इधर के बैठने वाले अपोजीशन के हैं और उधर के बैठने वाले सत्तारूढ़ दल के लोग ह, लेकिन जहां सदन का सवाल है, वहां सब एक हैं। जहां आपका अपमान हो, वहां हमारा अपमान है, जहां उनका अपमान हो, तो हमारा अपमान है, इसको

मानना पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि हमें बहुत टची नहीं होना चाहिये, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं.....

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उन्होंने जो कहा है वह ठीक ही तो कहा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, 'टची' शब्द भी क्या हिन्दी है ?

श्री अध्यक्ष—

आप हिन्दी उसकी बता दीजिये तो मैं उसका प्रयोग करूं।

कुछ सदस्य—

छई-मुई।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

जालौन जिले में अध्यापक समर्थक छात्रों के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आदरणीय विरोधी दल के नेता का सिर्फ एक कामरोको प्रस्ताव आया है। जो आदर नेता विरोधी दल को मिलना चाहिये, उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि मैं आपको बता दूं, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, वह किस सम्बन्ध में है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने उसमें यह शिकायत की है कि शिक्षकों के प्रदर्शन पर जालौन जिले में लाठी चार्ज हुआ जो साधारण प्रशासनिक सिलसिले में ....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

नहीं श्रीमन्, छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, जो कि अध्यापकों की सहानुभूति में था और अध्यापक समर्थक था, उस पर लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, ठीक आप कहते हैं वह अध्यापक समर्थक प्रदर्शन था। तो मेरा निवेदन यह था कि मेरा निश्चित मत यह रहा है कि साधारण प्रशासन के सिलसिले में यदि कोई बात स्थानीय अधिकारियों के द्वारा होती है तो उसके ऊपर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता। नेता विरोधी दल इस सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं।

श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)—

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आप मेरी एक बात सुन लें। अध्यापकों वाली नहीं छात्रों वाली बात है और उसमें दो छात्र सर्वश्री रामधान सिंह व राजेन्द्रसिंह लाठी चार्ज में गिरफ्तार

[श्री शारदाभक्त सिंह]

भी किये गये जो कि परीक्षा में बैठने वाले थे, यह भी सूचना में है। इसलिये यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों को देखते हुये इसे लिया जाना जरूरी है। इन दिनों में यदि दमनकारी नीति सरकार की ओर से अपनायी जायगी तो यह ठीक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त २ दिनों से नगर में हड़ताल भी हो रही है। इसको देखते हुये इसके ऊपर कम से कम नियम ५२ के अन्तर्गत एक स्टेटमेंट ही दिलवा दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

वह छात्र बन्द हैं, वह क्यों बन्दी बनाये गये? यह बड़ा आवश्यक है। इस पर श्रीमन्, वक्तव्य अवश्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। अगर मैं किसी भी कामरोको प्रस्ताव को समझूंगा कि नियमानुकूल है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं उसके लिये समय दूं तो मैं सरकार से प्रश्न पुछवा सकता हूं। यदि मैं समझता हूं कि वह नियम के अन्तर्गत नहीं आता, लेकिन चूंकि वह नेता विरोधी-दल का था, जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं तो यह होना चाहिये। इसमें मैंने यह भी बता दिया है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

छात्रों पर लाठीचार्ज का विषय, यदि आप देखेंगे तो कामरोको प्रस्ताव में भी है और हमें जानकारी हुई है कि हर वर्ष प्राइवेट लड़कों से एक फोटो ली जाती थी और इस वर्ष २ ली जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन यह है कि आप उसीमें, जो नेता विरोधी दल का प्रस्ताव है, जिसे आप कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं स्वीकार कर रहे हैं, शामिल कर लिया जाये। परीक्षा अति निकट आ रही है, अगर सरकार के अधिकारी भी काम करते हैं अध्यापकों के स्थान पर तो अंततोगत्वा वह सरकार की जिम्मेदारी आती है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और उससे जो स्थिति पैदा हो सकती है, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। तो यह जरूरी है कि सरकार की हालत मालूम हो जाय कि वह क्या करना चाहती है और आगे क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कर दीजिये, नेता विरोधी दल ने सब कह दिया है।

श्री नेकराम शर्मा—

आप श्रीमन्, इतना अवश्य कर दीजिये कि मुख्य मंत्री महोदय इस पर अपना बयान दे दें। आपने माननीय विरोधीदल के नेता को इतना सम्मान दिया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से भी पूछ लीजिये।

श्री शारदाभक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था क्योंकि इसमें २, ३ दिन के बाद परीक्षायें आरम्भ होने वाली हैं और इसका असर सारे प्रान्त पर पड़ेगा लेकिन आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं यह समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे सारा प्रान्त आन्दोलित है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम सदन का त्याग करें। इसलिये हम सदन का ५ मिनट के लिये त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा—

छात्र और अध्यापकों की बेचेनी को देखते हुए हम भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह अनुभव करता हूं कि इस समय सरकार को इस पर जरूर कोई वक्तव्य देना चाहिये क्योंकि अध्यापकों के अन्दर बेचैनी फैलती चली जाती है । उसका हल निकालने के लिये सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है । इसलिये हम भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, हम भी ३ बजे तक के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(रिपब्लिकन दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया ।)

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों से फोटो जमा करने के शासकीय आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना मैंने स्वीकार की है वह मा० शिवनाथ सिंह, मा० राधेश्याम, मा०, उग्रसेन, मा० काशीनाथ मिश्र, मा० गया प्रसाद के नाम से और मा० मुकुट बिहारी और मा० जगन्नाथ राव के नाम से है लेकिन इसमें मा० राधेश्याम और मा० काशीनाथ मिश्र की, सूचना में अधिक स्पष्ट है तो मैं उसको ही पढ़े देता हूं —

"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासकीय आदेश समस्त प्रधानाचार्यों को प्राप्त हुआ है कि दिनांक ११ मार्च, १९६५ से इन्टर मीडियेट व हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र दिनांक ८ मार्च तक दो फोटो सम्बन्धित प्रधानाचार्यों के पास जमाकर एक प्रमाणित फोटो अपने पास लेले । फोटो जमा न करनेवाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेंगे । शहर निवासियो को समाचार पत्रों द्वारा अत्यधिक विलम्ब से सूचना प्राप्त होने पर हजारों विद्यार्थी फोटो खिचाने हेतु परेशान भटक रहे हैं क्योंकि स्टूडियो इतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं कि शीघ्रता से फोटो खिचाई जा सकें । ऐसी अवस्था में समय से फोटो खिचा सकना सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा है ।"

माननीय मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

११ तारीख को दे देंगे ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमारे मथुरा जिले का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं एक ले चुका हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

नियम ५२ के अन्तर्गत तो आप ले चुके लेकिन हमारे जिले मथुरा में एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी है । दो अध्यापकों को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया है । मैं चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से आप जांच करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह हो चुका। मैं चाहता हूं कि यह जो मैंने स्वीकार किया है इस पर ११ तारीख को नहीं बल्कि इस पर कल या परसों स्टेटमेंट हो जाय क्योंकि ११ तारीख को परीक्षा है। उसके पहले ही हो जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

परसों सुबह ही दे दिया जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मथुरा की घटना की भी आप जांच करा दें।

श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

हमारे यहां का भी प्रश्न बड़ा आवश्यक है .....

श्री अध्यक्ष—

वह सब हो गया है।

सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित मुख्य सचिव के परिपत्र के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

सर्वश्री नेकराम शर्मा, नरसिंहनारायण पांडेय, और अन्य कुछ सदस्यों ने सरकार के कुछ गोपनीय आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और यह आरोप लगाया है कि इन आदेशों ने सरकारी कर्मचारियों के दिल में भय पैदा कर दिया है और उनके कारण वे अपनी उचित मांगें पूरी करवाने के लिये जोर नहीं दे सकते हैं। यह कि इन आदेशों का सरकारी कर्मचारियों पर और साथ ही उनकी ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यवाहियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और यह कि इस प्रकार के आदेशों से सरकारी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन्हें अपनी मांगें स्वीकार कराने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव ने मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही खुद अपनी ओर से नीति संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण मामले में आदेश जारी किये हैं ताकि सरकार बदनाम हो और जनता की नजरों में गिर जाय।

शुरू में मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की नीति अपने कर्मचारियों के प्रति सदा सहानुभूति तथा सर्वाधिक उदारता की रही है और रहेगी। सरकार की यह मंशा कतई नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों के दिलों में डर या खौफ पैदा करे या उन्हें नुकसान पहुंचाये, बल्कि इसके विपरीत सरकार तो स्वयं यह चाहती है और यह कोशिश भी करती है कि उसके कर्मचारी अच्छी तरह रह सकें और उन्हें अपने दिन प्रति दिन के जीवन में कोई परेशानी न उठानी पड़े। सरकार इस बात को मानती है कि आज जिस कदर भाव बढ़ गये हैं उनके कारण सभी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये जिनमें सरकारी कर्मचारी भी हैं एक कठिन परिस्थिति पैदा हो गयी है। इस स्थिति का मुकाबला सरकार दो प्रकार से कर रही है यानी भाव गिराने के उद्देश्य से अधिक उत्पादन करने के लिये विभिन्न उपाय करना और जखीरे-बाजी आदि रोकना तथा सरकार के पास उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों की आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता करना। सरकार वर्तमान वित्तीय संकट के बावजूद अपने कर्मचारियों को कुछ अन्तरिम सहायता दे चुकी है। उसने एक वेतन अभिनवीकरण समिति स्थापित की है और उसकी सिफारिशों पर जो जल्दी ही सरकार को प्रस्तुत की जायंगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार द्वारा अधिक से अधिक ध्यान दिया जायगा। सरकार जल्दी ही उपभोक्ता भंडार खोलने जा रही है जहां से सरकारी कर्मचारी उचित मूल्यों पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें खरीद सकेंगे।

मैं पुनः विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों से पूरी सहानुभूति है और वह उनके कल्याण के लिये हर सम्भव उपाय करेगी। परन्तु इन सब बातों के साथ-साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी ध्यान में रखनी है और वह है अनुशासन का प्रश्न। अनुशासन 'एक ऐसा गुण है जिसका आदर हर कोई करता है चाहे वह सरकारी संगठन हो, निजी व्यवसाय हो, राजनीतिक दल हो अथवा यह माननीय सदन हो। अतएव सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह इस बात को देखे कि उसके कर्मचारी अनुशासन में रहें। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता प्रदान की है जो उनकी शिकायतों को दूर करने का सही जरिया हैं। ऐसे संगठनों की बात पर हमेशा यथासंभव ध्यान दिया जाता है किन्तु सरकारी कर्मचारियों की ऐसी कार्यवाहियों पर जो उनकी आचरण नियमावली के विरुद्ध हों और जिनका पालन करने के लिये उन्होंने प्रतिज्ञा की हो, उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये विवश हो जाती है। मुख्य सचिव के सम्बंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक अवसरों पर इस सदन के सामने इस बात पर जोर दिया गया है कि सदन में ऐसे व्यक्तियों की आलोचना करना उचित नहीं है जो यहां पर अपनी सफाई नहीं दे सकते। तथापि सदन की सूचना के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि मुख्य सचिव के खिलाफ लगाये गये आरोप बिलकुल गलत हैं। मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि किसी मामले में सरकारी आदेश हमेशा सभी उपयुक्त स्तरों पर पूरी तौर पर और सावधानी के साथ विचार करने के बाद ही जारी किये जाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली (नियुक्ति) ख–१९५६ के नियम ५(क) के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिल्ले लगाना, प्रदर्शन तथा हड़ताल करना, जलूस का संगठन करना, पोस्टर लगाने आदि के सम्बन्ध में २७ जून, १९६० को एक गोविन्दनारायण आई० सी० एस०, भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी ने एक परिपत्र जारी करके सारी असोसिएशंस को मान्यता प्रदान कर दी, तो आज जब सरकारी कर्मचारी शान्तिमय तरीके से अपनी मांग रखना चाहते हैं तो इस परिप के निकालने के कारण क्या हैं जबकि भूतपूर्व परिपत्र अभी जारी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने यह तो नहीं कहा कि परिपत्र हमने निकाला या नहीं निकाला, हमने जो नीति थी वह बता दी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार ने यू० पी० ट्रेड यूनियन ऐक्ट, कांस्टीट्यूशन की धारा ३९ जिसके अन्दर हर आदमी को, समान पद वाले को समान वेतन मिले उसको ध्यान में रखते हुए आपने मान्यता भी दी, तो मैं जानना चाहता हूं कि....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी शान्तिप्रपन्न जी ने कहा कि हमने यह तो कहा ही नहीं कि सर्कुलर निकला या नहीं, तो जब तक वह स्वीकार न कर लें कि ऐसा कोई गुप्त सर्कुलर निकाला गया है तब तक आप क्या इस पर क्वेश्चन या बहस करा सकते हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं कहता हूं कि जब सरकार ने इन्कार भी नहीं किया है तो जरूर माना जायगा कि ऐसा सर्कुलर निकाला गया ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने न तो इन्कार किया, न कबूल किया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

प्रश्न यह है कि क्या यही उत्तर देने का तरीका है ? अगर ऐसा ही उत्तर है तो हटिये कुर्सी से ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जिस समय यह आपकी सेवा में इन माननीय सदस्यों ने भेजा तो उसकी कोई प्रामाणिक प्रति भेजी थी अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह लगी हुई है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बताना जनहित में नहीं होगा । कोई परिपत्र जो गोपनीय है वह गोपनीय ही रहता है । उसको सामने रखना जनहित में नहीं होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

लोक सभा में माननीय कामथ ने सी० बी० आई० की कानफिडेंशियल रिपोर्ट सदन में पेश कर दी और हुकुमसिंह जी माननीय स्पीकर, ने उसको मान्य माना था. . . .

श्री अध्यक्ष—

वह तो गोपनीयता की बात कर रहे हैं । कोई गोपनीय पत्र जारी हुआ है उसको वह कबूल नहीं करना चाहते हैं । गोपनीय पत्र के सम्बन्ध में आप (मंत्री जी) कोई बयान नहीं देना चाहते हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उन्होंने यह नहीं कहा था कि बयान नहीं देना चाहते, आप उसको संभाल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यही कहा था । उन्होंने कहा कि यह मैं बताना नहीं चाहता कि कोई गोपनीय पत्र जारी हुआ या नहीं ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस बारे में और कोई सूचना देना उचित नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं समझता हूं इस प्रकार के जवाब वह नहीं दे सकतीं, जबकि एक परिपत्र की कापी प्रस्तुत कर दी गयी है । लोक सभा में भी इसी प्रकार के सवाल पर अध्यक्ष की रूलिंग है कि

या तो सरकार डिनाई करे या उसको एक्सेप्ट करे। तो यहां भी या तो वह डिनाई करें कि यह परिपत्र हमारा नहीं है या कहें साफ-साफ कि है। अगर डिनाई नहीं करतीं तो जाहिर है कि हम सवाल पूछेंगे और उनको उसका जवाब देना होगा।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि इस सम्बंध में और सूचना देना जनहित में नहीं है। अब सवाल यह है कि पत्र जारी हुआ है, जो मैं समझा हूं, वह गोपनीय है ..... (व्यवधान) पत्र नहीं जारी हुआ ? क्या इससे भी इन्कार करती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गोपनीय पत्र है, जारी हुआ है या नहीं, यह न कनफर्म करूंगी, न डिनाई करूंगी।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

अगर माननीय सुचेता जी को हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा दे दें।

श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)—

जब कोई परिपत्र है, आपके पास उसकी प्रमाणित प्रति भेजी गयी है तब माननीया मुख्य-मंत्री का यह कहना कि नहीं बताऊंगी कि ऐसा है या नहीं, यह लोकतंत्र के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। जबकि प्रश्न इस सदन के सामने है, मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह से सवालों का कोई हल नहीं होता, जो सरकार की स्थिति है उसे स्पष्ट सामने रखना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो नेकराम शर्मा जी ने पत्र रखा है वह गोपनीय पत्र है तो उसके बारे में माननीया मुख्यमंत्री जी से पूछें कि वह पत्र क्या है ? वह आथेंटिक है या रद्दी कागज है ? उसके बारे में आपकी क्या राय है और मुख्यमंत्री की क्या राय है ? उसकी आथेंटिसिटी, प्रामाणिकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय नरसिंहनारायण जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसके साथ उन्होंने एक प्रतिलिपि संलग्न की थी। उसके बारे में वह कहते हैं कि यह पत्र जारी हुआ। वह सूचना मय उस पत्र के मैंने सरकार को भेज दी है। आज सरकार का कहना यह है कि हम कोई बयान नहीं देना चाहते कि वह पत्र है या नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मुख्य मंत्री न डिनाई करती हैं, न कनफर्म करती हैं। आज से कई दिन पहले आपने मुख्य मंत्री के पास जानकारी प्राप्त करने के लिये यह प्रश्न भेज दिया था। चूंकि वह इस स्थिति में नहीं हैं कि इसे डिनाई करें या कनफर्म करें, यह बड़ी दयनीय स्थिति है और लज्जा जनक है।

श्री उग्रसेन—

आपने क्या समझकर सरकार के पास वह पत्र भेजा, हम यह जानना चाहते हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सदन के समक्ष एक परिपत्र आ चुका है और सरकार ने स्वयं बयान भी दे दिया है तो वह गोपनीय नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि एक पत्र रखा गया और मुख्यमंत्राणी ने अपना बयान भी दे दिया तो वह गोपनीय रहा या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---

एक परिपत्र जिसको आथेंटिक कह करके माननीय सदस्य ने दिया, वह आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आपने महत्ता को समझा कि जो प्रश्न उठाया गया है वह गम्भीर है और महत्ता को समझ करके ही उसपर अपनी स्वीकृति दी और सरकार से कहा कि सरकार उसपर बयान दे। तो अब मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री यह कह दें कि यह सर्कुलर गोपनीय है और इस संबंध में कोई बयान देना मेरे लिये संभव नहीं है अन्यथा सही सही उत्तर दें, यह चीज समझ में आ सकती है। लेकिन अब स्थिति दूसरी पैदा हो गयी है। एक परिपत्र को गोपनीय कहकर माननीय सदस्य ने प्रस्तुत कर दिया है और आपने सरकार को उस पर बयान देने के लिये आदेश दिया है, अब जब तक सरकार उसको डिनाई न करे वह सर्कुलर सरकार का ही माना जायेगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक हित में उस पर कुछ कहने से इनकार करती है, मगर कुछ प्रश्नों को पूछने का हमें अधिकार होना चाहिये। मेरी प्रार्थना यह है कि आप सरकार को मजबूर करें कि वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस परिपत्र को कापी दी गयी है वह प्रमाणित है ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष की यह व्यवस्था है कि किसी भी गोपनीय दस्तावेज के लिये अगर वह किसी माननीय सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, तो उस पर जवाब देने के लिये सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

मेरा कहना यह है कि हम सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि वह जवाब दे ही। अगर यह सर्कुलर निकला है तो वह बहुत अच्छा सर्कुलर है।

श्री रामायण राय---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ३९ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं कि "यदि मंत्री की राय यह हो.....

श्री अध्यक्ष---

यह क्या पढ़ रहे हैं आप ?

श्री रामायण राय---

मैं यह नियम ३९ (३) पढ़ना चाहता था। इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री यदि किसी प्रश्न का उत्तर लोक हित में नहीं देना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, उत्तर न देने का उनको अधिकार है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरा अधिकार है कि वे कह दें कि किसी गोपनीय परिपत्र के कन्टेन्ट्स को वे नहीं बताना चाहतीं, लेकिन माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा ने अभी एक वक्तव्य पढ़ दिया। अगर वह गुप्त था तो सीधे यह बयान हो जाता कि वह चूंकि गुप्त है, लिहाजा उस

पर कोई बयान देना पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं होगा । लेकिन उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ दिया । जब एक वक्तव्य दिया गया है तो माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे प्रश्न करें । अब आपको यह निर्णय करना है कि आप प्रश्न करने देंगे या नहीं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता था । जो श्री नरसिंह पांडेय ने के० के० दास का सर्कुलर दिया है क्या उसमें के० के० दास के दस्तखत हैं या नहीं ? अगर उसमें के० के० दास के दस्तखत हैं तो माननीया कृपालानी को स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह सर्कुलर जारी हुआ है । वाद विवाद का उत्तर जनहित में चाहें न दें । जारी होने या न होने का भी उत्तर न देना गलत है ।

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, इतना बतलाना भी कि यह गोपनीय है, जारी हुआ है या नहीं हुआ है, यह गोपनीयता को भंग करना है । अगर सरकार के दृष्टिकोण में कोई विषय गोपनीय है, अगर वह जारी भी किया गया हो, तो इतना भी नहीं बताया जा सकता कि गोपनीय है या नहीं । जहां तक लोक सभा अध्यक्ष के विनिश्चय की चर्चा की जाती है,उसमें किसी भी माननीय सदस्य को, जो यह दावा करे कि यह गोपनीय पत्र है, जारी किया गया है, तो वह सदस्य उसको प्रस्तुत करने से रोका नहीं जा सकता । बस इतनी ही लोक सभा सम्बन्धी बात है । इस आधार पर, कि उसके सम्बन्ध में जानकारी है और जारी किया गया है, सरकार को विवश नहीं किया जा सकता कि वह गोपनीयता को भंग करे ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---

श्रीमन, इस सम्बन्ध में मैं एक पहिले की बात बताना चाहता हूं । मुझे समय तो याद नहीं परन्तु हां, उस समय अविश्वास का प्रस्ताव हो रहा था और उस समय के चीफ सेक्रेटरी का सर्कुलर, जिसमें उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्टीवीटीज में भाग लेने वाले कर्मचारियों को निकाल दिये जाने का हुक्म दिया था, निकला था । उस सर्कुलर पर उस समय के मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया था और कारण यही लिया गया कि सदन में एक परिपत्र पेश कर दिया था । तो इस तरह उसकी गोपनीयता और अगोपनीयता का प्रश्न ही नहीं उठता । चूंकि उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जा चुका है इसलिये अब वह एक पब्लिक प्रापर्टी होगी । वह सदन के सामने है और उसे उसी परम्परा के अनुसार यहां पढ़ दिया जाय ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मैं इस सदन के सन्मुख यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अपने आप को एक समाजवादी सरकार कहती है । उसने घोषित किया है कि उसका लक्ष्य देश में समाजवाद को कायम करना है, और एक समाजवादी व्यवस्था में अधिकाधिक लोग सरकारी कर्मचारी बनते चले जावेंगे । न केवल कार्यालयों में बल्कि फैक्टिरियों, खेतों और अन्य व्यवसायों में भी उस प्रकार से जब सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र बढ़ता चला जावेगा और बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का कर्मचारियों के प्रति क्या रवैया है यह गोपनीय न होकर जनहित का विषय बन जाता है । ऐसी स्थिति में अधिक लोग इन्टेरेस्ट भी रखते हैं । चाहे सरकार प्रश्न का उत्तर न दे, उसको अधिकार है परन्तु मैं माननीया मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये उचित यही है कि वह इस बात को स्पष्ट कर दें कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति क्या रवैया अपनाती है ? श्रीमन्, यह गोपनीयता का विषय नहीं माना जा सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लोक सभा में माननीय कामथ ने, जिस पत्र को गोपनीय कहा गया था, उसको पेश कर दिया, उस पर लोक सभा के अध्यक्ष ने कोई आदेश सरकार को उसके बारे में जवाब देने के लिये नहीं दिये थे । लेकिन यहां माननीय नेकराम शर्मा जी ने जो सर्कूलर पेश किया, उसके बारे में आपकी तरफ से सरकार को यह आदेश जारी कर दिया गया कि वह उसके बारे में जवाब दे । यह स्थिति लोक सभा में नहीं थी। अगर यहां भी आप उसको अपने पास रख लेते तब तो मैं माननीय सुचेता जी का जवाब मानने को तैयार हो जाता । लेकिन आपने उसको लेकर सरकार को आदेश दे दिया । अब तो सरकार के सामने यह स्थिति हो गई है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करती है या नहीं ? उस परिपत्र की प्रामाणिकता उसकी राय में है या नहीं ? वह सरकार की तरफ से निकाला गया है, दास साहब के दस्तखत से निकाला गया है या माननीय नेकराम शर्मा ने अपने घर से टाइप करा कर यहां पेश कर दिया है। जब आपने उसको नियम ५२ के अन्तर्गत मंजूर कर लिया, फिर उसका जवाब देने से सरकार कैसे मुकर सकती है ?

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यहां कई चीजें एक साथ मिला दी गयी हैं । प्रश्न यह है कि एक परिपत्र की कापी आप के सामने पेश की गयी और कहा गया कि इस प्रकार का एक परिपत्र सरकार की तरफ से निकाला गया है । आपने दफा ५२ में उसको स्वीकार कर लिया । उस संबंध में माननीय उपमंत्री जी ने सरकार की नीति की घोषणा कर दी कि अपने कर्मचारियों के बारे में उसकी क्या नीति है ? लेकिन यह परिपत्र जारी हुआ है या नहीं हुआ, वह परिपत्र की कापी है या नहीं, इस पर सरकार अपनी कोई राय जाहिर करना नहीं चाहती ? जिस प्रकार माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है उसी प्रकार सरकार को उस प्रश्न का जैसा जवाब चाहे दे, इसका अधिकार है। इस सरकार का कहना यह है कि वह गोपनीय चीज है इसलिये उस संबंध में सरकार कुछ बताना नहीं चाहती कि ऐसा कोई परिपत्र उसके द्वारा जारी किया गया है या नहीं। जो कापी पेश की गयी है उसकी आथेन्टिसिटी को भी बताने को वह तैयार नहीं है । फिर सरकार को यह किस प्रकार से मजबूर किया जा सकता है कि कोई परिपत्र उसने इश्यू किया या नहीं मैं कतई इस बात को मानता हूं कि सरकार जनहित में किसी चीज को बताना ठीक नहीं समझती तो यह उसका प्रिविलेज है।

श्री उग्रसेन—

माननीय नवल किशोर जी ने माननीय काशीनाथ का जवाब दिया । माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि एक प्रश्न को आपने ले लिया और उस पर सरकार को आदेश दे दिये । अब अगर सरकार उसका उत्तर देने से इंकार करती है तो इसमें आपका अवमान होता है, आपके आदेशों का उल्लंघन होता है और अगर सरकार जवाब देती है तो माननीय दास साहब का हुक्म सामने आ जाता है । इस समय सरकार की गति सांप छछूंदर जैसी हो गयी है । इस संबंध में माननीय नवल किशोर जी, रामायण राय और केशभान राय की वकालत काम नहीं आ रही है । मैं आपकी तारीफ करता हूं और वक्त पड़ने पर अक्सर किया करता हूं कि माननीय हुकुम सिंह ने तो आदेश नहीं दिया लेकिन आपने सरकार को आदेश दे दिया । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अब जवाब दे और दूसरे लोगों की वकालत का सहारा छोड़ दे ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जहां तक उस पत्र की गोपनीयता का प्रश्न है, मैंने उसको उस रोज सदन की मेज पर दफा ५२ के अन्तर्गत रख दिया था ६०–६१ में २७ जून को एक परिपत्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री के सचिव की ओर से अपने ५ लाख कर्मचारियों के लिये, कर्मचारियों की आचार नियमावली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अन्तर्गत उनके द्वारा होने वाले प्रदर्शन, अनुशासन आदि के बारे में जारी किया गया था। आज उसी के अन्तर्गत आपने तमाम डिपार्टमेन्टस के जितने कर्मचारी थे या उनकी संस्थायें थीं उनको मान्यता दे दी है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने उस पत्र को इस सदन में पढ़ कर सुनाया और उसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया, उसके बाद एक ऐसा पत्र जिस पत्र से सरकार की अवस्था प्रदेश के कर्मचारियों के अन्तर्गत खतम हो जाती है, एक विचारणीय प्रश्न सरकार के लिये भी हो जाता है और हमारे लिये भी हो जाता है। यह बात सही हो सकती है, कि सरकार का यह हक है, यह अधिकार है कि किसी कांफिडेंशियल पत्र के बारे में वह जवाब दे या न दे, उसे स्वीकार करे या न करे। इसका पूरा अधिकार होना चाहिये। अगर माननीया मुख्य मंत्री समझती हैं कि यह उनका अधिकार है तो उस अधिकार का सदुपयोग करें। लेकिन जहां तक इस परिपत्र का प्रश्न है, जहां तक इसके प्रसारण का प्रश्न है और तमाम विभागीय अध्यक्षों को इसकी सूचना देने का प्रश्न है, मैं माननीया मुख्य मंत्री से बाअदब निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको इसमें स्वीकृति है तो इसको बतलायें और अगर नहीं जानती हैं तो आप इस पर कार्यवाही करें और जांच करें कि आपकी बगैर जानकारी के ऐसा क्यों किया गया? इसका कोई सवाल नहीं है कि आप वक्तव्य दें या वक्तव्य न दें। अगर आप इसको कांफिडेंशियल समझती हैं तो वक्तव्य न दें लेकिन जांच करके इस पर उचित कार्यवाही करें। मैं आप से निवेदन कर दूं कि इस तरह से शासन नहीं चल सकता है जिस तरह से कि आज एक अधिकारी जो तानाशाही के तौर पर काम कर रहा है, इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया है, उसे वह समझती है कि उन्होंने अपने अधिकारों के अन्तर्गत ही किया है और उनसे सरकार कोई बुरा नहीं मानती है?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जब आप बहस करा रहे हैं तो हमलोगों को भी सुन लें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सवाल का जवाब हो जाने दें।

श्री उग्रसेन—

सवाल के उत्तर में मैं समझता हूं कि आपकी व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं आपको बतला दूं। अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन जो अप्रैल, १९५२ से ६ मार्च, १९६२ तक का है उसके पृष्ठ १२३ के नं० ९३ पर जो निर्णय है वह इस प्रकार है कि "मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर जनहित में देने से इनकार कर सकते हैं।"

तो जनहित का जहां तक प्रश्न है उसपर हम निर्णय नहीं दे सकते। सरकार चलाना या प्रदेश का प्रशासन सरकार के हाथ में है। कौन कौन सी बातें ध्यान में रख कर सरकार कार्य

[श्री अध्यक्ष]

करती है, इसको जानने का हमें अधिकार नहीं है। यह तो आप प्रक्रिया नियमावली के नियम २९ (१५) में देखें जिसमें दिया हुआ है—

"उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायगी जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय"।

अभी विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, जो पढ़ा, वह तो यहां असंगत है लेकिन हमको इस बात से एक संकेत मिलता है कि इस नियम के अन्तर्गत जिन बातों को सरकार गोपनीय कहे जिस का उसको अधिकार है, उसे हम खंडित नहीं कर सकते, जैसा कि माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने कहा। सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है यदि वह अपने आचार या व्यवस्था के संरक्षण के लिये उन बातों को न रखे ताकि जनता में उनका आदर हो। यदि कोई बात जनहित में न हो तो उनको अधिकार है कि वह उसको न रखें, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्तोगत्वा राज्य संचालन का कार्यभार उनपर है, इसलिये नियम यह है कि मंत्री इन्कार कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनहित में उत्तर नहीं दे सकते . . . ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरी बात जरा पहले सुन लें . . . ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं, अभी आप बैठें, काफी सदस्य बोल चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

हम अगर दोहरायें तो आप कहें, मुझे नयी बात कहनी है. . . .

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, जब आप व्यवस्था दे रहे हैं तो बीच में क्या कोई सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहित संकलन के पृष्ठ १४८ पर माननीय अध्यक्ष, श्री खेर साहब ने व्यवस्था दी थी कि "जब मंत्री लोग कांफिडेंशियल कहते हैं तब पबलिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इसी आधार पर वे डिबेट में पूरा डाकूमेंट देने से इनकार कर सकते हैं।" इसी प्रकार सन् ३७से३९ के बीच एक बार माननीय टंडन जी ने भी कहा था कि यह पूर्णतः अधिकार सरकार का है कि वह किसी विषय को जनहित में गोपनीय समझे तो उत्तर देने से इनकार कर दें। तो सन् ३७ से आज तक मंत्रियों को यह अधिकार रहा है कि अगर कोई प्रश्न किया जाय तो वह कह सकते हैं कि जनहित की दृष्टि से इसे गोपनीय समझ कर उत्तर नहीं देना चाहते। उसके लिये उन को हम मजबूर नहीं कर सकते। दूसरे अगर आप माननीय टंडन जी के निर्णयों को पढ़ें तो उन्होंने यहां तक कहा है कि सरकार को अधिकार है कि वह जिस प्रकार चाहे उत्तर दे, हम उन्हें मंजबूर नहीं कर सकते कि इस प्रकार से उत्तर दिया जाय। प्रश्न और उत्तर दुनिया के सामने जाते हैं, दुनिया इन को आंकती है, तोल सकती है और कह सकती है यह गलत है या सही है। तो यह सरकार को अधिकार है, अब यह विषय समाप्त, प्रश्न आप कर सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखते हुये जो प्रदर्शन अभी तक किये हैं उनको वह औचित्यपूर्ण समझते हैं ?

*श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कान्डक्ट रूल्स सन् ५६ में बनाये गये थे और जो सुधार उन में सन् ६३ तक किये गये हैं उन के नियम ७ की ओर मैं माननीय सदस्यगण का ध्यान दिलाऊंगी। यह सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ के ७वें नियम का उद्धरण है जो इस प्रकार है कि "सरकार की आलोचना--कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख्य में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसी तथ्य की बात या मत नहीं व्यक्त करेगा:--

(१) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

(२) जिस से उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार से आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो, या

(३) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो।"

वैसे सरकारी कर्मचारियों को कुछ अधिकार जरूर हैं अपने हकूक के लिये आन्दोलन करने के लेकिन वह सीमित हैं और वह इस नियम से सीमित हो रहे हैं कि वह इस तरह की आलोचना नहीं कर सकते जिस में सरकार के निर्णयों के प्रतिकूल आलोचना हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मेरा प्रश्न यह था कि इस समय तक जो कुछ कर्मचारियों ने किया है उस को क्या वह औचित्यपूर्ण समझती हैं, निश्चित उत्तर वह दें।

श्री अध्यक्ष--

यह तो राय का प्रश्न हो जायगा। उन्होंने तो नियम पढ़कर सुना दिया, अगर उसका उल्लंघन होता है तो औचित्यपूर्ण नहीं है और अगर नहीं होता, तो ठीक है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान २७ जून, १९६१ के उस प्रपत्र की तरफ गया है जो श्री गोविन्द नारायण, भूतपूर्व मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के नियम ४ के संबंध में निकाला गया था और जिसमें यह लिखा है कि बिल्ले लगाना, जलूस का संगठन करना, सार्वजनिक सभायें करना, पोस्टर लगाना, बुलेटिन बांटना और शिष्ट मंडल के द्वारा मिल कर समस्याओं का निराकरण करना आदि वैधानिक माना गया है। अतः जो सर्कुलर निकाला गया है.....

श्री अध्यक्ष--

आप यह पूछ लें कि वैधानिक माना गया है कि नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैंने पहले ही कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ अधिकार हैं और कुछ अधिकार नहीं हैं। कुछ सीमा के अन्दर वह अपने अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं और वह सीमा मैंने आप लोगों के सामने रख दी है उसी के अन्दर वह फंक्शन कर सकते हैं।

---

*तकता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगी कि जो आपने कहा कि उन्हें कुछ सीमा तक अधिकार है तो आपकी उस कुछ सीमा में प्रदर्शन, मांग-पत्र और जलूस आते हैं या नहीं ? यह "कुछ सीमा" क्या है उसे स्पष्ट करेंगीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सारी नियम की स्थिति है । उस सीमा के अंदर सरकारी कर्मचारियों ने अपने आपको कितना निर्धारित रखा है यह तो डिटेल जांच करने से पता चल सकता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री की सूचना में आज तक कोई ऐसी घटना आयी है जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने उस सीमा का अतिक्रमण किया हो?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर मैं छानबीन करूंगी तो बहुत सी आयेंगी ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान उच्चतम न्यायालय, दिल्ली ने बम्बई के एक केस में निर्णय दिया है उस तरफ गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शन करने, हड़ताल, जलूस निकालने के सब सर्वोच्च अधिकार इसलिये प्राप्त हैं क्योंकि संविधान में जो उनके निजी अधिकार दिये गये हैं वे उसमें निहित हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सभी प्रश्न किसी पृष्ठ भूमिका में पूछे जा सकते हैं, आउट आफ कंटेक्स्ट नहीं पूछे जा सकते । जो जजमेंट डिलीवर किया होगा उसकी कोई पृष्ठभूमि .....

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि आपने उसे पढ़ा है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने नहीं पढ़ा है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमको मौका दिया जाय जब इसको पढ़ लें तब सवाल करें ।

श्री कमलासिंह यादव—

जिस परिपत्र की नकल अध्यक्ष को दी गयी है, आपके पास भेजी है उसमें श्री के० के० दास के दस्तखत हैं कि नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां तक परिपत्र का संबंध है मैंने कह दिया कि इसको न मैं ऐडमिट करती हूं, न डिनाई करती हूं । परिपत्र के संबंध में कोई और बात मैं बोलने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

जिस सीमा का उल्लेख किया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सीमा सरकारी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों पर भी लागू है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन दोनों में अन्तर है । सरकारी कर्मचारियों पर कुछ ज्यादा बन्धन हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीया मुख्य मंत्री बतायेंगी कि उनकी जानकारी में यह बात आयी है कि बजट अधिवेशन में और बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ती हुई महंगाई और खाद्यान्न के भावों को लेकर अपनी उचित मांगों के संबंध में जो प्रदर्शन किया था उस संबंध में उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने और अपनी उन मांगों को पेश करने के संबंध में कुछ विभागाध्यक्षों ने कुछ से स्पष्टी-करण, नोटिस दे कर, मांगा था ? क्या यह ठीक है ? यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है यह आदेश देंगी कि वह नोटिस वापस लिया जाय और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसकी कोई डिटेल्ड जानकारी मेरे सामने नहीं है । लेकिन जो भी नोटिस दिए गये होंगे वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स में ही दिये गये होंगे ।

श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार इस बात की जानकारी करने की कोशिश करेगी कि यह जो गोपनीय पत्र हैं उनकी गोपनीयता अक्षुण रहे और सरकारी कर्मचारी उसको जाहिर न करें ? क्या सरकार यह भी जानकारी करेगी कि माननीय सदस्य इसे कहां से ले आये ? यदि इसकी चोरी की है तो कहां से यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने दिया है तो वह कौन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके ऊपर संपूर्ण जांच की जायेगी ।

श्री झारखंडे राय—

क्या माननीया मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन्हें इस बात की सूचना है कि जिस खाद्य संकट और मौजूदा महंगाई के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने एक सप्ताह तक प्रदर्शन किया तब से प्रदेश में और लखनऊ में भी बहुत से लखनऊ के विभागाध्यक्षों ने उनसे जवाब तलब किया और धमकियां दी हैं और कार्यवाहियां की जा रही हैं ? तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए क्या माननीया मुख्य मंत्री जी इस पर अधिकारियों से विचार विमर्ष करने को तैयार हैं कि इस प्रकार की कार्यवाहियां न हों ताकि कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आन्दोलनों से हटकर कुछ लोगों का कुछ तोड़फोड़ की तरफ उनका ध्यान न जाये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे खेद है । जो कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो उसको प्रतिज्ञा भी भरनी होती है और वायदे करने होते हैं । उन वायदों और प्रतिज्ञाओं के अन्दर ही काम करना होता है । उनके बाहर वे नहीं जा सकते हैं । मैंने पहले ही कहा है कि जो गवर्नमेंट सवन्ट्स होते हैं उन पर ज्यादा बाइंडिंग होते हैं वरना गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी । एक बात जो झारखंडे राय जी ने कही वह मुझे सुनायी नहीं पड़ी पर दूसरी बात जो यह कही कि ये लोग तोड़ फोड़ के लिये तैयार हो रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं कहा ।

श्री झारखंडे राय—

मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी किसी प्रिजुडिस से बात करती हैं । मैं इसका विरोध करता हूं । मैंने यह कहा है कि मैं चाहता हूं कि विभिन्न विभागाध्यक्षों से विचार विमर्श कर लें ताकि लोग गलत रास्ते पर न जायें ।

बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों को गल्ला देना बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरी दत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री उग्रसेन चन्द्रबली सिंह, कृष्णा तथा बांके लाल, सदस्यगण विधान सभा द्वारा दिये गये नियम ५२ की सूचना पर सरकार ने ऐसा कोई विशेष आदेश नहीं भेजा है जिसमें यह लिखा हो कि १ मार्च, १९६५ से बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की ७०० से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को गल्ला न देने को कहा गया हो । स्टाक की कमी के कारण संभव है कि केवल इन्हीं जिलों में नहीं अपितु प्रदेश भर की कई दूकानें सरकारी सस्ता गल्ले को बांटने में असमर्थ रही हों । ज्यों ही गल्ला उपलब्ध होगा, जहां जहां आवश्यकता होगी, वहां की दूकानें वितरण का कार्य पुनः आरम्भ कर देंगी । चूंकि चावल की लेवी गोंडा, बहराइच, बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में बन्द कर दी गयी है और ट्रांस रांप्ती क्षेत्र से चावल का आवागमन खोल दिया गया है इसलिये खुले बाजार में भी आमद बढ़ गयी है और भाव भी नीचे आये हैं । मक्का का आवागमन पहले से खुला था । अब मटर की फसल भी कट रही है । अतएव खुले बाजार में काफी गल्ला उपलब्ध है । यह बात ही है कि प्रदेश के देहाती क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानों के जब स्टाक में कमी होती है तो उसी स्थिति में गेहूं तथा आटा भेजना संभव होता है जब पहले नागरिक क्षेत्रों तथा बहुत ही कमी वाले देहाती क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है । चूंकि गेहूं के स्टाक का वितरण इस समय इस प्रकार से करना है कि आने वाली फसल तक वितरण का कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके और अत्यन्त आवश्यकता वालों को उपलब्ध हो सके । इसलिये जहां जहां पर अन्न पैदा होता है और बाजार में सुगमता से मिल सकता है वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानों में गल्ला भेजने में प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बस्ती देवरिया और गोरखपुर में एक मार्च, ६५ से पहले और बाद में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जितनी पहले थीं अब भी हैं । फर्क इतना है कि बट नहीं रहा है ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

श्री उग्रसेन—

इससे पहले कितनी दूकानों में बटता था और अब कितनी दूकानों में बटता है ?

श्री जगमोहनसिंह नगी—

इस संबंध में स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो बतलाऊंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन—

देवरिया शहरी क्षेत्र में १५९७८ मन गल्ले की मांग थी और देहाती क्षेत्र में ४९,००३ मन की, मगर मिला ३,२५० कुइंटल शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र में १९,००० कुइंटल। मार्च १ से पहले ४१५ दूकानें थीं और अब टोटल १४५ रह गयी हैं जबकि ९,१७,८४० यूनिट्स को गल्ला देना है, तो इस तरह से यह तिहाई गल्ला क्यों कर दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उग्रसेन जी को मुझसे ज्यादा मालूम होगा। खाद्य समितियों को अधिकार दे दिया गया है कि जिस क्षेत्र में जितना चाहें भेजें। दूसरे मुझे खुद देवरिया के संबंध में मालूम है कि वहां सस्ता गल्ला बिक रहा है बनिस्बत गोरखपुर के। वहां दो सेर की मटर बिक रही है और चावल डेढ़ सेर का बिक रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर, देवरिया और बस्ती तीन जिलों में पिछले एक महीने में मार्केट भाव क्या रहा है जिसके आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि राशन की दूकानों पर गेहूं अथवा दूसरे खाद्यान्न की कमी की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यह लिखा गया है कि जितना गल्ला भेजा जा रहा है वह सबमें वितरित कर दिया जाय। पोर्ट से आने में देर लगती है इसलिये समान रूप से वितरित किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक महीने पहले क्या बाजार भाव था और आज क्या बाजार भाव है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आपको खुद ही मालूम है कि मटर पहले ८५, ९० और १०२ रुपये क्विंटल थी लेकिन अब दो सेर की बिक रही है और चावल जो पहले १२ छंटाक, १४ छंटाक का बिकता था अब डेढ़ सेर का बिक रहा है।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

यह सूचना कि चावल १ सेर ८ छंटाक का बिक रहा है और मटर दो सेर की, गलत प्रतीत होती है। देवरिया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और वहां चावल १ सेर का तथा मटर सवा सेर की मिलना मुश्किल हो रही है तो क्या माननीय मंत्री अपनी सूचना की फिर से जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने अभी बतलाया कि लेवी हमने हटा ली है और ट्रांस राप्ती का एरिया खोल दिया है जिससे सब जगह से ज्यादा देवरिया में खाद्यान्न सस्ते हैं।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

जो बाजार भाव आपको मिला है वह कहां से मिला है, किस मार्केट से मिला है और किस तारीख को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आर० एफ० सी० और डी० एस० ओ०, बस्ती के जरिये सूचना मिली है और भानु प्रताप सिंह की शिकायत है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सूचना यह दी गयी थी कि राज्य की तरफ से कोई आदेश हुआ था कि दूकानों को गल्ला देना बन्द कर दिया जाय । माननीय मंत्री जी ने इंकार कर दिया है । उसके बाद भी मैंने काफी माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया है । अब यह प्रश्न समाप्त होता है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे शिकायत है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है । उन्होंने गलत सूचना दी है ।

श्री उग्रसेन—

यह मामूली मसला नहीं है । सारी बस्ती का चावल चीन चला जाता है । उनको कहां से इलहाम हो गया कि देवरिया में चावल तथा मटर इतना सस्ता हो गया है ? मैं खाद्य समिति में हूं । उससे पूछा तक नहीं गया । इसके लिये क्या वे कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? अगर वह दिखला दें कि २ सेर की मटर देवरिया में बिक रही है तो मैं असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये ।

श्री उग्रसेन—

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर गल्ला वहां नहीं भेजा जाता है तो बगावत की हालत हो जायगी और आपको भोगना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जायं । बार-बार खड़े क्यों होते हैं ?

सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा के डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

देश में व्याप्त राष्ट्रीय संकट की पृष्ठभूमि में डाक्टरों की कमी की पूर्ति हेतु मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने सन् १९६२ में यह सिफारिश किया कि एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की अवधि घटा कर साढे ४ वर्ष कर दी जाय और अंतिम परीक्षा के पश्चात् जो ६ या १२ महीने का वैकल्पिक प्रशिक्षण था, उसके स्थान पर १२ महीने की अवधि के लिये अनिवार्य "रोटेटिंग हाउस मेनशिप" की व्यवस्था की जाय । चूंकि स्टेट मेडिकल कौंसिल में एम० बी० बी० एस० पास छात्रों के अंतिम रजिस्ट्रेशन के लिये मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने उक्त रोटेटिंग हाउस-मेनशिप अनिवार्य घोषित कर दिया, अतः राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया कि मेडिकल कालेजों के पास होने वाले सभी छात्रों के लिये सिवाय उनको जो सेना की चिकित्सा सेवा में भरती हों, १२ महीने की अवधि के लिये "अनिवार्य हाउसमैनशिप" के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । तदनुसार उक्त योजना राज्य के मेडिकल कालेजों के पास होने वाले छात्रों के लिये अगस्त, १९६४ से लागू कर दी गई है । प्रत्येक हाउस अफसर को १०० रुपये प्रति मास की

दर से नियत वेतन, ४० रुपये प्रति मास मंहगाई भत्ता तथा जिन्हें निःशुल्क क्वार्टर नहीं दिये जा सके हैं, १० रुपये प्रति मास की दर से मकान का किराया भत्ता दिया जा रहा है। जो छात्र ५ वर्ष की अवधि का एम० बी० बी० एस० कोर्स पास किये हैं, उन्हें ६ माह का रोटेटिंग हाउसमैनशिप करना होगा और जो साढ़े ४ वर्ष अवधि का कोर्स पास करेंगे उन्हें १२ महीने का हाउसमैनशिप करना होगा।

उक्त योजना के चलाने में आगरा और कानपुर के मेडीकल कालेजों के छात्रों के लिये २२१ हाउस अफसरों के पदों की आवश्यकता थी। चूंकि आगरा, कानपुर और इलाहाबाद के मेडीकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में हाउस अफसरों के ११७ पद पहले से थे, अतः केवल १०४ नये पदों का सृजन किया गया किन्तु बाद में ज्ञात हुआ कि ऐसा करने से दो प्रमुख कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। एक तो यह कि जो ११७ पद पहले से उक्त अस्पतालों में थे, वह सब विशेष विभागों से संबंधित थे और जब उन्हें रोटेटिंग हाउसमैनशिप की योजना में ले लिया गया तो उसका यह नतीजा हुआ कि पहले जो हाउस अफसर एक विभाग में साल भर तक लगा रह कर मरीजों की सेवा पर समुचित ध्यान दे सकता था, वह विभिन्न विभागों में बारी-बारी से थोड़े समय के लिये काम करने के कारण मरीजों की देख भाल उचित ढंग से न कर पा रहा था। दूसरी कठिनाई यह थी कि रोटेटिंग हाउसमैनशिप पोस्ट ग्रेजुयेट कोर्स में भरती के लिये मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि उक्त कोर्स में भरती के लिये एक ग्रेजुएट को साल भर तक उस विषय में हाउस जाब करना जरूरी है जिसमें वह एम०डी या एम० एस० करना चाहता है। अतः उक्त दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिये द्वितीय अनुपूरक मांगों के द्वारा राज्य सरकार ने ११७ हाउस अफसरों के अतिरिक्त पदों का सृजन कर दिया है जिनके फलस्वरूप रोटेटिंग हाउसमैनशिप करने के बाद जो स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में जाना चाहेंगे और शैक्षिक दृष्टि से योग्य समझे जायंगे, वह एक साल का हाउस जाब कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में भरती के लिये जो व्यवस्था रोटेटिंग हाउसमैनशिप की योजना लागू होने के पहले थी, वह ज्यों की त्यों अब कर दी गई है। इसके आदेश २७ फरवरी, १९६५ को जारी किये गये। इसके अनुसार अधीक्षक सरोजनी नायडू अस्पताल आगरा ने ५१ हाउसमैन के स्थानों पर नियुक्ति करने के लिये चुनाव किया और चुने हुये डाक्टरों की नियुक्ति के आदेश दिये। इस पर उक्त डाक्टरों ने कुछ मांगें पेश कीं। प्रिंसिपल मेडीकल कालेज ने व अधीक्षक अस्पताल ने उनसे बात की तथा काफी मामलों में संतोषजनक तरीके से उन्हें समझा दिया। उक्त डाक्टरों की मुख्य मांग परिलब्धि (इमोल्यूमेंट्स) बढ़ाने के संबंध में है। उनके कुछ नुमाइन्दे मुझ से ५ मार्च को मिले भी थे और उनको बता भी दिया गया है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की अच्छी नहीं है कि इस विषय में कोई फौरन वृद्धि की जा सके, खास तौर से जब कि कोई भी वृद्धि सब मेडीकल कालेजों के हाउसमैन को देनी होगी। फिर भी शासन इस विषय पर विचार करेगा। इस पर नुमाइन्दे संतुष्ट हो कर चले गये। सूचना मिली है कि हाउस अफसरों ने अपना कार्यभार पुनः संभाल लिया है।

(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। माननीय नेकराम शर्मा जानते हैं कि यह सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई थी और माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि वह माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दें या न दें। माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार करते समय शर्त लगा दी थी कि प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे, केवल वक्तव्य होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, वह स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि डाक्टरों ने हड़ताल करना छोड़ दिया है और काम करना शुरू कर दिया है ।

श्री दाऊ दयाल खन्ना—

मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं लेकिन अपने वक्तव्य में मैंने कह दिया है कि सूचना मिल गई है कि उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है ।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,७९,९९,७०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४,९२,१०,२०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सदन का थोड़ा सा समय इसके लिए लेना चाहता हूं कि मैं इसमें अपने विभाग की, जिससे हमारा ताल्लुक है, २,४ बातें अर्ज कर दूं । इस विभाग का संबंध शहरों, नगरों और कस्बों से है । उत्तर प्रदेश के ५ बड़े बड़े शहरों जिनमें हमारी ५ नगरमहापालिकायें हैं, १३९ नगरपालिकायें हैं, ४० नोटीफाइड एरिया है, और २७० टाउन एरिया कमेटी हैं । प्रदेश की जनगणना केवल ९४,७०,८९५ सन् ६१ में थी । उसकी करीब १४.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि शहरों में रहते हैं । श्रीमन् शहरों में हमारे प्रदेश के पिछड़े होने का एक कारण है कि हमारे शहरों की और नगरों की आबादी बढ़ी, उद्योग धंधे जैसे जिस प्रदेश में बढ़ते हैं, उसी प्रकार से उसमें आबादी भी बढ़ती है, जैसे पंजाब में २१ परसेंट अब शहरी आबादी हो गई है टाउन की, कस्बों की और शहरों की और हमारे यहां १४ के ही करीब है । सन् १९३१ के आंकड़े लिये जायं तो शहरी आबादी का अनुपात १२.४ है, और ४१ में १३.६ और ५१ में १३.६ तथा ६१ में १४.८ हुई है । एक बात और कि १९६१ में जनगणना हुई, तो उसमें नगरों की तादाद कम हुई, क्योंकि ५ हजार के नीचे से जो टाउन एरिया थी वह शहरों की गिनती में आती थी, उनको अब छोड़ दिया है, इससे थोड़ी बहुत बढ़ा ली जाय तो भी १५ या १६ प्रतिशत से ज्यादा शहरी आबादी नहीं है ।

मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि हमारे यहां शहर में जो हमारी नगरपालिकायें, टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड कमेटी वगैरह काम करती हैं, इनका काम तो केवल हमारी उन सेवाओं से है, जो प्रारम्भिक कार्य इस कानूनों के अन्तर्गत दिये गये हैं, मसलन सड़कों के बनाने, उनकी मरम्मत करने और उनके रख रखाव, रोशनी का प्रबन्ध करने और पानी का प्रबन्ध करने और प्रारम्भिक शिक्षा और चिकित्सा आदि, यह चन्द चीजें नगरपालिकाओं का काम इस समय है, बंगाल और पंजाब में उद्योग धंधे बढ़े हैं, वहां गांवों ने नगरों की शक्ल अख्तियार कर ली हैं और वहां शहरी आबादी बढ़ी है, तो उद्योग धंधे भी बढ़े हैं । उद्योग धंधे भी हमारे यहां कम बढ़े हैं, क्योंकि आबादी पौने दो गुनी से ज्यादा बढ़ी है । लेकिन शहरी आबादी का प्रोपोर्शन नहीं बढ़ा है, जहां और प्रदेशों में बढ़ा है । शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और स्थानीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निकायों की आमदनी नहीं बढ़ी है । जब तक हमारा प्रदेश पिछड़ा रहेगा, उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक आर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, वह नहीं हो सकता और जब तक यह उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे तब तक म्युनिसिपैल्टीज और नगरमहापालिकाओं की अपनी आमदनी नहीं बढ़ेगी। यह तो मैंने प्रगति का थोड़ा सा निवेदन कर दिया । अब जो ग्रान्ट हमारे सामने है वह सड़कों के लिये दिये जाने वाले अनुदान से तालुक रखती हैं। यह जो सड़कें नगरपालिकाओं में हैं, नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं की सड़कों की जो हमने तालिका मंगाई, उसके अनुसार इन दोनों में ४ लाख ८६१ किलोमीटर पक्की सड़कें हैं तथा १७३० किलोमीटर कच्ची सड़कें है और इन्हीं के लिये प्रस्तुत अनुदान में से धन दिया जाता है । यह ग्रान्ट जो सदन के सामने पेश है यह एक करोड़, ७९ लाख, ९९ हजार ७०० की है, इसमें से म्युनिसिपैल्टीज की सड़कों के लिये केवल १ करोड़ २८ लाख और कुछ इतना है और बाकी धन १८ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिया जाता है। बाकी रुपया ३२ डिस्ट्रिक्टस बोर्ड्स को घाटों के लिये जिसका प्रबन्ध वह स्वयं करती हैं या जो पी०डब्लू०डी० द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से कराया जाता है, और उनके लिये दिया जाता है। इसके अतिरिक्त छोटी-मोटी बहुत सी चीजें हैं, जिनके लिये हम अनुदान देते हैं ।

अब इसके लिये एक शर्त हमारी यह है कि जो म्युनिसिपैल्टियां मैचिंग सम यानी तुल्य अनुदान खर्च करें उनको ग्रान्ट दी जाएगी । तो काफी म्युनिसिपैल्टियां ऐसी हैं, जिन्हें बड़ी दिक्कत पड़ती है कि वह अपनी आमदनी से तुल्य अनुदान देकर इसमें से अपने हिस्से का अनुदान प्राप्त कर सकें, इस तरह से वह अनुदान लेने में असमर्थ रहती हैं । यह हालत हमारी है और टाउन एरियाज की जो हालत है वह और भी खराब है । इसको देखते हुए इस साल से मैंने यह शर्त रख दी है कि जो अनुदान टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया को दिया जायगा उसके लिये उन्हें १० परसेन्ट तुल्य अनुदान ही देना होगा । यह करना हमारे लिये आवश्यक जान पड़ा क्योंकि जब तक उनकी माली हालत अच्छी नहीं होगी, शहरों की हालत अच्छी नहीं होगी और शहरों की माली हालत अच्छी होने के लिये आवश्यक है कि उद्योग धन्धे बढ़ें । म्युनिसिपल कमेटीज को जो अनुदान दिया जाता है वह उनकी जनसंख्या और उनके पास जितनी सड़कें है उनके लिहाज से दिया जाता है। जो टाऊन एरिया और नोटीफाईड एरिया को दिया जाता है वह एक लम्प सम टाउन एरिया को १० हजार रुपया दिया जाता है और नोटीफाइड एरिया को ५ हजार रुपया दिया जाता है । इसके अतिरिक्त कई स्पेशल ग्रान्ट्स किसी किसी को कोई खास काम के लिये दी जाती है, यदि वह देना चाहती हैं । कुछ तीर्थ स्थानों और टूरिंग सेन्टर (पर्यटक केन्द्र) की दृष्टि से निकाय महत्वपूर्ण हैं और ऐसे निकायों को अनुदान देने के लिये हमने, कुछ ज्यादा १० लाख रुपया रखे हैं, इसके अतिरिक्त जो उनका हिस्सा आता है ।

इस डिपार्टमेन्ट से जो दूसरा काम होता है वह वाटर सप्लाई का होता है। सन ४७ के पहले यू० पी० में ४७ नगरों में जल योजना थी और अब यह बढ़ कर १२७ नगरों में हो गई है और १२ नगरों में हमारा कार्य और चल रहा है जो उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में पूरा हो जायगा तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक करीब-करीब १४२ नगरों में हम पानी दे सकेंगे । चौथी योजना में यह है कि हम सारे कस्बों में चाहे वे टाउन एरिया हों या नोटिफाइड एरिया हों, उन सबको पानी दें और इसके साथ ही गांवों में भी पानी दें । तो जहां तक पानी देने का ताल्लुक है, बिजली देने का ताल्लुक है, सड़क का ताल्लुक है, अगर उनके लिये कोशिश हो सके और सरकारी अनुदान से हम जो कुछ काम कर सकें तो वह हम इन स्थानों में करेंगे । लेकिन मुझे दुख है कि जितनी प्रगति होनी चाहिये खास तौर से इन क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं हो सकी है । म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में कम्पलसरी फ्री एजुकेशन है लकिन ९४ म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने यहां इस स्कीम को लागू किया है और अनुदान लिया है । लड़कियों के लिये केवल १० म्युनिसि-

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पैलिटियां है, और महापालिकायें हैं जिन्होंने इस चीज को अपने यहां चलाया है। तो इस तरह से जाहिर होता है कि म्युनिसिपैलिटीज की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन जो ग्रान्ट उनको दी गई है उसका सदुपयोग वे करें। माननीय सदस्यों को इसका अनुभव होगा कि नगरों की प्रगति इस बात पर मुनहस्सर है कि आपके नगर किस तरह से उद्योग-धन्धे अपने यहां पनपाते हैं और किस तरह से उनकी बढ़ोत्तरी और म्युनिसिपैलिटीज का कार्य सुचारु रुप से चले।

हमारे सदस्य बहस करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज आधी ऐसी हैं जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं लगाया है। अपने यहां वे टैक्स लगाने से गुरेज करती हैं। उनके यहां के लोग यह चाहते हैं कि बाहर वालों पर वह टैक्स लगाया जाय, खुद अपने ऊपर टैक्स लगाना नहीं चाहते हैं। सरकार अपने अनुदानों के जरिये से उनकी मदद करती है। मैंने अभी आपके सामने म्युनिसिपैलिटीज का खुलासा रखा है और खास तौर से सड़कों के लिये। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी राय दें और मैं उस पर गौर करूंगा। वे जो कुछ भी अपनी बात कहना चाहें कहें उससे हमको अपना कार्य करने में मदद मिलेगी। जो राय आप लोगों की आयेगी उस पर अमल करने की कोशिश की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को सदन के सामने रखता हूं और आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३८ तथा ४५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जावे। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आप पहले इस ग्रान्ट को देखेंगे तो पायेंगे कि बजट तो दुगुना हो गया है पारसाल से इस साल, लेकिन उसके अनुपात में इस अनुदान में कोई बढ़ती नहीं हुई है। बल्कि दूसरे अनुदान प्रकीर्ण में ५,९१,४०० रुपये की कमी हो गई है। यह नगर निकाय के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति का व्यवहार है। वह कभी इस प्रकार से है कि पहले साल ४,९८,०१,६०० था और इस साल ४,९२,१०,२०० रुपये का है। इस तरह से यह कमी हो गई है। बजट तो दुगुना हो गया है लेकिन उसके अनुपात में अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि नगर निकाय के प्रति सरकार की न्याय की नीति नहीं है। अनुदान में ६ठें आइटम से सब से ज्यादा हिस्सा सड़कों के लिये लगा हुआ है। उसे निकालने के बाद ३३ लाख २ हजार ही अन्य प्रकार की सहायता बचती है जो पूरे प्रदेश के टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स तथा महापालिकाओं को देखते हुए बहुत कम है। सड़कों के लिये भी जितनी धनराशि पारसाल दी गयी थी उतनी ही इस साल भी दी जा रही है। उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई। जब बजट दूना है तो उसमें बढ़ती होनी चाहिये थी। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है सड़कों की हालत दयनीय है खास कर गरीब टाउन एरियाज तथा म्युनिसिपल बोर्ड्स की हालत कहने योग्य नहीं है। बहुत सी सड़कें, हम लोग जानते हैं ऐसी हैं, जिन पर चलना असंभव है। इसलिये उनको सहायता देने की शर्तों में कोई न कोई परिवर्तन चलना असंभव है। इसलिये उनको सहायता देने की शर्तों में कोई परिवर्तन अवश्य होना चाहिये ताकि जिन निकायों की आमदनी कम है उनको रख-रखाव तथा सड़कें बनाने के लिये पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सके। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार उनको अपने तरीके से अनुदान दे कर उन सड़कों को पक्की करावे ताकि उन पर बैलगाड़ियां तथा दूसरी सवारियां आ जा सकें। पहले के टाउन एरियाज की मुख्य सड़कें पतली हैं। जिनको चौड़ा करना अब बड़ा मुश्किल है। वे कंकड़ों की सड़कें खराब भी जल्दी हो जाती हैं। इन सब कारणों से जितना अनुदान उनको पार साल दिया गया था उसमें बढ़ती अवश्य होनी चाहिये।

पहले की अपेक्षा नगर निकायों के प्रजातांत्रिक अधिकारों में कमी हुई है और इसके दो उदाहरण काफी हैं। विरोधी दलों के हाथ में जो संस्थायें हैं उनको सुपरसीड करने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। यह प्रजातंत्र का हनन करना है। जितना सुपरसेशन अंग्रेजों के समय में भी नहीं होता था उतना आज हो रहा है। इसके अतिरिक्त पहले म्युनिसिपल बोर्डों के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष कराने की परंपरा था। उसे अप्रत्यक्ष कर के भी अधिकारों का हनन किया गया है। टाउन एरिया, म्युनिसिपैल्टी तथा नगरमहापालिकायें एक प्रकार प्रशासन के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसमें लोगों को प्रशासन का अनुभव प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि आजादी के पहले देश के गणमान्य सारे नेता म्युनिसिपल बोर्डों के चेयरमैन रह चुके हैं। पं० नेहरु इलाहाबाद, पंत जी नैनीताल, राजेन्द्र बाबू पटना के चेयरमैन बहुत समय तक रहे हैं और उन्होंने वहां प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया था। इसलिये उनकी तरफ सरकार की उदार नीति होनी चाहिये।

निकायों के कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। उनके बारे में सदन में कई बार कहा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है और आगे भी कहा जायगा। उनकी तनख्वाहें कम हैं, मंहगाई भत्ता कम मिलता है, अन्य सुविधायें कम हैं। उनकी आम मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारियों के समान माना जाय और दूसरी सुविधायें उनको दिलायी जायं। अगर नगर निकाय सुविधा देने में असमर्थ हैं तो सरकार उनको लम्बे ऋण के रूप में या अनुदान के रूप में रुपया देकर उनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाने में सहायता प्रदान करे और तभी उनमें जो भ्रष्टाचार फैला है उसमें कमी होगी क्योंकि थोड़ी तनख्वाह देकर उनसे यह आशा करना कि वे ईमानदारी से काम करते रहेंगे एक तरह से उनको अप्रत्यक्ष रूप से आज्ञा देना है कि वे बेईमानी कर के, भ्रष्टाचार करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। इसलिये आज मंहगाई के जमाने में उन कर्मचारियों को संतुष्ट रखना चाहिये और आज उनकी ऐसी स्थिति है कि न वह "ही" में न "शी" में, तो ऐसा नहीं होना चाहिये, वह सरकारी कर्मचारी माने जायं और उन्हें समानस्तर प्रत्येक भांति दिया जाय।

म्युनिसिपल बोर्डों को "ए" और "बी" में विभाजित किया गया है। एक प्रकार के म्युनिसिपल बोर्डों में ऊंचे अधिकारियों की पोस्ट ट्रांस्फरेबिल रखी जायं, क्योंकि एक जगह रहने से एक महन्ती बन जाती है और भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है, पावर का स्थान बन जाता है, उसको खत्म करना जरूरी है।

मुझे शिकायत है कि सारी शहरी जनता पर डबल टैक्सेशन का बोझा पड़ रहा है। जबसे भूमि भवन कर लागू हो गया, उसके खिलाफ शान्तिमय तरीके से बराबर आवाज उठाई जा रही है कि उसको वापस किया जाय। वहां की जनता को जहां पर यह टैक्स लगता है उससे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। यह उन निकायों को नहीं मिलता, सरकार ले जाती है। एक ही समय और हैसियत पर मकानों पर टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, नगरपालिका और महापालिका भी टैक्स लगाती हैं और सरकार भी लगाती है, इसे वापस करना चाहिये। अगर नहीं वापस करते हैं तो कम से कम उस पैसे को उन निकायों को दिया जाय कि वह अपना विकास करें और उसे अपने खर्च में लावें ताकि जनता यह अनुभव करे कि अगर टैक्स हमसे दूना लिया जा रहा है तो हमारे ही हित में प्रत्यक्ष रूप में खर्च भी हो रहा है, इससे उनकी चोट पर यह थोड़ा मरहम का काम करेगा।

मनोरंजन टैक्स जो सरकार की ओर से लगते हैं उसे भी सरकार को निकायों को दे देना चाहिये या उसकी व्यवस्था निकायों के हाथ छोड़ देनी चाहिये। मंत्री जी ने कहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर सरकार उनकी आय नहीं बढ़ाती है और अधिक अधिकार नहीं देती तो उनकी पराश्रयता, परावलम्बता और

[श्री झारखंडे राय]

मुखापेक्षिता सरकार की ओर बनी रहेगी जिससे उनका स्वतंत्र विकास नहीं होगा, वह अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वह सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे अथवा पोलिटिकल डोमिनेशन, प्रभाव में रहने, का एक रोग पैदा हो सकता है ।

टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के भीतर बहुत सी जमीनें बेकार पड़ी हैं, उनका कोई सदुपयोग नहीं होता है, खेती नहीं होती है, कूड़ा-करकट गंदगी फैली रहती है । यहां अगर दूकानें बनवाकर रहने के मकान बनवा कर अगर उनको इस्तेमाल किया जाय और सरकार उसके लिये लम्बे काल के लिये ऋण दे या अनुदान दे तो वह उनके लिये आमदनी का जरिया हो सकेगा । उन तमाम जमीनों का भी सदुपयोग होगा, गन्दगी भी नहीं फैलेगी और आस-पास के लोगों को सुविधा होगी । बहुत से कर्मचारी जो आज कल देहातों में नियुक्त हैं, मकानों के अभाव में, कस्बों में आकर रहते हैं और मकान सस्ते के अभाव में कष्ट झेलते हैं, जैसे बी० एल० डब्लू०, सुपरवाइजर लोग उनकी समस्या का समाधान भी कुछ हद तक होगा ।

निकायों के अलग अलग जो विभाग हैं, प्लान इंजीनियर, रोड इंजीनियर, ड्रेन इंजीनियर आदि, इनका आपस में कोई ताल-मेल नहीं है । केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकार के विभाग हैं जैसे टेलीफोन, बिजली इत्यादि का, इनसे भी निकायों के विभाग का एक दूसरे से संबंध नहीं रहता । बड़े पैमाने पर सामंजस्य न रहने से, जो रोड, ड्रेन, बिजली के खम्भों, टेलीफून आदि के मुहकमे हैं, उससे तालमेल के अभाव से शहरी क्षेत्रों में भी इन निकायों का खर्चा बढ़ जाता है । जैसे टेलीफोन वाले आये, अपने काम के लिये सड़क खोदी और स्वयं थोड़ा पाट कर चले गये, अब निकाय काकाम है कि वह ठीक कराये । बिजली वाले आये, खम्भा लगाकर चले गये, निकाय उसे ठीक कराती रहे तो इन चीजों का जुर्माना गवर्नमेंट को उठाना चाहिये या विभाग से उन कामों को कराया जाय, वह बरदाश्त करे । निकायों के ऊपर ऐसे खर्चे नहीं पड़ने चाहिए ।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

एक शिकायत और है । छोटी नगरपालिकाओं को सहायता कम दी जाती है और बड़ी नगरपालिकाओं को ज्यादा दी जाती है और बड़ी नगरपालिकाएं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पातीं । उसके अनुचित इस्तेमाल का नमूना मैं आपको दूंगा । अभी कानपुर जिला परिषद् ने एक जांच कमेटी बनायी थी । उसने अपनी जांच में कहा है कि १७९ वैगन कोयला जिसका मूल्य १,७०,००० रुपया और २२ टन जी० सी० शीट जिसका मूल्य ३२,००० रुपया है १९६१-६२ और १९६२-६३ में गड़बड़ हो गयी है, जिसका परमिट परिषद् को मिला था और जिसको परिषद के कुछ लोग खा गये । इसकी ओर सरकार ने कोई वाजिब कदम नहीं उठाया । अगर सरकार कोई नियंत्रण नहीं करेगी तो ऐसी सरकारी सहायता धनराशि का बहुत दुरुपयोग होगा । उनकी आमदनी से जो धनराशि मिलती है उसका दुरुपयोग भी होगा । लखनऊ नगरपालिका की कार्यकारिणी ने अभी दो स्कीमें भेजीं । एक बच्चों के लिए रेलगाड़ी चौक एरिया में बन रही है, उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है । दूसरी रेलगाड़ी नगरमहापालिका के प्रमुख महोदय जहां उचित समझें वहां बनाई जायेगी । हम नहीं कहते कि ऐसी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता का प्रश्न है । पार्क में ग्लोब लगावें, उनके सौंदर्य में वृद्धि करें, फव्वारा लगावें, छतरियां बनें, रंगसाजी हो, एक ओर तो यह समस्या है और दूसरी ओर कूड़ा-करकट, गलियों में गन्दगी, बदबू रहती है, जाने से नाक फटने लगती है उसको हटाना चाहिए । तो इस पर सरकार को अपनी नीति तय करनी है और उसके मुताबिक उसका पालन करवाना होगा । यह नहीं होगा कि बगल के मुहल्ले में नालियां इतनी गन्दी हों कि जाना मुश्किल हो और रोशनी न हो, सड़कें अच्छी न हों, उसी बगल में खूबसूरत किये जाने में बहिश्त का टुकड़ा बना दिया जाय । यह पूंजीवादी प्रवृत्ति है जो हमारे जन-जीवन में, सामाजिक जीवन में, हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जिसको हमें रोकना

होगा। समाजवाद का तकाजा है कि गन्दी गलियों और नालियों को साफ किया जाय, रद्दी सड़कों को पक्की किया जाय, गरीब मुहल्लों में रोशनी दी जाय, तब ऐशफाल्ट या सीमेंट की सड़कें बनें या सरकारी लाइट के डण्डे और हन्डे जलें। कहीं बल्ब भी न हों और कहीं ग्लोब फिट किये जायं। यह पूंजीवादी डाइवरजेंस नहीं होना चाहिये। यह समाजवादी दृष्टिकोण के बिलकुल विपरीत है। कानपुर महापालिका में दो नई गाड़ियां खरीदी गयी हैं। हम यह कतई नहीं कहते कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमको इन चीजों को प्राथमिकता को ध्यान में रख कर बनाना होगा। इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

मान्यवर, लखनऊ नगर में, यहां की महापालिका ने मकानों के एलाटमेंट में भी बहुत गड़बड़ी की है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी वहां के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें। पोस्टिंग में भी बहुत गड़बड़ी हुई है। मेरा सुझाव है कि बच्चों की ट्रेन, सौन्दर्य करने आदि पर जो खर्च किया जा रहा है, उसे रोक कर अन्य आवश्यक चीजों पर पहले ध्यान दिया जाय।

प्रकीर्ण व्यय के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस साल इस में धनराशि कम रखी है। उसमें राज-बन्दियों पर व्यय की व्यवस्था की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने राजबन्दियों को जो मान्यता दी है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इसी सदन में पहले मैंने पोलिटिकल प्रिजनर बिल १९५३–५४ में पेश किया था जिसका सरकार की ओर से विरोध किया गया था, आज सरकार ने उसी को स्वीकार किया है, इसलिये वह बधाई की पात्र है, जो प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट पार्टी के नजरबन्द हैं उनके परिवार को आज पारिवारिक भत्ता नहीं मिलता, उनके केस पर विचार तक नहीं किया जाता, उन्हें जेल में रियूमूनरेशन नहीं मिलता। जो लोग बिना मुकदमा चलाये बन्द हैं, उन पर या तो सरकार को मुकदमा चलाना चाहिये, या उनके परिवार को उचित भत्ता देना चाहिये। इसके लिये सन् १९६३-६४ में १२ हजार कुछ रुपया रखा गया था, १९६४-६५ में वह घटकर १० हजार के करीब हुआ, अब इस साल वह करीब २ हजार ही रह गया है। पहले जब १२ हजार रखा गया था तब नजरबन्द ४० थे, अब ८० हैं। सरकार उन नजरबन्दों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली बार बनारस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र नेता, विद्यासागर, नौटियाल एम०ए०, को २० रुपये उनके परिवार के लिये दिया गया था। २० रुपये में बीबी और २ बच्चे कैसे अपना गुजारा कर पायेंगे, यह सोचने की बात है।

श्रीमन्, विस्थापितों के लिये भी बहुत कम पैसा रखा गया है। पहले यह ५३,९५,८०० रु० था, अब करीब ४६ लाख ही रखा गया है। जो विस्थापित आये हैं उन्हीं को बसाने के लिये और रुपये की जरूरत है।

एक कांग्रेसी अनाथालय खोला गया है, जिसकी ओर भी मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक भूदान यज्ञ समिति है और वह एक तरह से कांग्रेसी अनाथालय है। जब किसी कांग्रेसी को कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो वह उस भूदान समिति में चला जाता है। उसके लिये बजट में ५० हजार रुपये की धनराशि रक्खी गयी है। यह अपव्यय है, कांग्रेसियों को पालने के लिये एक मोर्चा है। मैं, मान्यवर, आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे भूमि समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसमें आप देखें, पचास हजार रुपया मंजूर किया गया। वह बराबर उनको दिया गया है। मैं समझता हूं वह रुपया बेकार दिया जाता है। श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लखनऊ में एक सामंती ऐय्याशी का मरकज खुला हुआ है, उसका नाम हिन्द फ्लाइंग क्लब है, उसके लिये ४,७०,००० रु०

[श्री झारखंडे राय]

क्खा है। मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल बेकार है। उसमें फिजूलखर्ची होती है, उस से कोई लाभ नहीं है। जिनको बहुत शौक हो वे मिलिटरी में भर्ती हो जायं। क्लब कायम करके रुपये लेने का यह एक सेन्टर बनाया गया है, और कुछ नहीं है।

रामपुर और वाराणसी के दो रूलिंग प्रिंसेज थे, उनके लिये जो अनुदान रक्खे गये हैं, श्रीमन्, वह नहीं देने चाहियें। उन्हें बिल्कुल खत्म करना चाहिये। ये लोग समाज के ऊपर एक बोझ के रूप में हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका टाइम तो अब बिल्कुल नहीं है। तीन बजे तक तो हमें इस बहस को ही समाप्त करना है, उसी में भाषण भी करना है।

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन्, केवल एक मिनट दे दीजिये। लखनऊ में कैसरबाग में पुराने नवाबों का जो पीला महल बना हुआ है, उसके बीच में जो जगह पार्क के लिये है, वह बड़ी उपेक्षित दशा में पड़ी हुई है। उसको देख कर हर आदमी को तक्लीफ होती है। उसके रख-रखाव के लिये सरकार कोई व्यवस्था जरूर करे। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट बोलें।

श्री कृष्ण चन्द (जिला झांसी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान रक्खा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरी बहुत पहले से यह धारणा है कि अब वह समय आ गया है कि सरकार स्वशासन के जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करे। एक जमाने से परम्परा पड़ी हुई है कि स्थानीय संस्थाओं को कुछ काम सौंपा हुआ है और उसी लीक पर सारे काम होते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये और जितनी स्वशासन संस्थायें हैं इनकी कार्यप्रणाली, इनके फंकशन्स और कार्यों पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिये। श्रीमन्, जैसे नगरपालिका का मुख्य कार्य सड़कों का, शिक्षा और सफाई का होता है और सरकार इसके लिये अनुदान देती है, मेरा निवेदन यह है कि इन तीनों में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। सड़कों के अनुदान में तो इतनी विडम्बना है कि उसमें कम से कम चौथाई या इस से भी अधिक रुपया बीच में ही चला जाता है। और सड़कों पर जो धूल उड़ती है वह इसलिये कि पूरा का पूरा पैसा व्यय ही नहीं होता है। वह भ्रष्टाचार में चला जाता है, ठेकेदार या इंजीनियर्स या ओवरसियर्स के पास चला जाता है, बस यही होता है। श्रीमन्, दुर्भाग्य की दूसरी बात प्रायमरी एजूकेशन है। नगरपालिकाओं में इसकी छीछालेदर हो रही है। यद्यपि मैं पूर्णरूप से प्रजातंत्र में आस्था रखता हूं, किन्तु मेरे हृदय में विचार आता है कि प्रारम्भिक शिक्षा को नगरपालिका और जिला परिषद् से ले लिया जाय। मैं नहीं जानता कि सरकार इस स्टेज पर यह कार्य करेगी या नहीं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिये आपको कुछ करना चाहिये। आप किसी भी प्रदेश में चले जायं वहां कुछ न कुछ नियोजित रूप होगा किन्तु हमारे प्रदेश का हाल यह है कि प्राइमरी स्कूलों की हमारे यहां इमारतें टूटी हुई हैं, मास्टर सो रहे हैं, लड़के गायब हैं, पढ़ाई रही नहीं और कोई भला आदमी अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं चाहता है। अंग्रेजों के जमाने के जो पब्लिक स्कूलों में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, आपकी ग्रांट का ठीक उपयोग नहीं हो पा रहा है।

तीसरी मेरी बात सैनीटेशन की है। सैनीटेशन बहुत खराब है। मैं तो अपने यहां की बात जानता हूं कि सैनिटेशन से बहुत क्षोभ और निराशा है। उसके लिये ड्यूअल गवर्नमेंट है, हेल्थ अफसर और म्युनिसिपल बोर्ड। इसे निश्चय रूप से एक के ही हाथ में रखना चाहिये।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि स्थानीय निकायों का सुपरसैशन नहीं होना चाहिये। मैं भी उनकी प्रजातंत्र की भावना का समर्थन करता हूं लेकिन प्रश्न यह है कि प्रजातंत्र को किस हद तक खींचा जाय, किन हालतों में सुपरसैशन जरूरी हो जाता है।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णचन्द—

मैं यह कह रहा था कि सुपरसैशन के प्रश्न पर मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं। इसलिये मैं सरकार से चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक कमेटी बनायी जाय जो उन स्थानीय निकायों की हालत देखे जिनके बारे में वर्षों से शिकायत है और हम उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह उनकी जांच करके सरकार को रिपोर्ट दे। ललितपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में बराबर शिकायतें हैं, और कलेक्टर और कमिश्नर को भी शिकायत है। कमिश्नर ने उसे भंग करने की सिफारिश की है। वहां भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, कामों में दक्षता नहीं है और १० वर्ष से ये शिकायतें हैं। लोग परेशान हैं। लेकिन वह बोर्ड सुपरसीड नहीं हुआ है। झांसी में नया निजाम आया है। उसकी दशा यह है कि टैक्स लगाये जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, टोल टैक्स को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। झांसी में टोल टैक्स लगाने पर हजारों आदमी प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन और कमिश्नर के पास गये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड जो प्रारम्भिक शिक्षा दे नहीं सकते, सड़कें रख नहीं सकते, सफाई करा नहीं सकते और जो भ्रष्टाचार में सने हुये हैं, तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिये ऐसी संस्थाओं का समाप्त होना आवश्यक है।

श्री रक्षपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, इस विभाग का नाम स्वायत्त शासन विभाग है। इस में से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स निकल गये और अब केवल "नगर प्रशासन" ही इस में रह गया है। अगर इसका नाम नगर प्रशासन विभाग कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनके साधन पहले ही सीमित थे परन्तु सरकार ने उनके साधनों पर अतिक्रमण किया है। मेरा उल्लेख है भूमि-भवन कर से। अब २ तरह के दोहरे टैक्स नगर के रहने वालों को देने पड़ रहे हैं। २ प्रतिशत के बजाय ५ प्रतिशत टैक्स वे लगा सकते थे लेकिन अब सरकार सीधे उनसे टैक्स ले लेती है। इसके बारे में जनसंघ ने पहले से ही कहा था कि नहीं लगना चाहिये। मैं मंत्री जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि वह इस टैक्स को वापिस कराने की कृपा करें जिस से स्थानीय निकायों के टैक्स वसूल हो सकें और उनकी जो थोड़ी बहुत वृद्धि करने की स्कीम है वह भी कर सकें। रहने वाले मकानों पर तो यह टैक्स लगना ही नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय भूमि भवन कर नहीं है।

श्री रक्षपाल सिंह—

नगरपालिकाओं में रहने की व्यवस्था की ओर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिये और वह है। मैं छोटी-छोटी नगरपालिकाओं की ओर भी सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। बुन्देलखंड और फतेहपुर के पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पानी की व्यवस्था कठिन हो जाती है। लोग नदी से ले कर पानी पीते हैं। वहां सरकार को पूरा अनुदान दे कर पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। बहुत छोटे-छोटे निकायों को विशेष रूप से अनुदान देना आवश्यक है।

कर्मचारियों के बारे में मेरा निवेदन है कि समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना चाहिये, केवल अध्यापकों के लिये या केन्द्र और प्रान्तीय कर्मचारियों के लिये ही यह असर नहीं करती है, बल्कि स्थानीय निकायों के लोगों को भी वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं उनको भी महंगाई भत्ता चाहिये। तुलनात्मक रूप से उनका वेतन बहुत कम है। राज्य सरकार से भी कम है, और केन्द्रीय सरकार से तो आधा भी नहीं है। जो रेशनलाइजेशन कमेटी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में बनी है वह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिये।

मेहतरों का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होने पर भी निन्दनीय माना जाता है। उनकी स्थिति के बारे में सरकार ने पहले भी कहा था कि वह ऐसा प्रबन्ध करेगी कि उनको सिर पर टट्टी ले कर न जाना पड़ेगा। परन्तु श्रीमन्, आधी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें इस तरह के व्यवहार होता है। उसके बारे में जो घोषणा की गयी थी, उस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

इसके अलावा ये जो शहरों में बूचड़खाने चलते हैं, इनसे बहुत से लोगों की भावनाओं का सम्बन्ध होता है। इनके शहरों के बीच में होने से लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात होता है। ये नगरपालिकाओं के क्षेत्र से बाहर होने चाहिये। इसके अलावा शहरों के पूर्व, पश्चिम, जिधर की हवा हमेशा चला करती है, उधर न हो कर उत्तर दक्षिण में होने चाहिये। कानपुर के अन्दर जो बूचड़ खाना है वह तो शहर के बीच में ही है, उसको तो तुरन्त ही हटा देना चाहिये। इसी प्रकार से मथुरा के बूचड़खाने को हटाया जाना चाहिये।

रुदौली नोटिफाइड एरिया में एक सरकमस्टेन्शियल टैक्स लगता है। व्यापारियों पर तो वह ढाई फीसदी लगता है और पुराने जमींदारों पर डेढ़ प्रतिशत लगता है। इस प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिये। यह संविधान के विरुद्ध भी होगा। इसके अलावा वहां की गंदगी के बारे में तो सरकार ध्यान देगी ही।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो तादाद और हैसियत पर लगता है।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरकार की तरफ से जो रकम म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरिया वगैरह को दी जाती है वह सराहनीय है। लेकिन उस रकम को अच्छी तरह से खर्च करने की जरूरत है। सरकार रोड्स के लिये एक ग्रान्ट देती है। यह तो सभी जानते हैं कि पी० डब्लू० डी० का काम किस तरह का होता है लेकिन फिर भी जब रोड्स का पेमेंट किया जाता है और उसको पास करने की जो फाइनल अथारिटी होती है, वह पी० डब्लू० डी० का डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता है। कितना ही खराब काम क्यों न हुआ हो, अगर वह सर्टीफाई कर देता है तो चेयरमैन को पेमेंट कर देना पड़ता है और वह अपने को बरीउलजिम्मा समझ लेता है। इसकी पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिये। हमें देखना चाहिये कि जो ग्रांट हम देते हैं, उसका सही इस्तेमाल होता है या नहीं।

प्राइमरी ऐजूकेशन के लिये म्युनिसिपैलिटीज जिम्मेदार होती हैं। म्युनिसिपैलिटी के अलावा सरकार भी उनके लिये कुछ ग्रांट देती है। लेकिन उनके अलावा मान्टेसरी स्कूल भी

बहुत से खुल गये हैं जिनमें बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूलों की ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी मान्टेसरी स्कूलों की होती है। गरीब आदमियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इन दो तरह के स्कूलों से ऊंच नीच की बात लोगों में पैदा होती है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इन मांटेसरी स्कूलों को बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। हमने वादा किया था कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर गरीब मेहतर व भंगी द्वारा गन्दी चीजें यानी पाखाना वगैरह सर पर ले जाना बन्द करवा दिया जायगा लेकिन आज भी बहुत-सी म्युनिसिपैलिटीज में यह तरीका बदस्तूर कायम है।

साथ ही साथ आपसे मेरी एक दरख्वास्त और है कि ऐसी म्युनिसिपैलिटीज जो खुद अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकतीं उनको सरकार द्वारा ग्रांट नहीं देना चाहिये। जाहिर है कि जब उनका खर्चा नहीं चलेगा तो वे अपने लिये कोई नया जरिया आमदनी का तलाश करेंगी।

वाटर टैक्स के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पहले भी मैं कई बार अपनी स्पीच में कह चुका हूं कि वाटर वर्क्स बन जाय तो बड़ा अच्छा है क्योंकि उसके जरिये फिल्टर किया हुआ पानी मिलता है जिस से बीमारी वगैरह होने का डर नहीं रहता। लेकिन उस सिलसिले में वाटर टैक्स का भार गरीब आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिये जो गरीब म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनके अन्तर्गत वाटर टैक्स का भार सरकार को अपने ही ऊपर लेना चाहिये।

म्युनिसिपल बोर्ड्स का खास काम यह होता है कि वहां सफाई रखें और इसके लिये जरूरी है कि शहरों के अन्दर चमड़े के गोदाम या अशर्स वगैरह न हों। क्योंकि अशर जहां होता है वहां से जो पानी, शीरा वगैरह बहता है, उससे मलेरिया बुखार आदि के जर्म्स पैदा होते हैं और साथ ही यह भी है कि जहां अशर्स होते हैं उसके कुर्ब जवार की जो बिल्डिंग्स होती हैं, वे मशीनरी के चलने से कमजोर हो जाती हैं और नतीजा यह होता है कि वे बहुत जल्दी गिर जाती हैं जिस से पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय झारखंडे राय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आशा थी कि हमारे माननीय मंत्री जी भूमि भवन-कर को वापस लेने की घोषणा आज इस सदन में करेंगे, लेकिन निराशा ही हुई। क्योंकि जब नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे थे उस समय कुछ अखबारों में ऐसी खबर छपी थी कि मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मैं कह रहा था कि नगरपालिकाओं के चुनाव के समय अखबारों में यह निकला था कि मंत्रिमंडल इस पर विचार कर रहा है और यह भूमि भवन-कर कदाचित वापस ले लिया जायगा। लेकिन चुनाव होने के बाद यह स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई और अब ऐसा लगता है कि नागरिक जनता पर यह टैक्स लगा रहेगा।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कर के द्वारा आज सचमुच लोग बहुत पीड़ित हैं। यह मैं कोई इसलिये नहीं कहता कि हम टैक्स के विरोधी हैं, आप ऊंचे लोगों पर ऐसे टैक्स लगावें लेकिन छोटे लोगों पर से इस भूमि भवन-कर को हटा लें, तभी लोगों

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

का कल्याण हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मंत्रिमंडल स्तर पर इस भूमि भवन-कर के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करे।

इसके अतिरिक्त १७ साल के स्वराज्य के बाद भी जो नगर बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं वहां तमाम तरह की गन्दगी, नदियों में जाकर गिरती हैं। माननीय तारा जी कानपुर में निवास करती हैं उनके यहां गंगा में और प्रयाग में भी गंगा और यमुना में जोकि तीर्थ स्थान हैं वहां सारे नगर का गन्दा पानी नदी में जाकर गिरता है, वह पवित्र नदियों में जा कर स्वास्थ्य के लिये ही हानिकर नहीं होता वरन् वहां के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। इसके लिये योजना बनाना चाहिये। कानपुर में चमड़े के कारखानों का पानी गंगा में जा कर मिलता है और एक दो मील तक स्नान करना कठिन हो जाता है और प्रयाग में भी यही हालत है। नगरपालिका इलाहाबाद को अगर एक पंम्पिग सेट मिल जाय तो जमुना के पार गन्दा पानी जा सकेगा और नदी की गन्दगी भी दूर हो जायगी और उस पार उससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

आपने एक टाउन प्लानिंग का विभाग खोला है और लाखों रुपया आप अनुदान उसको देते हैं लेकिन इलाहाबाद नगरपालिका में कोई काम मकानों का उसके द्वारा नहीं हो पाता। थोड़ी सी जमीन पर उनके द्वारा नक्शे पास कराने में अड़चनें होती हैं और १०० फुट की गलियां छुड़ाई जाती हैं। इधर आप ध्यान दें कि यह विभाग कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। इस की वजह से और मकान नहीं बन पा रहे हैं, विभाग की ढिलाई और अड़चनों की ओर अवश्य ध्यान दिया जाय। अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि आपने कुम्भ इसी साल कर दिया जब कि वह अगले साल होने वाला था। आपने इस साल भी ५० लाख रुपया व्यय किया और अगले साल भी करेंगे, यह अपव्यय हुआ। माघमेला अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। वहां पर हर चीज बहुत मंहगी मिलती है, जरा-जरा सी दुकानों का बहुत अधिक किराया लिया जाता है, जरा-जरा सा फूंस आठ-आठ आने का बिकता है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये और ऐक्ट में संशोधन करके यह सब चीजें ठीक की जानी चाहिये।

अन्त में मैं इलाहाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों की ओर से भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। उन्होंने २३ मार्च से हड़ताल का नोटिस दिया है और उस से हमारे नगर में बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी प्रयाग चलें और वहां कर्मचारियों की सारी समस्यायें मिलकर हल करें। टाउन प्लानिंग का काम गैरसरकारी एजेंसी कर रही है इसको भी देखें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो स्वायत्त शासन विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं। इस समय इस विभाग ने प्रदेश में ५ कवाल टाउन्स बनाये हैं और जो पाबन्दियां वहां लगाई हैं उन पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप इन बड़े शहरों को ठीक ढंग से बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन कवाल टाउन्स को इतनी पावर दें कि वे ठीक तौर से काम कर सकें। मिसाल के तौर पर, हमारा शहर कानपुर है जहां पर सार्वजनिक विभाग की ३ ऐसी सड़कें हैं जो शहर के बीच से निकलती हैं लेकिन उन की मरम्मत और इंतजाम उस के जरिये से ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अगर उन सड़कों का विभाग नगरपालिका के सुपुर्द कर दे तो कानपुर अच्छा शहर बन सकता है और वहां की सड़कें भी ठीक हो जायेंगी इसी तरह से एक नहर भी शहर के बीच से जाती है जो गंगा जी में गिरती है। मैं आपको बताऊं कि इधर ५,६ साल में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी कोई सफाई नहीं हो सकी है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस नहर को नगर महापालिका को दे दें ताकि उसका ठीक ढंग से प्रबंध हो सके।

सरकार ने शिक्षा का प्रबंध जरूर किया लेकिन आज तक छोटे बच्चों के लिये हमारे कानपुर शहर में, ५ साल से लेकर १०,१२ साल तक के बच्चों के लिये, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां वह बोर्डर की तरह से रह सकें। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा मिले और अच्छी तथा खुली आबोहवा में रहें ताकि उनकी तन्दुरुस्ती भी अच्छी हो। मैं चाहूंगा कि कारपोरेशन की तरफ से इस तरह का इंतजाम करा दें ताकि वहां अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे उस बोर्डिंग हाउस में रह सकें।

इसी तरह हमारे शहर में जो अस्पताल हैं उनका इंतजाम ठीक नहीं है। इस तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इतने बड़े शहर के लिहाज से जो दवाखाने खुल सकते हैं या खुले हैं उनमें दवाइयों का उचित प्रबंध होना चाहिये।

महापालिका के जो स्कूल हैं उनके मास्टरों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। इस मंहगाई के जमाने में उनका वेतन कम से कम इतना होना चाहिये ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सकें, उन्हें पढ़ा सकें और अपने बच्चों को तन्दुरुस्त रख सकें। अगर मंत्री जी इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे तो कानपुर शहर अच्छे ढंग से रह सकता है और इसके लिये जरूरी है कि कारपोरेशन को पावर मिलना चाहिये ताकि उसका इंतजाम ठीक से हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदानका समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडे राय—

श्रीमन्, जिन भाइयों ने इस बहस में हिस्सा लिया मैं उनका आभारी हूं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, कट मोशन के प्रस्तावक का बोलना शुरू हो गया। तो क्या अन्य सदस्यों को अब समय नहीं मिलेगा? झांसी के पानी की बात तो सदन के सामने आ जाने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो समय निश्चित किया है उसके अन्दर मुझे व्यवस्था करनी है। अब आप बैठ जायं। इस ग्रांट को ३ बजे तक समाप्त करना है, उसके बाद का समय दूसरे अनुदान के लिये है।

श्री झारखंडे राय—

यह डिबेट वास्तव में सुझाव डिबेट हो गयी। इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो निकायों के कर्मचारी हैं, चाहे वह टाउन एरिया हो, नगरपालिका हो, या महापालिका हो, उनकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और हर प्रकार से राज्य के अन्य कर्मचारियों के स्तर पर ले जाना होगा।

श्रीमन्, भूमि-भवन कर के बारे में एक बार फिर कहूंगा कि यह कर उस समय लगाया गया था जब चीन का आक्रमण हमारे देश पर हुआ था और इंमरजेन्सी घोषित की गयी थी। उसी समय किसानों पर लगान बढ़ाया गया था और शहरी जनता पर यह भी कर लगाया गया था। किसानों पर लगाया गया ४ आना लगान वापस ले लिया गया अतः सरकार का धर्म है कि इसको भी वापस ले ले और जो दोहरा टैक्स एक ही सम्पत्ति पर लगा हुआ है वह खत्म हो। इस बारे में सरकारी पक्ष के लोगों की तथा कांग्रेस कमेटियों की भी मांग है। अतः अब कोई वजह नहीं है जो मंत्री जी इसको वापस लेने की घोषणा न करें।

[श्री झारखंडे राय]

आखिर में मैं कहूंगा कि हमारे आजमगढ़ जिले में ३ टाउन एरिया हैं जिनमें से एक अमिला है जो पोलिटिकल प्रतिशोध के नाते टाउन एरिया बनाया गया था। १९२१ के आन्दोलन में एक हाकिम परगना उस गांवमें गये थे, उसको बताशा भी खाने को नहीं मिला था क्योंकि वहां पूर्ण असहयोग और हड़ताल थी। वह इतनी गरीब टाउन एरिया है, उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि कोई रोड ही बनवा सकें। एक कस्बा कोपागंज और दूसरा मुबारकपुर है। मुबारकपुर रेशम बनाने का सेंटर है। यह भी बहुत गरीब है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन टाउन एरियाज में जो मुख्य मुख्य सड़कें हैं वे तो कंक्रीट की बनवा दी जायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि शहरी जनता के ऊपर जो इन कस्बों और शहरों में बसती हैं, उनकी सार्वजनिक मांगों का आदर करते हुए भूमि भवन-कर समाप्त करेंगे।

*श्री चतुर्भुज शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया, खास तौर से माननीय झारखंडे राय जी का, जिन्होंने बहुत-सी बातें इस मांग के बारे में कहीं और उनमें काफी वजन भी है लेकिन मैं एक उलाहना देना चाहता हूं कि जहां तक उन्होंने कहा है कि इतना कम अनुदान रखा गया है और आप जब यह महसूस करते हैं कि इसमें कम रुपया रखा गया है तो फिर यह नहीं होना चाहिए था कि यह प्रस्ताव रखा जाता कि संपूर्ण धनराशि की मांग घटा कर १ रुपया कर दी जाय। तो जो बातें उन्होंने कहीं हैं, खास तौर से जो उन्होंने कहा कि छोटे टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज जो हैं, उनको ग्रान्ट ज्यादा मिलनी चाहिए और बड़े शहरों को ग्रान्ट नहीं मिलनी चाहिए, उन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक पहली बात है उसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जो छोटे-छोटे टाउन एरियाज हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको अधिक धन दिया जाय लेकिन बड़ी जो नगरपालिकाएं हैं, उनकी जो जरूरत है उनको जरूरत के अनुसार न दिया जाय तो यह बात भी सही नहीं है।

अभी आपने देखा कि माननीय सत्यनारायण पांडेय और माननीय हमीद साहब जो बड़े-बड़े टाउन्स को रिप्रेजेन्ट करते हैं उन्होंने भी अपनी-अपनी नगरपालिकाओं की जरूरतों को बताया है। तो नगर महापालिकाओं, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज को अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार रुपया दिया जाता है। टाउन एरियाज के सम्बन्ध में, जैसा मैंने अर्ज किया, उनको क्यों इतनी शर्त लगायी गयी है? १० फीसदी मैचिंग ग्रान्ट देनी पड़ेगी ताकि उनको १०,०००, १२,००० जितने भी टाउन एरियाज हैं उनको दिया जाता है। माननीय झारखंडे राय जी ने जो नोटिस दिया, पूर्वी जिलों में, उनको विशेष धन दिया जाता है। मेरे दिमाग में है और जहां तक होगा मैं स्पेशल ग्रान्ट के जरिए उनकी मदद करूंगा।

दूसरी चीज उन्होंने कर्मचारियों के बारे में कही। कर्मचारियों के बारे में निवेदन है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि वह विधेयक पास हो गया है और उस विधेयक के अनुसार हम नियम भी बनाने में लगे हुए हैं और आशा है कि बहुत जल्द कार्यवाही हो जाएगी। जैसा वह चाहते हैं, उच्च अधिकारी भी अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर किए जा सकेंगे।

तीसरी चीज माननीय सदस्यों और माननीय झारखंडे राय जी ने कर्मचारियों के वेतन के बारे में कही। वाकया यह है कि सब के वेतन कम हैं। वास्तव में टाउन एरियाज कमेटी जो हैं, उनकी आमदनी कम है, इसलिए उनके कर्मचारियों के वेतन और भी कम हैं लेकिन उनके वेतन बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं को ही भार वहन करना होगा। जितना अनुदान आप हमें दे देंगे, उतना ही रुपया हम बांट देंगे लेकिन कर्मचारियों की दशा देखते हुए हमने यह तय किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि एक पे कमेटी उन लोगों की बना दें और जो रिपोर्ट आए उसके अनुसार उनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही उनकी आमदनी को भी देखते हुए उस पर विचार किया जाय।

एक बात माननीय झारखंडे राय जी ने तैश में यह कही कि सुपरसेशन किया जाता है या लोगों को निकाला जाता है, वह पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। केवल ८,१० नगरपालिकायें ऐसी हैं जो सुपरसीडेड हैं। ऐसी भी नगरपालिकायें हैं जिनके कांग्रेसी अध्यक्ष थे उनको भी सुपरसीड किया गया है। इसमें कोई पोलिटिकल बात नहीं है बल्कि जहां मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पैसे की गड़बड़ी हुई है उन्हीं को सुपरसीड किया गया है। उनकी हालत अच्छी हो जाने पर उनको सुपरसीड नहीं रखा जाता है। मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी भी नगरपालिका को जरूरत से ज्यादा सुपरसीड रखा जाय। जितनी जल्दी वह इस लायक हो जायं कि वहां चुनाव हो सकता हो तो उसे कराने की कोशिश करूंगा।

एक चीज उन्होंने कानपुर के बारे में कही थी कि इतना सीमेंट दे दिया गया लेकिन मुझे खेद है कि यह बात मेरे विभाग से इसलिए ताल्लुक नहीं रखती है कि वह जिला परिषद् का मामला था। इसके अलावा भूमि भवन-कर के बारे में कहा गया, जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया था कि इस अनुदान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी यह एक छोटा-सा टैक्स ग्राम योजना की पूर्ति के लिए लगाया गया है क्योंकि देहात वालों की यह शिकायत थी कि जहां कोई टैक्स योजनाओं के लिए लगाया जाता है तो वह देहात वालों से ही लिया जाता है शहरों के लोग डेवलपमेंट के लिए किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देते हैं। कहा गया कि डबल टैक्स लगता है। मैंने कहा था कि आधी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पर भूमि भवन-कर नहीं लगा है, हालांकि सारी सेवायें नगरपालिकाओं की नगरवासी पाते हैं। अगर आप भवन-कर नहीं देंगे तो वे अपने बजट को कैसे पूरा करेंगी ? जो हाउस टैक्स लगता है वह स्वास्थ्य, रोशनी तथा पानी आदि के प्रबन्ध के एवज में देते हैं। भूमि भवन-कर योजनाओं को पूरा करने के लिए है और विकास के काम के लिये है। हाउस टैक्स तो मकानों की मालियत के सम्बन्ध में है। वह रेवेन्यू में जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो भूमि भवन-कर लगाया गया है वह योजनाओं के लिए है। लेकिन जिन मन्त्री जी ने उसको रखा था उन्होंने यह कहा था कि इस समय देश पर संकट है, इसलिए इसको लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, आप गलती कर रहे हैं। यह कर नियोजन के लिए ही था।

श्री उग्रसेन--

वे सुरक्षा के कानून खत्म हो गए हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए, वह औरों के लिए था, इसके लिए नहीं था।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

एक जरूरी बात यह कही गयी, जिसे मैं आवश्यक महसूस करता हूं, वह थी, पानी के बारे में। माननीय लखपतराम शर्मा जी बोल नहीं पाए, उन्होंने पानी की बोतल हमें दी थी कि

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इस तरह से बांदा शहर को पानी दिया जा रहा है। मुझे स्वयं मालूम है कि बुन्देलखंड में खास तौर से बांदा जिले में ऐसी बात है। उन्होंने उस जिले के शहर की बात बतलाई, अगर उस जिले की वह पाठा एरिया को देखें तो वहां १०-१० मील से पानी लेने जाते हैं।

श्री उग्रसेन--

म्युनिसिपैलिटी ने गंदे नाले इन तालाबों में गिरा दिए हैं, इसको रोकिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इस तरह से काम नहीं चलता है। जो मैं अर्ज कर रहा था, बांदा जिले में खास तौर से और बुन्देलखंड में और आपके उत्तरी जिलों में जो पहाड़ी जिले हैं, इनमें पानी का विशेष संकट है। इसके लिए हमने एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें ग्राम भी शामिल होंगे और आपके कस्बे भी होंगे। इन इलाकों में जहां स्केयरसिटी कही गई है, उनमें पानी का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री उग्रसेन--

यह सवाल नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी ने गंदे नाले को उन तालाबों में गिरा दिया है, उनको आप रोकिए।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इस तरह से काम नहीं चलता है। क्या पानी दिया जा रहा है, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप झूठ कह रहे हैं, जो पानी अवेलेबुल होगा, वही पानी तो दिया जायगा। पानी वगैरह तो वाटर वर्क्स से लिया जाता है, वाटर वर्क्स में जो पानी होगा, वही दिया जायगा। या कोई अपने आप पानी लाता होगा, तो जहां उनको पानी मिलता है, वहां से वे लाते हैं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, नाले उन तालाबों में क्यों गिराए गए हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इतना इन्टरप्शन करते हैं, जब तक वे बैठते नहीं हैं, तब तक कहने का क्या मतलब है?

श्री उग्रसेन--

हम यह कहते हैं कि मन्त्री जी जांच करा लें कि क्या कोई नाला तालाब में गंदे पानी का गिराया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

बांदा की म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स है, इसलिए वहां नाला नहीं गिरेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बात और कहना चाहता था, जो झारखंडे राय जी ने कहीं थी--एक तो उन्होंने कहा था कि राज्य बंदियों को भत्ता नहीं दिया जाता है। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि पहले साल इनके प्राविजन रखे गए थे, लेकिन रकम कम थी, अगर रकम कम हो जाती है, तो उसकी संख्या बढ़ सकती है, पर जो लोग इसके योग्य हैं कि उनको भत्ता दिया जाय, तो उनको दिया जायगा, अगर रकम कम होगी तो फिर बढ़ जायगा। ऐसा प्राविजन है कि

उनको, जो लोग भत्ता देने के लायक हैं, उनको भत्ता दिया जाय। लेकिन एक बात मैं माननीय झारखंडे राय जी से कहूंगा कि जहां सरकार का यह कर्तव्य है कि जो भी कैदी हो, उसे अच्छी तरह से रखे, वह राजबन्दी हो चाहे दूसरे प्रकार का बन्दी हो. वहां दूसरी चीज यह भी आवश्यक है कि कुछ देशद्रोही लोग खामख्वाह बन्दी बनने के लिए कोई कार्यवाही न करे तो ज्यादा अच्छा हो।

एक चीज उन्होंने कही, एक जो फ्लाइंग क्लब को अनुदान मिलता है, उसके लिए उन्होंने जाने कौन से अय्याशी शब्द का इस्तेमाल किया। उसको सुनकर मैं तो दंग रह गया। मैं तो समझता था कि झारखंडे राय जी ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं। उनके मुंह से कैसे ऐसी बात निकली? फ्लाइंग क्लब में नवजवानों को हवाई जहाज उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें वह कुछ सरकार का भी काम करते हैं, इसके लिए उनको ग्रान्ट दी जाती है। कुछ लोग जो सेना में काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है, वह वहां पर हवाई जहाज उड़ाने की शिक्षा प्राप्त करते हैं और यह देश के लिए अच्छी बात है। इतने महत्वपूर्ण काम को देखते हुए जो एक छोटी-सी ग्रान्ट उन्हें दी जाती है वह कोई बेजा बात नहीं है। इन शब्दों के साथ में, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को मंजूर करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान—के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान—के अन्तर्गत १,७९,९९,७०० रुपए की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय—के अन्तर्गत ४,९२,१०,२०० रुपए की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—कारागार

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कारागार (जेल)—के अन्तर्गत २,२२,४२,४०० रुपए की मांग सन् १९६५–६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कारागार (जेल)—के अन्तर्गत २,२२,४२,४०० रुपए की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

*विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय—के अन्तर्गत ६२,७४,३०० रुपए की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मांग तो हमने ६२ लाख ७४ हजार रुपए की रखी है, लेकिन इस मांग में से ८,२४,२०० रुपए की धनराशि हिन्दी समिति के लिए है। हिन्दी समिति हमारे यहां पुस्तकों के प्रकाशन का काम करती है, कुछ पुस्तकें मैंने पारसाल दिखाई भी थीं और कुछ पुस्तकें मैं लाया भी हूं। इस हिन्दी समिति ने कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जैसे गुजराती साहित्य का इतिहास, तेलगू साहित्य का इतिहास, मलयालम साहित्य का इतिहास, अलग-अलग भाषाओं का जो इतिहास इस प्रकार प्रकाशित हुआ है, जिसमें जो थोड़ी सी जानकारी है, उसकी भी पुस्तकें छपवाई हैं। ये पुस्तकें, आज जो देश में भाषा के संबंध में बहुत बड़ा झगड़ा है, उसकी दृष्टि से और भी अत्यन्त आवश्यक हो गई हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य इन पुस्तकों को देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे इस विभाग से...

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

अगर आप इन पुस्तकों को बंटवा दें तभी तो हम देखेंगे।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप मेरी बात सुन लें तो इन पुस्तकों के अलावा भी हमने बड़ा उपयोगी कार्य किया है। अन्न-उपजाओं योजना के अन्तर्गत हमने बड़ा उपयोगी कार्य किया है। माननीय भानुप्रताप सिंह जी और उनके पिता जी जो हमारे यहां डाइरेक्टर रह चुके हैं उन्होंने "सघन खेती" नामक पुस्तक लिखी है। एक और पुस्तक विधायन प्रणाली के संबंध में लिखी गई है जिससे हमारे सदस्यों को विधान संबंधी कार्य सुचारु रूप से करने के लिए ज्ञान हो सके। एक और पुस्तक है "वाजिद अली शाह और अवध राज्य का पतन" जो बाबू संपूर्णानन्द जी ने लिखी है...

श्री उग्रसेन—

अवध में वाजिद अली शाह के वारिस तो आप बने हैं और दोष देते हैं वाजिद अली शाह को।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं आपको बतलाऊं कि इसमें करीब ८ लाख २४ हजार रुपया तो हिन्दी समिति का है। ये कमेटी के लिए भी ३,२९,००० रुपया रखा है। जो हमारी आमदनी है उसका भी अनुमान १ लाख ६४ हजार रुपया है। ग्रांट के लिए १ लाख ४६ हजार है। सामूहिक श्रवण योजना के अन्दर भी १३ लाख रुपया रखा है। यदि इन सब को इसमें से निकाल दें तो जो बजट हमारा रह जाता है वह बहुत थोड़ा रह जाता है। वह इस टोटल २७ लाख ८३ हजार की रकम को अगर उस सारी धनराशि में से निकाल दिया जाय तो करीब ३४ लाख ९० हजार रह जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाऊं कि सूचना का काम एक बड़ा भारी काम है। जो काम हम करते हैं वह मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि हमने जो पिछली दफा रिहन्द योजना बनाई और हमारी इर्रीगेशन कमेटी जब वहां गई तो उस तरफ बैठने वाले सदस्यों ने कहा कि हम पहला प्रस्ताव यह रखें कि जिन इंजीनियरों ने जिस तरह से यह बनाया है उनको हम धन्यवाद देते हैं। नेकराम जी हमारे कुछ प्रोजेक्ट देख कर आये हैं। वह जानते हैं कि कितनी कठिनाई से बहुत बड़ा काम हमारे इंजीनियरों ने किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बात कहना काफी नहीं होता। जो काम कर रहे हैं उनके काम को माननीय सदस्यों को देखकर जानकारी करनी चाहिए। और जानकारी का जो काम है वह हमारा विभाग थोड़ा-सा किया करता है। मैं मानता हूं कि जो खर्चा आप देते हैं वह पर्याप्त नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा-सा हमारा यूनिट है उसमें पेट्रोल दिया करते हैं एक महीने में ११० गैलन। अगर एक ट्रिप इधर से उधर लग जाय तो वह खत्म हो जाय, लेकिन हम आशा करते हैं कि इतना ही करके .....

श्री उग्रसेन—

मैं तो अपने जिला सूचना अधिकारी को पहचानता ही नहीं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह उग्रसेन जी की नजरे इनायत है कि वह पहचानते नहीं है। हमारा जो बजट है वह इतना कम है कि जो आशा हमारे माननीय सदस्य उससे करते हैं वह बहुत ज्यादा है। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था और दूसरे प्रदेश के केन्द्र भी देखने गया। मैंने महाराष्ट्र का एक केन्द्र देखा। उसमें २०-२५ आदमी हैं। एक बड़े सीनियर आफिसर के मातहत ये काम करते हैं। वह वहां के अखबारों में प्रचार कार्य करते हैं। हमारी स्टेट में सूचना का काम तो हो रहा है लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता क्योंकि ज्यादा रुपया हमारे पास अभी नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव जो आदरणीय सदस्य लाये हैं उसको वापस ले लेंगे।

एक सदस्य—

वह तो अभी पेश भी नहीं हुयी।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर पेश नहीं हुआ है तो मैंने जो अनुदान पेश की है सदन उसे स्वीकार करेगा। (व्यवधान) मैं एक एक पुस्तक दे दूंगा।

*श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, सूचना निदेशालय का काम है कि जो काम सरकार करे उसकी जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है उससे सरकार को अवगत कराना, और साथ ही सरकार के कामों की जानकारी जनता को कराना। यह वैसे तो बहुत आवश्यक कार्य है और लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा किए हुए कार्यों को जनता अच्छी तरह से समझे, परन्तु यह खेद का विषय है कि प्रदेश का सूचना निदेशालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ राव]

आज गुटबन्दियों का अखाड़ा बन रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विभाग में जो मंत्री आता है तो वह अपने आप, अपात्रों को भर लेते हैं और उसको बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव करा लेते हैं। यह विभाग क्या है? यह आज शिवजी के बरातियों का अखाड़ा बना हुआ है--

"कोई मुखहीन, विपुल मुख काहूं"। यानी इस विभाग ने अपनी अभी तक कोई मैनुअल नहीं बनायी। उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। आपके विभाग में कितना पक्षपात है, कितनी अनैतिकता है, इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस प्रदेश में विज्ञापन देने का नियम यह है कि जो समाचार-पत्र ६ महीने तक चले रहते हैं उनको यह विज्ञापन देते हैं। मैं, मान्यवर, आपका ध्यान लखनऊ से जो एक पत्र निकलता है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। एक वीकली निकलता है। यह लखनऊ से निकलता है और इसके पहले वाल्यूम में ही आपके तीन विज्ञापन हैं। इसके एक बंगाली सज्जन संपादक हैं। इसमें एक विज्ञापन यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट्स का है और एक हरिजन विभाग का है और एक और है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो सबसे से अधिक बिक्री वाला पेपर है और जिसकी बिक्री संख्या ४५,००० से अधिक है, जो लखनऊ से ही प्रकाशित होने वाला है, नाम है पांचजन्य, उसे आपने अपनी दुर्नीति का शिकार क्यों बना रखा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह पक्षपात आप ने किस कारण से किया है। यह इसलिए किया जाता है कि जो समाचार पत्र आप की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं उनको यह विज्ञापन न देकर आप अपना क्रोध उन के प्रति प्रकट करते हैं। मैं आप से कहना चाहूंगा कि जो समाचार पत्र आप के विरोधी हैं और प्रदेश में सब से अधिक संख्या में भी जिनकी बिक्री है, उनका अपना महत्व है। उनके पाठकों की संख्या भी अच्छी है और हो सकता है कि उनके विचार आपके विचारों से मेल न खाते हों, संभव है कि वे आपके विचारों से सहमत न हों, किंतु आप उनको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें, उनको नियमानुसार विज्ञापन दें। अगर आपने यह समझा रखा है कि जो पत्र आपकी नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे, आपकी गलत नीतियों की जो आलोचना करेंगे, उनके साथ आप गलत व्यवहार करेंगे, और जो पत्र आपकी चाटुकारिता करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, उनको आप इसी प्रकार से विज्ञापन देते हुए बढ़ावा देंगे तो यह प्रदेश के साथ अन्याय होगा।

दूसरे, मंत्री जी के सूचना विभाग में जो धन का दुरुपयोग हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ और बतलाना चाहता हूं। यहां पर एक प्रेस क्लब चलता है। उसे अगर, श्रीमन्, आप स्वयं चल कर देखें या मंत्रीजी से मैं कहूंगा कि वे चल कर देखें तो पता चलेगा कि इस निदेशालय के जो निदेशक हैं वे क्या करते हैं। मुझे ज्ञात है कि वहां पर जुआ भी होता है और शराब के दौर भी चलते हैं और अगर आप को विश्वास न हो तो आप जरूर चल कर उसे देखें। अगर आप चाहेंगे तो उन निदेशकों का नाम भी मैं बतला सकता हूं, लेकिन नाम यहां बतलाना नहीं चाहता।

श्री उग्रसेन--

माननीय सदस्य नाम बतलावें। इस तरह से छिपे हुए आरोप नहीं लगाने चाहिए। स्पष्ट आरोप लगायें।

श्री उपाध्यक्ष--

जो व्यक्ति यहां नहीं है उनका नाम यहां नहीं लेना चाहिए। आप बैठिए।

श्री जगन्नाथ राव--

दूसरी अनियमितता आप सुनिये। जो ३२ लाख रुपये की धनराशि निदेशक के डिस्क्रीशनरी फंड पर रखी गयी है..

श्री सत्यनारायण पांडेय—

जब ग्रांट पर इस तरह से बहस हो रही है तो क्या इस विभाग के मंत्री इस तरह से गोष्ठी कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई दूसरा सदस्य जाकर उनसे बात करता है तो वैसा आप भी कर सकते हैं । मंत्री जी, आप किताब बांटना बन्द कर दें ।

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस समय सदन में अनुदान पर बहस हो रही है, मंत्री जी किताब बेच रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रेस क्लब की चर्चा की गयी है वह सूचना विभाग द्वारा संचालित नहीं होता और उस के संबंध में कोई अनुदान यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है । उस पर क्यों चर्चा की जा रही है ? प्रेस क्लब सूचना विभाग के अधीन नहीं है ।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, एक सदस्य बिना आपकी आज्ञा के बोलने लगे, यह क्या उचित है ? वह कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री जगन्नाथ राव—

एक किताब मैं आप के सामने रख दूंगा । इसमें आप देख लीजिएगा कि प्रेस क्लब की बात आयी है या नहीं । जो धनराशि इस बजट में इस विभाग के लिए मांगी गयी है उसमें से ३२ लाख की ऐसी धनराशि है जो निदेशक की इच्छानुसार खर्च की जायगी । यह जिसको खुश करना चाहेंगे उसको रुपया देकर खुश कर सकेंगे । जिनको यह चाहेंगे उन समाचार पत्रों को विज्ञापन आदि देंगे, जिनको नहीं चाहेंगे, नहीं देंगे । इस तरह से समाचार पत्रों का नैतिक स्तर गिरता है । जो भी इनके खिलाफ चलता है उसको यह धमकी देते हैं, उसको कोई सहायता नहीं देते ।

इस विभाग में कितनी अनियमितता होती है, उसके कई उदाहरण मौजूद हैं । अभी एक टूर जाने वाला था और उसकी सूचना पत्रकारों को दी गयी । ५० पत्रकारों में से ५ तैयार हुए, ४५ ने कहा कि हम नहीं जायेंगे । २४ सीटों वाली एक फर्स्ट क्लास की बोगी रिजर्व करायी गयी जब कि उनकी संख्या बहुत कम थी । हुआ क्या कि उन्होंने अपने आफिसरों को भर लिया और उनको ले गये और २,७०० रुपया सरकार को किराये का देना पड़ा ।

८ जनवरी, १९६५ को कलेंडर छापने के लिए टेंडर मांगे गये । ३ आदमियों के टेंडर आये, एक लखनऊ के मिस्टर लारी का था, दूसरा एक आगरा का था और तीसरा एक मथुरा का था । मथुरा का सबसे कम ७५ पैसे प्रति कलेंडर का टेंडर था, मगर उसको आर्डर न देकर १.२५ पैसे वाले को, जो मिस्टर लारी हैं लखनऊ के, उनको यह आर्डर दिया गया । करीब

[श्री जगन्नाथ राव]

६०–७० हजार कलेंडरों का आर्डर गया होगा और ८ आने प्रति कलेंडर के हिसाब से ३० हजार रुपया बरबाद किया गया। आज सहारनपुर में एक जगह एयर कन्डीशन लगाने के लिए लखनऊ की किसी फर्म को जो ठेका दिया गया उसकी भी यहां चर्चा हुई थी। तो कोई इनके मित्र होंगे लारी साहब, जिनको कलेंडरों का ठेका दिया गया और ३० हजार का उनको फायदा पहुंचाया गया।

यहां पर एक प्रेस मान्यता समिति है। १ अप्रैल, १९६४ से उस समिति का कार्यकाल सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ाया। उस समिति में ४ सदस्य अखिल भारतीय समाचार संपादन सम्मेलन से तथा ४ सदस्य भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से लेने चाहिए थे। मगर सरकार ने वहां से उनको न मांग कर अपने कृपापात्रों को तथा अपने लोगों को फिर से उसमें रखा और उस समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया।

यह बड़े दुख की बात है कि हमारे प्रदेश और राष्ट्र की भाषा हिन्दी होते हुए भी अंग्रेजी में रिपोर्ट आदि छापी जाती है। उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी एक प्रेस सम्मेलन किया था जिसमें जो रिपोर्ट प्रकाशित की गयी वह अंग्रेजी में थी। कई पत्रकारों ने इसका विरोध किया और उसे फाड़ कर फेंक दिया। इस विभाग द्वारा जो भी पत्र जिलों को जाते हैं वे अंग्रेजी में जाते हैं। २६ जनवरी के पास तो कुछ काम हिन्दी में हुआ, मगर अब फिर अंग्रेजी में होने लगा है।

इसके अलावा जो आपके जिलों में सूचना अधिकारी हैं उनका स्तर आपने एक चपरासी का ही बना रखा है। हमारे जिलाधीश जब दौरे पर जावेंगे तो जिला सूचना अधिकारी बस्ता लेकर पहुंचेंगे, जिला सूचना अधिकारी चपरासी की तरह दौड़े-दौड़े फिरेंगें, मंत्री जी जावेंगे तो मंत्री का बिस्तर लेकर फिरेंगे। यह जो सूचना अधिकारी है वह आपकी बातों को जनता तक पहुंचाता है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गांव में रहती है। परन्तु उसे आप सौ गैलन पट्रोल देते हैं। सूचना अधिकारी बताता है कि उन्हें सारा पट्रोल मंत्रियों और जिलाधीशों के पीछे ही खर्च कर देना पड़ता है। आपके सूचना विभाग के सिनेमा-प्रोग्राम जो होते हैं वे कितने ग्रामीण अंचलों में किये जाते हैं, यह सूचना अधिकारियों से पूछकर देख लीजिए। वे सब बड़े कस्बों और शहरों तक ही सीमित रखे जाते हैं। बड़े कस्बों या शहरों में तो रेडिओ आदि की भी सुविधा है परन्तु गांवों में कोई लाभ नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि या तो आप सूचना अधिकारी को एक प्रतिष्ठा का स्थान दीजिए या उसे खत्म करिए।

श्रीमन्, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो सूचना विभाग है इसमें कितना पैसा खर्च किया जाता है। १९४९–५० में २,५०० रु० खर्च करते थे इस विभाग पर। आज भी २,५०० रु० ही खर्च किया जा रहा है। उसमें से १,७५० रु० वेतन तथा भत्ते, १५० रु० मोबिल आईल, १२५ रु० मरम्मत आदि में, १५० रु० मकान किराये, और १०५ रु० फुटकर खर्चे आदि रखे गये हैं। आजकल भी जब कि इतना परिवर्तन हो गया है, सूचना विभाग वहीं अपनी लेफ्टराइट कर रहा है। श्रीमन्, हर स्टेट में कुल बजट का कितना प्रतिशत सूचना विभाग पर खर्च किया जाता है, वह मैं बता रहा हूं। बिहार में .७ प्रतिशत, पंजाब में .२७ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में .६ प्रतिशत, गुजरात में .५५ प्रतिशत, आसाम में .६६ प्रतिशत, आंध्र में .३४ प्रतिशत, उड़ीसा में .२५ प्रतिशत और हमारे यहां .२२ प्रतिशत खर्च होता है। इसी तरह से अगर आप प्रति व्यक्ति हिसाब लगाइये तो उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में सबसे कम खर्च किया जाता है। बिहार में ६ पैसा, पंजाब में २१ पैसा, मध्य प्रदेश में ६ पैसा, गुजरात में ६ से कम, आसाम में १२ पैसे, आंध्र में १० पैसे से कम, उड़ीसा में १० पैसे और उत्तर प्रदेश में केवल ७ पैसे ही खर्च होते हैं। इसी प्रकार से ३२ लाख रुपया जुए और भ्रष्टाचार के लिए डिस्क्रीशनरी फंड का हो गया और २,५०० रु० सारे जिले में कर दिया गया। श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, मैं केवल मंत्री जी को सुझाव देकर भाषण समाप्त किए देता हूं । अगर वे सूचना विभाग के पदों पर नियुक्ति करने लगें तो अच्छे और अनुभवी पत्रकारों को ही भरती करें जो आपके कार्यों को समझें । यह जो डिस्क्रीशनरी फंड है और जो सूचना अफसरों की फौज है इनको कम किया जाय । सूचना अधिकारियों को मंत्रियों और जिलाधीशों के पीछे दौड़ने से रोकिए । इस विभाग का कोई मैनुअल नहीं बना है, उसको बनाइये ।

*श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्रीजी ने सदन के समक्ष पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की दृष्टि से इन्फारमेशन विभाग का बहुत ज्यादा महत्व है । उसका महत्व केवल अपने प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका महत्व सारे देश से हो जाता है । इसलिये पर्वतीय क्षेत्र में जो इन्फारमेशन विभाग है उसको ज्यादा इफेक्टिव बना दिया जाना चाहिये, ताकि वहां पर जो कार्य कलाप और सिक्योरिटी के कार्य इस विभाग के द्वारा होते हैं और देश और प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में वहां के लोगों को सही-सही बातें बतायी जा सकें ।

एक बात और है कि आपका जो यह पर्यटन विभाग है अगर उसको इन्फारमेशन विभाग में मिला दिया जाय तो पर्यटन विभाग ज्यादा मजबूत हो जायगा, उसका विकास भी हो सकेगा और उसके द्वारा विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकेगी ।

सूचना विभाग की तरफ से जो विज्ञापन दिये जाते हैं उस विषय में मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं कि वे पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के अखबार वालों को दिये जाते हैं । मेरे जिले में कई सरकार समर्थक और कई सरकार विरोधी अखबार हैं लेकिन मैं देखता हूं कि जिला स्तर और प्रदेशीय स्तर, दोनों तरफ से उनको बराबर विज्ञापन दिये जाते हैं ।

एक सदस्य—

कर्मभूमि को मिलता है या नहीं ?

श्री देवेन्द्रसिंह—

कर्मभूमि से मेरा संबंध नहीं है । श्री त्रेपनसिंह नेगी वहां बैठे हैं, उनको इस बारे में अधिक मालूम होगा ।

इन्फारमेशन आफिसर जो हमारे यहां नियुक्त किये जाते हैं, उनका कोई कार्य-क्रम नहीं रखा जाता । उन पर कुछ पाबन्दी अवश्य होना चाहिए । महीने में कम से कम एक बार वे हर ब्लाक में जायं और ब्लाक में ही नहीं, देहात में जायं और वहां पर सरकार द्वारा तैयार की हुई फिल्मों का प्रदर्शन करें जिससे वहां के लोगों को कृषि और शिक्षा आदि के क्षेत्र में जो देश ने तरक्की की है, उनके बारे में उनको मालूम हो सके ।

हमारे यहां एक इन्फारमेशन आफिसर गया है, उसको ६ महीने से मकान नहीं मिला है । भला जो आदमी अपने रहने के लिए मकान को परेशान होगा, वह अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभा सकता है। इसलिए जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था करे ताकि जिस मकसद से आपने वह आफिसर वहां रखा है, उसको वह पूरा कर सके । इतना कह कर मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मैंने पिछले साल कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस विभाग को केवल एक कला और कल्पना को साकार करने के लिए ही नहीं रखना चाहिए, मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया है और कुछ कार्य भी किया है। उसके जो कार्यकलाप हास्य-विलास और रंगरेलियों के थे, उनमें कुछ सुधार किया गया है, कुछ गंभीरता को लेकर कई बड़े कार्य किये हैं। हिन्दी समिति की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि जिला स्तर पर जो विभागीय अधिकारी हैं वह जिले में जिलाधीश के अधीन साधन जुटाते देखे गये हैं, वह उनके मातहत कर दिये गये हैं। वहां के जिला मैजिस्ट्रेट के लिए वहां का सूचना अधिकारी हर प्रकार की सुख सुविधा को उपलब्ध करता है। किन्तु उसका मुख्य कारण यह है कि आपने उसकी बागडोर उनके हाथ में दे दी है। जिलाधीश उसके कैरेक्टर रोल में ऐंट्री करता है इसलिये स्वाभाविक है कि वह उनकी मनचाही बात करेगा तथा इसी नाते वह वरिष्ठ अधिकारियों को सुविधायें भी अधिक प्रदान कराता है। इस विभाग का जो मुख्य काम है, सरकार के कार्य-कलापों की खबरें जनता तक पहुंचाना तथा जनता की स्थिति का सही चित्रण करके सरकार तक पहुंचाना, वह नहीं कर पा रहा है। आज मंत्रियों के फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है, वरन किसानों की जो वास्तविक स्थिति है उसके फोटो लेकर सरकार तक पहुंचाना चाहिये ताकि सरकार को तथा जनता को मालूम हो कि कृषक किस अवस्था में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस व्यवस्था के अभाव में मंत्रियों को जनता के सही कष्टों का ज्ञान नहीं हो पाता है।

आप इस बजट को देखें तो पायेंगे कि सारा का सारा पैसा नाट्य कला, और संगीत कला में खर्च होगा। मैं इस कला की उपेक्षा नहीं करता क्योंकि जानता हूं कि मनुष्य के जीवन के लिये जहां श्रम आवश्यक है वहां साथ-साथ मनोरंजन के साधन भी होना आवश्यक हैं और जो हमारे देश की कलायें हैं उनका जीवित रहना भी अत्यावश्यक है, उनका विनाश नहीं होना चाहिये। परन्तु आज तमाम विद्यालयों को करीब ७६,९०० रु० दिया जाना उचित नहीं है। यह काम शिक्षा विभाग का था। इस विभाग को जो बजट दिया गया है वह स्वयं नाकाफी है, अगर इसके वास्तविक काम को देखा जाय तो। बजट बढ़ाना तो दूर रहा, उसमें से अच्छी खासी रकम दूसरे कामों के लिये दे दी जाती है। यदि आप अन्य देशों के सूचना विभागों के कामों को देखें और वही काम इस विभाग से लिये जायं, इसको राजनीति से दूर रखा जाय, तो मैं कह सकता हूं कि इसका बजट बहुत ही कम है। मंत्रियों की सुख सुविधा के लिये जो कला प्रदर्शन का आयोजन इस विभाग द्वारा कराया जाता है और जब कलाकार अपनी मुद्राओं से आपको आत्म विभोर करता है तो आपके हृदय को सुख तो अवश्य मिलता है, परन्तु इसका जो मुख्य काम जनता तथा सरकार के बीच में सम्बन्ध स्थापित बनाये रखने का है उस तरफ ध्यान कम दिया जाता है। अत: इस विभाग के मूल तथा वास्तविक कार्य को ध्यान में रखते हुए या तो इसके बजट को बढ़ाया जाय या इसको बिलकुल समाप्त कर दें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे प्रदेश में सब से कम पैसा इस विभाग में खर्च किया जाता है, प्रति व्यक्ति ७ नया पैसा और बजट का केवल .२२ फी सदी। अब यदि इससे वास्तविक काम लें तो इसके बजट को बढ़ाना पड़ेगा। जिला स्तर पर जो १९४९ में खर्चा था वही आज भी है जब कि महंगाई काफी बढ़ गयी है। जिले में १२० रु० के पेट्रोल में कैसे ५ प्रोजेक्टर्स और ५ जेनरेटर चल सकते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जनतंत्र के सतर्क प्रहरी आपके पत्रकार हैं। अब अगर इनको थोड़ी सी परेशानी अपने काम में होती है तो आपकी बात कैसे जनता तक पहुंचा सकेंगे? आज उनके साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी पत्रकार के साथ व्यवहार करने में पोलिटिकल कलर नहीं आने देना चाहिये।

मैं उनकी असन्तुष्टि का एक उदाहरण देता हूं। प्रेस वालों की एक टीम भ्रमण के लिये दूसरे प्रदेशों में जाने वाली थी, आपने ५० आदमियों को इन्वाइट किया था। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें ५ पत्रकार ही क्यों गये? कारण यह था कि आपके व्यवहार से वह असन्तुष्ट थे इसीलिये जाने को तैयार नहीं हुए। आप १२,००० रु० उन पर खर्चा स्वीकार करते हैं पर उन पर बहुत कम व्यय होता है और अन्य सुविधाओं के साथ उनको कुछ नहीं मिलता। पत्रकारों के लिये एक बोगी १० दिन तक एक स्टेशन पर पड़ी रही जिसके लिये सरकार को ३,००० रु० डेमरेज भी देना पड़ा। लोग क्यों नहीं गये, क्योंकि सहयोग नहीं दिया गया यह भ्रष्टाचार का कारण है।

सरकार जो अनुदान देती है, सब समाचार ब्यूरोज को अनुदान देते हैं, इसमें आपने उन्हीं सब लोगों को दिया जो आपके पिट्ठू हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले साल भी कहा था कि यहां पर जो हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी है उसको हर साल उपेक्षित किया जाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें। अगर कोई एजेन्सी आपके विचारों से नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी बिलकुल उपेक्षा कर दें। आप चाहें तो उनको थोड़ा ही दें, लेकिन दीजिये तो अवश्य। इस एजेन्सी के पास ३, ३ हिन्दी के टेलोप्रिन्टर्स हैं लेकिन आप हिन्दी को प्रोत्साहन ही नहीं देना चाहते। मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। सरकार गम्भीरता से इस बात पर विचारक रे, पत्रकारों में पक्षपात न करे।

अब मैं विज्ञापन देने के बारे में कहता हूं। आप जो विज्ञापन देते हैं उसमें भी मुंह देखा व्यवहार करते हैं। इस बात का विचार रख कर विज्ञापन दिया जाता है कि यह पत्र किस पार्टी का है। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण गलत है। विज्ञापन देने का उचित तरीका यही है कि आप उस पत्र को विज्ञापन दें जिसका सर्कुलेशन अधिक हो। इसकी मिसाल यह है कि साप्ताहिक पाञ्चजन्य के ४५ लाख पत्रों का सरक्यूलेशन है। इसी प्रकार से डेली पेपर्स की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ के पायनियर तथा इलाहाबाद लीडर जो अंग्रेजी के पत्र हैं, इसका सरक्युलेशन १० हजार से कम है, उनको तो आप अनुदान व विज्ञापन देते हैं लेकिन उन्हीं के मुकाबले में बनारस के "आज" और कानपुर के "जागरण" को नहीं देते हैं जब कि इनका सरक्युलेशन उपरोक्त पत्रों से दूना है। तो जो पत्र आपका प्रचार करते हैं उनको तो आप विज्ञापन वगैरह देते हैं लेकिन जो आपका प्रचार नहीं करते उनकी तरफ से आप उदासीन रहते हैं। यह भेदभाव जनता में सद्भावना पैदा नहीं करता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री हरी सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, हम लोगों को भी कुछ कहना है, इसलिये हमारा भी ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

५ मिनट का समय दिया जायगा।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरट)--

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्री जी ने सूचना विभाग के लिये जो अनुदान पेश किया है, उसके लिये मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रीमन्, सरकार का यही एक ऐसा विभाग है जिससे सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे वे विरोधी दल के हों, चाहे कांग्रेसी दल के हों, कुछ न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

कुछ मांग रहे हैं। कोई किताबें मांग रहा है, तो कोई विज्ञापन मांग रहा है। यही नहीं बल्कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को इस बात को बड़ी तकलीफ है कि जिस विभाग के द्वारा सरकार द्वारा किये गये कार्यों का प्रचार होना चाहिये उस विभाग के लिये सबसे कम बजट रखा गया है। पता नहीं कि इस सरकार को हो क्या गया है। जिस रोज से यह सरकार कायम हुई है उस रोज जो इसका बजट था उतना ही आज भी है और उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। इसका कारण यह है कि इसमें तो खाया पिया जाता नहीं और चन्द विरोधी दल के सदस्य विज्ञापन मांग रहे हैं, तो कई किताबें मांग रहे हैं। इसलिये मेरा खयाल है कि इस विभाग का बजट कम से कम ३–४ करोड़ रुपये का होना चाहिये था, क्योंकि इसके कर्मचारियों और अधिकारियों का जहां तक प्रश्न है, और जहां तक उनकी कार्य प्रणाली का प्रश्न है, सभी इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखलाते हैं। पत्रकार तो बुद्धिजीवी लोग होते ही हैं। सभी नेतागण चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, जानते हैं कि अखबारों से बुद्धिजीवियों का सम्बन्ध होता है, फिर भी मालूम नहीं सरकार ने क्यों इस विभाग के लिये इतना कम बजट रखा और इसको बढ़ाया नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस विभाग का बजट ४ या ५ करोड़ से कम नहीं होना चाहिये।

आज यहां शहरों की बात बहुत हो रही है कि फलां पत्र को विज्ञापन नहीं दिया गया या फलां पुस्तिका हमें क्यों नहीं मिली, लेकिन गांव के वह किसान मजदूर जिनके लिये सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवाद का नारा लगाती रहती है, किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी उन तक पहुंचाने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है। कोई भी सरकार हो वह तब तक नहीं चल सकती है जब तक कि उसके द्वारा किये गये कार्यों का प्रचार आम जनता तक न पहुंचे। भजन मंडलियों द्वारा इसका प्रचार होना चाहिये।

सूचना अधिकारियों के लिये जो पेट्रोल का भत्ता दिया जाता है वह केवल १०० रु० है जो बहुत ही कम है। सरकार को चाहिये कि उसे बढ़ा कर कम से कम ५०० रु० कर दे ताकि वे हर माननीय सदस्य के क्षेत्र में जाकर सरकार द्वारा किये गये कार्यों का प्रचार करें, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों। और विभाग के अधिकारी जितना भी रुपया चाहें मनमाना खर्च करते हैं और इस तरह से लाखों, अरबों रुपया बर्बाद होता है, यह बड़े दुख की बात है। विदेशों की सरकारें सूचना विभाग पर कितना ही रुपया खर्च करती हैं यह आप जानते होंगे। माननीया मुख्य मंत्री का विभाग और पैसा ६० लाख, वह कई करोड़ होना चाहिये था। सदन के सदस्यों की भावना देख ली जाय और उसके अनुसार इस बजट को बढ़ाया जाय। मुझे अफसोस है कि मंत्री जी का सूचना विभाग की तरफ ध्यान नहीं है, प्लानिंग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है जहां खूब पैसा खाया जा रहा है और सूचना विभाग जो ईमानदारी से काम करता है उस पर केवल ६० लाख रुपया रखा है। मेरा नम्र निवेदन है कि प्रचारक रखे जायं और उनके द्वारा गांव-गांव में किसान मजदूरों में सरकार के कार्यों का प्रचार किया जाय, भजन मंडलियां रखी जायं और माननीय सदस्यों को फ्री पुस्तकें मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र––

उपाध्यक्ष महोदय मैं....

श्री हरीसिंह––

श्रीमन्, एक बात रह गई थी वह और सुन लें कि यह सूचना विभाग की जो इमारत ली जा रही है वह गलत चीज है, उसको न लिया जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरी सिंह जी ने कहा कि यह सरकार के प्रचार का विभाग है। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में कौन सी ऐसी हुकूमत है, कोई ऐसी हुकूमत नहीं होगी जो अपने कामों का प्रचार कागज के द्वारा कराती हो, और विभाग खोले हो। उसका प्रचार जो उसके कार्यों का संचालन है, उससे खुद ही होता है, जो कार्य सरकार करेगी जनता उसको जानेगी। यह विभाग तो मंत्रियों के व्यक्तिगत प्रचार का साधन बना हुआ है, किसी मंत्री के व्यक्तित्व का किस प्रकार प्रदेश में प्रचार किया जाय केवल एक ही मकसद इस विभाग का है। खास व्यवस्था मंत्रियों के फोटो की फिल्म की कैसे हो एक तो यह और दूसरा काम इसका यह है कि प्रेस के लोगों को कैसे खरीदा जाय, उनके आचरण को कैसे भ्रष्ट किया जाय, इसके लिये ही यह विभाग काम कर रहा है। प्रेस से सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक आफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर बनाये गये। वह प्रेस से सम्पर्क रंडीखाने और मयखाने या शराबखाने में स्थापित करते हैं। सुरासुन्दरी से छक कर कई बार इन सज्जन का सम्पर्क कई बार आगरा और इलाहाबाद में रंडीखानों में हुआ, इस पर श्री चन्द्रभानु गुप्त ने उनको निकाल दिया लेकिन सहकारिता मंत्री ने उसमें दखल दिया और फिर उनको रख लिया। यहां तक कि ८ जून को दिवंगत प्रधानमंत्री के अस्थिविसर्जन के दिन भी वह रंडीखाने में पकड़े गये, जेल में बन्द किये गये, पीटे गये लेकिन फिर भी यह सरकार बेबस रही (शेम शेम) और वह फिर रख लिये गये। जिस विभाग का ऊंचा अफसर ऐसा काम करता हो उससे क्या आशा की जा सकती है कि वह सूचना विभाग की ओर से प्रेस से सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

इस विभाग में गोपनीय सेवाओं के लिये अलग फंड है और उस पर लाखों रुपया व्यय होता है। वह किस के लिये है? क्या उसका उद्देश्य है यह तो मंत्री जी ही जानते होंगे, लेकिन उसके द्वारा अखबार वालों को खरीदा जाता है। लाखों रुपया इस फंड में है और उनको इसके द्वारा नियमित रूप से सरकार अपने हक में सांटे रहती है। एक प्रतिष्ठित मान्य अफसर को कहा गया कि तुम हमारे फेवर में यह यह छापो अधिक विज्ञापन तुम को दिये जायंगे लेकिन जो अखबार उनकी चाटुकारिता नहीं करते तो उसको कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता। पिलग्रीम को कौन जानता है? उसको सैकड़ों रुपये के विज्ञापन दिये जा रहे हैं लेकिन जो जनता के स्पष्ट विचारों को छापते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता।

इसके अतिरिक्त जिलों में सूचना अधिकारी हैं, उनका क्या काम है। वह कलेक्टरों के यहां हाजिरी देते हैं और मंत्रियों की तसवीरें छपवाते हैं। अगर सही मानों में वह चाहते हैं कि काम ठीक से चलें और यह आफिसर्स ठीक काम करें तो जो विभिन्न जलसे होते हैं प्रदेश में और आल इंडिया बेसिस पर उनके भी साथ जायें और जो वे कार्यकलाप करते हैं उनका भी प्रचार हो। केवल एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार कराते हैं तो इस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग होता है। आज इस विभाग को खुले लगभग १७-१८ वर्ष हो गये हैं परन्तु इस विभाग के कार्यों को देखते हुए कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में यह नहीं कहेगा कि इस के धन का दुरुपयोग नहीं होता है और इस विभाग में अत्याचार नहीं होता है। कुछ लोग मंत्रियों की चापलूसी में लगे हुए हैं, चन्द अखबारों को खरीद लिया जाता है और कुछ को अपनी पाकेट में रख लिया जाता है। इस विभाग में कितने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, माननीय शांतिप्रपन्न जी को मालूम नहीं है। इस विभाग में अधिकतर शराब बाजी करने वाले अफसर हैं। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि गिरे से गिरे अफसर इस विभाग में हैं और उनकी तरफ मंत्री जी को ध्यान रखना होगा और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें इस महकमे से खारिज करना होगा। जिलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम ऐसे किए जायं कि जिनमें जनता जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस अनुदान की मांग इस सदन से की गयी है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह खयाल है कि आज दुनिया में प्रचार और प्रोपेगेन्डा एक पांचवां आर्म कहलाता है। उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जनता में जागरूकता पैदा करने में, और लोगों को प्रदेश और देश की समस्याओं के बारे में अवगत कराने में, और उन आने वाले कामों से लोगों को तैयार करने में। मैं नहीं जानता कि यह सब मंजूर करेंगे कि हमारा इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट अभी उस बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो उसके लिए नये थिंकिंग की जरूरत है और अगर उसमें रुपये की ज्यादा जरूरत है तो इस सदन को गुरेज नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में भी ज्यादा जरूरत होती है, प्रचार की। जनतंत्र और टोटेलिटेरियनिज्म में एक ही फर्क होता है। टोटेलिटेरियनिज्म में लोगों को अख्तियार नहीं होता है सरकार की नीतियों के विरुद्ध वातावरण पैदा करने का। जनतंत्र में लोगों को अधिकार है कि वे सरकार के खिलाफ भी आवाज पैदा करवा दें, उनकी पालिसी को बदलवायें। जब यह अधिकार है तो सरकार की मशीनरी द्वारा सरकार का प्रचार इस ढंग से होना चाहिए कि अगर कोई लोग ना ना करते हैं तो वे भी हां हां कर सकें, सही दिल से प्रचार करवा सकते हैं। इसलिए जितने भी प्रचार के साधन हैं उनको व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिए।

आज साहित्य एक मुख्य साधन है। इसके अलावा अखबार है, सिनेमा एक मुख्य साधन है, कल्चरल ऐक्टिविटीज भी हैं, सांस्कृतिक चीजें भी हैं, उनके द्वारा हमें प्रचार करना चाहिए ताकि गांवों तक हमारी आवाज पहुंच सके और अच्छे ढंग से विचार भी पहुंच सकें और साथ ही मनोरंजन भी हो सके। अगर हम अपने साधनों को इन्टेग्रेट करके लोगों के दिल और दिमागों में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं तो कुछ भी रुपया इसमें मांगें उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। रुपया किस तरह से इस्तेमाल होता है और किस किस्म की भावना में उस रुपये को हम इस्तेमाल में लाते हैं, यह हमें देखना है। अगर हम ज्यादा खर्च गलत ढंग से करते हैं तो वह ज्यादा रुपया बजाय फायदा करने के नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि एक तरफ रुपये को बढ़ायें, और दूसरी तरफ उस रुपये को इस्तेमाल करने के तरीकों को सोचें जिससे हमारे समाज में लोगों के अन्दर प्रेरणा पैदा हो, उत्साह पैदा हो, और देश में गरीबी न आये। मैं बहुत सी बातों को जानता नहीं हूं लेकिन इस समय मैं एक अजीब पोजीशन में हूं। चूंकि मिनिस्टर रहने के बाद आदमी बड़ा गुनहगार हो जाता है, लोग एकदम कह सकते हैं, कल ये मिनिस्टर थे, और आज ये ऐसी बातें कहने लगे, इसलिए मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता हूं। (व्यवधान) मैं अपने ढंग से चीजों को रखता हूं और जब मौका होता है, तब कहता हूं, लेकिन म इस समय इतना कहना चाहता हूं कि चाहे ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अगर यह मान लिया जाय कि यह खयाल जोर पकड़ता है कि हम ठीक ढंग से अच्छी ओर नहीं जा रहे हैं, अगर ऐसा खयाल लोगों का हो जाता है, तो हमारा सब करा कराया बेकार हो जाता है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात होती है, तो उसे कम करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए और अगर नहीं होती है तो, बहुत अच्छी बात है, गलत काम नहीं होना चाहिए।

अगर अखबारों को कंट्रोल करने का तरीका प्रलोभन के जरिये, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, किसी डेमाक्रेटिक सरकार में अख्तियार किया जाता है, तो उसका अंजाम बुरा होता है। उस पर सरकार की सही निगाह रहनी चाहिए कि प्रचार सही होना चाहिए, चाहे धीमा भले ही हो, क्योंकि सही प्रचार जनता पर असर करता है और गलत प्रचार कितना भी तेज हो वह ठीक नहीं होता है। जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्लुक है इस मुहकमे का नाम मुहकमा इत्तलाआत है, मेरे लिए एक ही मियार हो सकता है कि इस विभाग ने क्या काम किये हैं, जिससे सूबे की इत्तलाआत बढ़ी है और कौन सा ऐसा लिटलेचर निकाला है, जिससे सूबे के लोगों का रुझान बढ़ा है। अभी मुझे बतलाया गया है और डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया कि उनके मुहकमे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के जरिये एक किताब छपी है, जिसका नाम है वाजिद अली शाह का कत्ल। मेरा खयाल यह है कि इस मुहकमे के जरिये और भी बहुत सी किताबें छपी होंगी, लेकिन इस खराब किताब का जिक्र करना जरूरी नहीं था, इसलिए कि इस किताब की चर्चा ही आपका जायका बतलाती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आइन्दा इस मुहकमें के जरिये अच्छा मैटेरियल निकाला जायगा।

आपको मालूम होगा कि जब चाइना ने हमारे देश पर हमला किया तो इस देश के अन्दर जो पराजय और हार का वातावरण पैदा किया वह पढ़े लिखे लोगों ने ही पैदा किया था। लोगों को पता नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हमारी फौज के पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, इसलिए हमारी हार हुई। जिन लोगों ने ऐसे लेक्चर्स दिये हैं उनसे ज्यादा बुरा काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि देश का मारल गिराना बहुती बुरी बात है।

आज हर विभाग का अलग-अलग सूचना विभाग है और ऐसा सिस्टम है, कि इनमें कोई विभाग दूसरे विभाग को हाथ नहीं लगाने देता है। इसका नतीजा यह होता है कि हर विभाग अपने आंकड़े छापता है और अपोजीशन उनसे अपने नतीजे निकालता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमारी पब्लिसिटी सेन्ट्रलाइज होनी चाहिये। उसका कोई डाइरेक्शन होना चाहिये। उसके पीछे नक्शा होना चाहिये। इसलिए लाजिमी है कि हमारे मुहकमे में जो आदमी हों, उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिये, क्योंकि यह एक बड़ा टेक्निकल विभाग है, प्रोपेगैन्डे का काम साधारण नहीं है। जो काम फौजें नहीं कर सकती हैं, वह आपका प्रोपेगैन्डा कर सकता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमारे इस विभाग में ट्रेन्ड आदमी होना चाहिये।

मैं एक लफ्ज कहे देता हूं, उससे नाराजगी भले ही हो जाय। हमारे विभाग में यह खयाल पैदा हो गया है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन वह इस विभाग के लिए निकम्मा होता है, क्योंकि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उस में ऐडमिनिस्ट्रेटर काम नहीं कर सकता है। टेक्निकल काम में इनको नहीं लाना चाहिये। ऐडमिनिस्ट्रेटर बी० ए०, एम० ए० पास करने के बाद सर्विस में आते हैं, इस के बाद पढ़ते लिखते नहीं हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटर के लिए यह समझा जाता है कि यह एक स्पेशलाइज आदमी है, इसको कुछ भी बनाया जा सकता है। यह एक ऐसी चीज समझी जाती है जैसे कि होमियोपैथिक में एक दवा होती है--स्टेसिक, उसको किसी भी बीमारी में काम में लाया जा सकता है। उसी तरह से इन्फार्मेशन एक हाई टेकनिकल डिपार्टमेंट है, इसलिए इसके लिए सोचना होगा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर जो यहां रखा जाय, उसका रुझान क्या है। जो आज नीचे से ऊपर तक पालिसी चल रही है, इसे बन्द करना होगा। आप को अपने इस सिस्टम को बदलना होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से इस विभाग में एक नया ताजा खयाल डाला जाय, इस में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिये। अगर इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट अच्छा होगा, तो हर गवर्नमेंट के लिए मौजूं मशीनरी होगी। आपोजीशन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यह डिपार्टमेंट बड़ा एफिशियेन्ट होना चाहिये। इसका सरकारी नीति में अटूट विश्वास होना चाहिये और जनता तक पहुंचाने की काबलियत होनी चाहिये। जो मांग आपने पेश की है, उसको देने में किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिये। जो त्रुटियां, कमियां हम को दिखायी दी हैं, उस की ओर हम ने आपका ध्यान दिलाया है। मैं आशा करता हूं कि जिस स्प्रिट से मैं ने बात कही है, आप उसे उसी स्प्रिट में लेंगे और जो बात माकूल पायेंगे, उस को रख लेंगे, और जो निकम्मी बात पायेंगे, उस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं।

*श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कटौती का प्रस्ताव जो पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। मैं यह नहीं सोच पाया कि मन्त्री जी ने जो ग्रान्ट मांगी है, वह किस लिए मांगी है? इस विभाग की एक कहानी है, जैसे पुरानी कहावत है कि गांव के कुछ मूर्ख आदमी एक धर्मशाला में आकर ठहर गये, जब सुबह उठकर चलने लगे, तो उन्होंने कहा कि पहले गिनती कर लो। जो

[श्री विजयपाल सिंह]

गिनने लगा, तो उसने अपने को छोड़ दिया और कहा कि कुल १९ आदमी हैं, एक आदमी खो गया है। दूसरे ने गिना तो उस ने भी ऐसा किया। इसी प्रकार से सूचना विभाग दावा करता है कि वह जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, वह सूचना देता है और लेता है, लेकिन अगर यह पूछा जाय कि इस विभाग को कोई जानता है या नहीं, तो गांव के आदमी तो दूर रहे, एक तिहाई एम० एल० एज० भी इस विभाग को नहीं जानते हैं। मैं यह कहूं कि माननीया मुख्य मन्त्री जो इस विभाग की मन्त्री हैं, वह बहुत ईमानदार हैं, मुझे यकीन है कि झूठ नहीं बोलेंगी, मैं उन से अगर पूछूं कि इस विभाग का कौन सा अखबार निकलता है, कौन सी किताब इस विभाग की छपी है? तो वह नहीं बतला सकती हैं। आप कोई उसका अखबार पढ़ती हैं या नहीं, तो शायद नहीं पढ़ती होंगी। मन्त्री जी को पता नहीं कि इस विभाग की क्या जिम्मेदारी है? मन्त्री जी ने अपने आप को बचा लिया और डिप्टी मिनिस्टर साहब को फंसा दिया और खुद उठ कर चल दीं।

इस विभाग की जिम्मेदारी यह थी कि आप की सरकार का सब से पहला लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है इसलिये वह उसके सम्बन्ध में कोई किताब छापता। कोई किताब आपने इस सम्बन्ध में छापी है जिस में समाजवाद की रूपरेखा बतलायी गयी हो? आपके यहां छपता क्या है "कव्वाली"। कव्वाली मैं पसन्द करता हूं, लेकिन मुख्य काम करने के बाद कव्वाली छापिये। आपके यहां से एक अखबार छपा "रणभेरी" लेकिन उस में भी न समाजवाद के बारे में, न एमर्जेंसी के बारे में कुछ छपा। बहुत दिन तक वह निकला, लेकिन न चलने की वजह से बन्द हो गया।

जिले में सूचना विभाग के सूचना अधिकारी रहते हैं। उनका क्या काम है? जिले में मिनिस्टर महोदय जाते हैं २ फरवरी को, लेकिन सूचना मिलती है ३ फरवरी को। यह विभाग कभी सही सूचना जिले में नहीं दे पाता। अगर अखबार में कोई कटिंग जनहित की हो और सरकार को उसे बतलाने की जरूरत हो, लेकिन सूचना अधिकारी उसे उस में से निकाल कर जिलाधीश की सेवा में पेश नहीं करता। अगर किसी अफसर के खिलाफ सही इल्जाम छापा गया है तो सूचना अधिकारी अखबार वालों के पास जा कर कहता है कि इसका खंडन कर दो, खंडन कर दो। इसके लिए जो रुपया मांगा गया है इस विभाग के सम्बन्ध में, कोई रोशनी नहीं डाली गयी कि इसने क्या किया है? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी सरकार और इतनी बड़ी योजनायें, इस पर कोई किताब आज तक नहीं लिखी गयी। जनता को इस सम्बन्ध में बतलाना सूचना विभाग की जिम्मेदारी है कि यह हमारी योजना है, इन योजनाओं से जनता का लाभ हो सकता है। कुछ प्रधानों के पास कुछ फावड़े तस्वीरों में, पोस्टरों में दिखला दिये गये, लेकिन अन्दर उन में कुछ भी नहीं। इस विभाग को चलाना है तो ठीक से चलाइये। मिनिस्टर साहब बड़े शक्तिशाली हैं। कोई बेरोजगार है, उन्होंने सूचना विभाग में काम दिलवा दिया। जितने बेरोजगार हैं, कल्लू, मल्लू सब को इसमें रख रखा है। कुनबा परस्ती जरूर इस में होती है। मिनिस्टर साहब बहुत भले आदमी हैं, इन चीजों को समझेंगे। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि इस विभाग को ऊंचा उठाने का वह प्रयास करेंगे। ऐसी पुस्तकें यह विभाग छापे जिस से समाजवादी समाज की रचना सम्बन्धी तथा एमर्जेंसी सम्बन्धी बातें जनता तक पहुंच सकें। खाद्य समस्या कैसे हल हो सकती है यह समाचार अखबारों में आते हैं। ऐसे समाचारों की खोज कीजिये जिससे जनता को लाभ पहुंचता हो और इस तरह की खबरों से अखबार चल सकता है। अन्त में निवेदन करूंगा कि फूटी कौड़ी इस विभाग को न दी जाय।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट (जिला बरेली) —

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर विचार करते समय हमारे सामने दो प्रश्न आते हैं। एक तो सूचना विभाग की आवश्यकता क्या है और दूसरे उसने क्या उन अपेक्षाओं की पूर्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जो उस से की जा सकती थी ? जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि किसी भी वेलफेयर स्टेट में सूचना विभाग का एक महत्व है, उस की आवश्यकता है। आज विभिन्न मन्त्रियों के साथ और विभिन्न मन्त्रालयों में अलग-अलग जो सूचना विभाग हैं वह अ व्यय है और अनावश्यक है। सारे मन्त्रियों के साथ अलग-अलग सूचना विभाग का सामंजस्य नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अलग-अलग सूचना के छोटे-छोटे कक्ष न हो कर हम अपने सूचना विभाग को मजबूत बनायें और उस से जो अपेक्षायें हो सकती हैं उन की पूर्ति करने योग्य उसे बनायें।

सूचना विभाग से जो आशायें हम कर सकते थे वे पूरी हुईं या नहीं यह एक सवाल है। मैं भी यह मत रखता हूं कि सूचना विभाग जो कार्य करता है और जिस गति से करता है वह हम को कोई दिशा देने में समर्थ नहीं हुआ। सूचना विभाग की कार्य परिधि ऐसी है कि उस में यह समझना कठिन है कि क्या कार्य उन की परिधि के अन्दर है और क्या नहीं है ? परिणाम यह होता है कि जिस विभागाध्यक्ष अथवा विभाग के अधिकारियों की कार्य परिधि महदूद नहीं है वहां पर दुष्परिणाम होते हैं और वह कुछ काम नहीं कर पाते। हमारे जिलों में जो सूचना अधिकारी होते हैं, वे बड़े उपयोगी यन्त्र हो सकते हैं, बशर्ते कि सरकार के यहां से जो निर्देशन होते हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं, उन को प्रतिपादित करने के लिए माध्यम बनाया जाय। लेकिन जो जिला स्तर पर सूचना अधिकारी होते हैं, उन के कार्य इतने असीमित रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि वे क्या करते हैं और उन के क्या कर्त्तव्य हैं। कदाचित् सूचना अधिकारी स्वयं भी नहीं जानते हैं कि उनके क्या कर्त्तव्य हैं। होता यह है कि अगर कोई अच्छा सूचना अधिकारी आ जाता है तो कुछ कार्य होता दिखायी देता है, लेकिन कुछ सूचना अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जो केवल अपनी तनख्वाह लेते रहते हैं और उनका कुछ काम नहीं होता। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सूचना विभाग को वह अपनी नीतियों के लिए एक मजबूत यन्त्र बना सकती है। सूचना विभाग का अपना महत्व है और अगर उसकी नीतियां गलत रही हों तो उन को ठीक किया जा सकता है। मन्त्री जी इन भावनाओं को ध्यान में रख कर उस को नया निर्देशन दे सकते हैं और आज इसकी आवश्यकता है। सूचना विभाग को ऐसा यन्त्र बनाना है कि उन पालिसीज को वह प्रतिपादित करे जिसमें हमारी सरकार का विश्वास हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में बहुत सारी बातें कही गयीं। मैं इस विभाग के एक अंग के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं और वह है हिन्दी समिति। जहां तक मैंने देखा है हिन्दी समिति ने बड़ा कार्य किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों को जन्म दिया है, बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद कर के हिन्दी का बड़ा हित किया है, परन्तु इसी के साथ-साथ यह भी है कि इन को अनुदान मिलता है भारत सरकार से। हमारी सरकार, हिन्दी प्रदेश की सरकार, हिन्दी राज्यभाषा वाली सरकार, हिन्दी समिति के लिए कोई स्थान नहीं रखती है। यह बड़े दुःख की बात है।

सूचना विभाग के अन्य अंगों के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला, उस के पक्ष में और विपक्ष में भी। हां, कमजोरियां हैं इस विभाग में, जैसी कमजोरियां अन्य विभागों में भी है। मन्त्रिगण अपने प्रचार का काम लेते हैं। मन्त्रि लोग अपने नाते रिश्तेदारों को, जैसा कि मेरे भाई साहब ने कहा, रखवाने का इसमें प्रयास करते हैं, लेकिन विभाग बुरा है यह बात मैं नहीं कह सकता। एक भाई ने कुछ व्यक्तिगत आक्षेप किसी के ऊपर किये मेरी राय में वह भी उचित नहीं था। श्रीमन्, पक्षपात की बात मैं आप से थोड़ी सी निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूचना विभाग निष्पक्ष नहीं रहने पाता। इसके बारे में मैं आपसे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

श्रीमन्, बताता हूं सूचना विभाग की ओर से बिना किसी भेद-भाव के सभी पत्र पत्रिकाओं को सरकारी ऐडवरटाइजमेंट मिलने चाहिये, किन्तु श्रीमन्, "पांचजन्य" पत्रिका है, जिसका ४५ हजार के ऊपर प्रकाशन होता है, लेकिन सरकार के यहां वह ब्लैक लिस्टेड है। वह इसलिए कि वह हमारे भाई विजयपाल सिंह के खिलाफ है और हमारी सरकार के उन बिन्दुओं का अन्वेषण करता है, जहां उसकी कमजोरियां हैं। इसलिए उसको कोई सरकारी ऐडवरटाइजमेंट नहीं मिलता। हिन्दुस्तान समाचार को कोई किसी प्रकार का मिलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सरकार के कामों का ढिंढोरा नहीं पीटता और सही बात कहता है।

श्रीमन्, सूचना विभाग का कार्य किस तरह से निष्पक्षता से चल रहा है और किस प्रकार से निष्पक्षता से चलवाया जा रहा है, इस के बारे में मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं। यदि आप देखें, यह सूचना विभाग की एक डायरी बंटी है, सन् १९६५ की, इस के पृष्ठ १९ पर जहां एम० पीज० की लिस्ट दी गयी है उन में आप देखें ३३ नम्बर पर माननीय डांडेकर जी गायब हैं, क्योंकि उस स्थान पर श्री रामरतन गुप्ता का स्थान है। रामरतन गुप्ता का नाम होना आवश्यक था। डांडेकर जी के जीतने के बाद भी—

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह डायरी पहले छप चुकी होगी।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

इस में ३० नवम्बर, १९६४ तक का संशोधन दिया है। यह भूल नहीं, यह संशोधन है। मन्त्री जी संशोधन में भी सरकार ने उचित नहीं समझा कि उनका नाम रखा जाये, क्योंकि डांडेकर जी की वजह से सरकार के बड़े-बड़े अफसरों पर छींटें पड़ीं, हाई कोर्ट ने भी छींटें डालीं, उसने भी फाग खेला सरकार के खिलाफ और सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि वह डांडेकर जी का नाम सूचना विभाग की डायरी में छापे। आज रामरतन गुप्ता का नाम उपस्थित है और कदाचित् उपस्थित रहेगा। यह कहना कि सूचना विभाग की गलती नहीं है, सूचना विभाग की क्या गलती है, सर पर जब एक भूत सवार है, तो सूचना विभाग क्या करे ? सदन के सामने यहां की नहीं, पूरे देश की मैं कहता हूं, स्तर इस समय नीचे आगया है, मनुष्य पैसे के मोल पर सारी चीजें तौल रहा है। हमारे भाई विजयपाल सिंह ने कहा कि यह देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है और सूचना विभाग समाजवाद के प्रसार और प्रचार की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। मैं कहता हूं कि केवल मात्र इस समाजवाद की बलिहारी है कि प्रत्येक मनुष्य के चरित्र का स्तर इतना नीचे हो गया है कि वह हर चीज को पैसे की तुला पर तौलने लगा है। आज जितने सरकारी मुलाजिम हैं, या किसी के मुलाजिम हैं वे केवल पैसा देखते हैं। पैसा मिलता है तो वे मन्त्री जी से प्रसन्न रहते हैं। मन्त्री जी तब प्रसन्न रहेंगे जब मन्त्री जी के पीछे ढोलक बजायी जायगी। वह काम सूचना विभाग करता है। सूचना विभाग के इस काम को मैं गलत नहीं मानता हूं। वह बेचारे तो अपने पेट के लिए काम करते हैं।

जिस समय चीनी आक्रमण हुआ उस समय इस सूचना विभाग ने बड़ा श्लाघ्य काम किया। मैं उसकी स्तुति करता हूं कि इस विभाग ने कम्युनिस्टों की पोल खोली। यह आवश्यक था। इसीलिए लोग इस तरह से ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि वह समाजवाद का प्रचार नहीं करता। अगर समाजवाद का प्रचार करना है तो मैं कहूंगा कि सामने बैठने वाले, थोड़ी दूर पर हैं उनको लाल गुलाब लगा दीजिये तो दोनों एक हो जायेंगे। यदि समाजवाद के प्रचार के लिए सूचना विभाग बनाना है तो मैं यह कहूंगा कि इस विभाग को यदि कल तोड़ना चाहें तो आज ही तोड़ दीजिये। यदि सूचना विभाग देश के हित के लिए बनाया गया है तो वह अवश्य ही स्थिर रहना चाहिये। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अब आप सूचना विभाग से हिन्दी प्रचार का भी काम लें क्योंकि हिन्दी के लिए आपने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार १५ साल से कुम्भकर्णी

निद्रा में सोयी हुयी है तो इस सूचना विभाग से उसको जोड़िये और अगर नहीं जोड़ते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसको एक पैसा भी न दिया जाय।

*श्री रामायण राय—

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस महत्व के अनुदान पर जो भी विचार मुझे अब तक सुनने को मिले, उन्हें सुन कर मेरे जैसे आदमी को काफी निराशा हुई। मैं यह अपेक्षा करता था कि सूचना विभाग के कार्य-कलाप की समीक्षा करते समय माननीय सदन के सदस्य इस बात की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि जिन चीजों की हम सूचना विभाग से अपेक्षा करते थे, जिन चीजों को हम जन-मानस में उतारना चाहते थे, जिन भावनाओं का प्रचार करना चाहते थे, उन विचार और उन भावनाओं के प्रचार में यह विभाग कहां तक सफल हुआ है। मान्यवर, उधर बैठने वाले हमारे एक विद्वान मित्र ने इस अनुदान पर बोलते हुये सदन में केवल इस बात को कहा कि अमुक संचालक या उपसंचालक महोदय अमुक वेश्या के कोठे पर पकड़े गये तो मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। मैं ऐसा समझता था कि उन के द्वारा जब इस विभाग के विषय में विचार व्यक्त किये जायेंगे तो इस विभाग के कार्यों की ही चर्चा करेंगे। हम में से किसी ने यह कहा नहीं है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, हम में से प्रत्येक को यह ज्ञात है और प्रत्येक को ऐसा विश्वास है कि एक ऐसे मुल्क में, कि जिस मुल्क में अधिक लोग अशिक्षित रहते हों, जिस मुल्क में नये-नये जीवन मूल्यों का प्रचार करना चाहते हों, सूचना विभाग जैसा विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने, जो हमारे दल से सम्बन्धित हैं और जिन के विचारों का हम बड़ा आदर करते हैं, उन्होंने यह कहा कि सूचना विभाग में विशेषज्ञ का अभाव है और इसका संचालक ऐसा कोई विशेषज्ञ होना चाहिये। मैं उन से आग्रह करते हुये यह कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञ और प्रशासक के बीच क्या खाई होनी चाहिये, उन के क्या सम्बन्ध होने चाहिये, और किन स्थानों पर विशेषज्ञ को महत्व दिया जाना चाहिये और कहां पर प्रशासक को महत्व दिया जाना चाहिये, इस बात को हम ने पूर्णरूप से अनुभव नहीं किया। क्या हम नहीं जानते हैं कि जहां विशेषज्ञों का प्रशासन होता है वहां वह अपने विभागों से अलग नहीं हट पाते। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि उस में डिपार्टमेन्टलिज्म होता है, विभागीयता होती है। वह जिन विचारों का विशेषज्ञ होता है, उन विचारों के बाहर देखने में वह सर्वथा असमर्थ होता है। सूचना विभाग जैसा विभाग, जिस के जिम्मे हमने बहुत से काम दे रखे हैं, उस के संचालक का दायित्व सचमुच मेरी राय में एक कुशल प्रशासक के हाथ में होना चाहिये। यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है।

मैं आप के माध्यम से माननीय कम्युनिस्ट सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस समय वे इस विभाग की चर्चा कर रहे थे, वे भूल गये कि हमारे देश में उन के दल की ओर से सोवियत भूमि जैसा साहित्य प्रसारित किया जाता है। रूस में छपा हुआ यह साहित्य सस्ती बाइबिल की तरह से इस देश के नगर नगर में और गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और हमारी सरकार जनता में उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि कोई प्रेरणा उत्पन्न करना चाहती है और इस विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है तो उसके लिए वह कहते हैं कि यह विभाग केवल मन्त्रियों के मनोरंजन का काम किया करता है।

मैं आप के माध्यम से कुंवर श्रीपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हम केवल गेहूं नहीं पैदा करना चाहते। हमारा आदर्श केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है। हम जनता की आर्थिक आवश्यकताओं के साथ-साथ जन मानस में ऊंचे विचारों को भी उभाड़ना चाहते हैं और इस महत्व के काम के लिए हमारा एक मात्र यह सूचना विभाग काम करता है। वह स्वयं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे देश के सामने जब इमरजेंसी आयी, जब चीन के हमले का प्रश्न हमारे सामने आया उस समय इस विभाग ने बहुत ही महत्व के काम किये। ऐसे ही वह देखेंगे कि इस विभाग द्वारा जो प्रकाशन हुये हैं वे महत्वपूर्ण हैं।

एक साहब ने कहा कि उन में केवल अवध के नवाबों की कहानी ही छापी गयी है। एक अन्य माननीय सदस्य ने जिनकी विद्वता की छाप इस सदन पर पड़ी है, अगर देखा होता तो वे ऐसी बात न कहते और उन को वह सब देखने से ज्ञात होता कि एक ऐसे अवसर पर जब हम इम्मोशनल इन्टेगरिटी की बात कर रहे थे, इस विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि हमने विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का और विभिन्न विषयों का इस में प्रकाशन किया है तो हम ने प्रचार विभाग के जिम्मे जो काम दिया था उस में कुछ योगदान ही किया है और इस कार्य में हम पीछे नहीं रहे हैं। मैं उन माननीय सदस्यों की राय से जरूर सहमत हूं जो यह कहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के पास जितना धन होना चाहिये था वह उस को नहीं दिया गया। मैं स्वयं इस राय का हूं कि इस विभाग के कन्धों पर जो भार आपने डाला है उस के लिए धन सर्वथा अपर्याप्त है। इस लिए कटौती का प्रस्ताव लाने वाले महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस अनुदान पर कम से कम इस विभाग के महत्व को देखते हुये वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें और अन्त में इस अनुदान की आड़ में पत्रकार बंधुओं पर जो छींटाकशी की गयी है, मैं ऐसा समझता हूं कि हमें ऐसा करने का कदापि हक हासिल नहीं था।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि कुछ पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते, कुछ के साथ पक्षपात किया जाता है। यदि हम इस बात को दृष्टिगत रखें कि हम एक सीमा के भीतर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो जो भी समाचार पत्र उन विचारों के विपरीत होंगे, विपक्षी होंगे, उन विचारों को तोड़ना चाहते होंगे, उन्हें यह विभाग कदापि विज्ञापन देने का दुस्साहस नहीं करेगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप के पास समय नहीं है तो ५ मिनट के बजाय ४ मिनट कर दीजिये, लेकिन बोलने का समय हर एक को दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, आप से यह निवेदन करना है कि ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, सूचना निदेशालय के लिये ६२,७४,३०० रुपये की मांग १९६४–६५ के लिये की गयी है और उसके विरोध में माननीय विरोधी तथा सरकारी पक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। यहां पर सभी माननीय सदस्यों के विचारों में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं मालूम होती। सूचना विभाग का लगभग ५० प्रतिशत पैसा निदेशक सूचना विभाग के डिस्क्रीशन पर खर्च होता है। मंत्रियों की झूठी प्रशंसा करके उनको आसमान पर चढ़ाने में, सारा पैसा खर्च होता है। जो नवीन पत्रकार अपने करेक्टर को मजबूत बनाये हुये हैं उनको डीमारेलाइज किया जाता है। प्रेस क्लब के अन्दर क्या नहीं होता? वहां पर रमी और फ्लश होती है। सूचना विभाग के अधिकारी जानबूझ कर २०/३० रुपये हार जाते हैं और इस प्रकार उनको खुश किया जाता है, जिनको यह खुश करना चाहते हैं, वहां पर ड्रिंक भी करते हैं, और भी आगे ऐसी बातें होती

हैं जिनको कहने में शर्म आती है । इसलिये यह सूचना विभाग अपने कार्य से बहुत दूर जा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

बस दो मिनट में आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं । मुझे कुछ समय अधिक दिया जाय ।

अभी माननीय सी० बी० गुप्ता, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर द्वारा आगरा में एक होटल क्लार्क सीराज का उद्घाटन हुआ था, उसमें इस विभाग के कुछ अधिकारी भी गये थे । पुलिस ने उन अधिकारियों को बुरी हालत में शराब पिये हुये पाया था और उसका समाचार वहीं के स्थानीय पत्रों में छपा तथा नेशनलहेराल्ड तथा जागरण में ८-१-६५ को छपा भी था । प्रमुख पत्रकारों को रुपया देने की बात भी अखबारों में, नेशनल हेराल्ड में २१-११-६४ को और २९-११-६४ को छप चुकी है । सुरेशचन्द्र जोशी द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत भी जागरण में २०-१०-६४ को छप चुकी है । यही नहीं, अभी एक प्रेस सम्मेलन लखनऊ के बजाय नैनीताल में किया गया । इस विभाग के तमाम अधिकारी नैनीताल पहुंचे । वहां इसलिये किया गया ताकि वहां पर अच्छी तरह से उनको इन्टरटेन किया जा सके । जनता की सच्ची आवाज को दबाने के लिये इस विभाग का रुपया इस्तेमाल होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विभाग को समाप्त कर देना चाहिये और कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिससे भिन्न-भिन्न विभागों का अपना पृथक सूचना निदेशालय हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिये । अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे, उनको २-३ मिनट ही मिलेंगे ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, इसलिये मैं एक दो बात कहना चाहूंगा । मेरा खयाल है कि इस विभाग को और ज्यादा रुपया मिलना चाहिये । मान्यवर, आज हमारी सीमाओं पर जो स्थिति है, उसको देखते हुये हमें अपने समाज में जिस प्रकार का प्रचार करना चाहिये, अपनी योजनाओं तथा उत्पादन आदि के संबंध में जो प्रचार होना चाहिये, उस सब के लिये इस विभाग की अत्यन्त आवश्यकता है, । छात्रों के अन्दर भी उनके चरित्र निर्माण आदि की ओर, प्रचार द्वारा, यह विभाग महत्वपूर्ण काम कर सकता है । श्रीमन्, इसलिये मैं इस विभाग को अधिक पैसा देने की वकालत करता हूं कि आज इस विभाग द्वारा ही अगर सही पूछा जाय, जितनी योजनायें चल रही हैं और जितने प्रगति सम्बन्धी काम हैं, सरकार की टैक्स नीति आदि का प्रचार होना चाहिये और इस विभाग को जनता की तकलीफों को भी सम्बन्धित अधिकारियों के पास डायरेक्ट रूप में न सही इन्डायरेक्ट तरीके से ही या दूसरे विभागीय अधिकारियों की चैनल से पहुंचाना चाहिये । इस विभाग को प्रचारात्मक न बनाकर सक्रिय बनना चाहिये जिससे इस विभाग का काम विध्वंसात्मक न रहकर रचनात्मक हो जाय ।

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि कुछ लोग यह कहते हैं कि प्रेस क्लब में यह गड़बड़ और वह गड़बड़ होती है—वगैरह-वगैरह । इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आती है कि "बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न पाया कोय," और अन्त में यह बात आती है कि "इससे बुरा न कोय' । इस विभाग के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव ही आने चाहिये और व्यर्थ के लांछन आदि नहीं आने चाहिये । इससे कुछ लाभ नहीं होता । इस विभाग की उपयोगिता को देखते हुये मेरी तो यही धारणा दृढ़ होती है कि इस विभाग को मजबूत बनाया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री उग्रसेन—

अभी अभी इस विषय पर काफी माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपनी बातें कहीं । श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार के शस्त्रागार का यह हथियार अपना काम नहीं कर रहा है । मेरा कहना यह है कि यह वह विभाग है जिसके द्वारा प्रदेश की जनता में सरकार और जनता की बातों की सूचना कराई जाय, पर यह अपना काम नहीं कर रहा है । तो यह विभाग क्यों पड़ा हुआ है । माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि उधर के लोग कहते हैं कि पैसा देना चाहिये । ज्यादा पैसे से इनके बहलावा और टहलाव की वृत्ति को बढ़ाया जाय । माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा भी ठीक ही कर रहे हैं । असली कांग्रेस तो गांधी जी के साथ ही चली गई । भुवनेश्वर टाइप कांग्रेस जवाहरलाल के साथ चली गई । अब आज जो कांग्रेस पार्टी बैठी है ये तो मौजकरण पार्टी बैठी है । यह कांग्रेस पार्टी तो रोज नहीं आयेगी । मैं इनकी एय्याशी पर जोर देता हूं । इन्होंने तो वाजिद अली शाह का नाम व काम किया है । मैं इन्हें बेगम हजरत महल का नाम सुनाता हूं जो नैपाल चली गईं । मैं तो बेगम हजरत महल की परम्परा की बात कहता हूं । छपाई में एय्याशी बरती जाती है ।

एक पुस्तिका "उत्तर प्रदेश चतुर्थ पंचवर्षीय योजना" को ही देखिये । अगर इसके टाइटिल पर इतना बढ़िया चिकना कागज न लगाया जाता तो क्या योजनाओं का दिग्दर्शन न होता ? इसी तरह सूचना विभाग की एक किताब 'अनमोल बोल' है । आप उसका मुलाहिजा फरमाईये । ये सूचना विभाग वाले कितने निरक्षर भट्टाचार्य हैं कि उसमें लिखा है कि "इस हिन्दुस्तान का ३६ करोड़ का खानदान है ।" हिन्दुस्तान की आबादी ३६ करोड़ है, इनकी मूर्खताओं का परिचय देखिये । इन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं और फिर ऊपर लिखा है "अन्धकार से प्रकाश, प्रगति के १० वर्ष" । मैं कहता हूं अन्धकार से प्रकाश की ओर। फिर, इसके जरा आंकड़े भी देखें । ये हैं कि १७.६ को तो इन्होंने साक्षर बनाया है और हिन्दुस्तान की सरकार ने २४ प्रतिशत बनाया है, जैसा कि अभी छागला साहेब ने कहा था । कुछ छलांगें और खाइयां हैं । क्या तमाशा कर रहे हैं ? मेरा कहना है कि आप सूचना विभाग को एक दम से ठीक करने की कृपा करें ताकि यह जनता की कुछ सेवा असली मानों में कर सके; वरना इसे आप खत्म करके जनता के पैसे को नष्ट होने से बचावें । यह पैसा किसी अच्छे काम में लगाया जा सकता है । चीन का पीपुल्स पैकिंग निकलता है, वहां से न्यू चाइना करके एक अखबार निकलता है । रूस का न्यू टाइम्स निकलता है । मैं उन्हें पहले बम्बई में पढ़ा करता था । इन्होंने भी वाहियात कहानियां लिखी हैं । सभी पत्रकारों को आप घर ले जाइये । हम लोग जो बोलते हैं तो एक लाइन ही छपती है । नेशनल हैराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खोला । मैं अंग्रेजी ज्यादा नहीं पढ़ा था । ८ वें क्लास में पढ़ता था । जिस दिन पहले वह छपा तो उसका सम्पादकीय मैंने पढ़ने की कोशिश की । एक मास्टर से पढ़वाया । मैं कहता हूं कि इनका पेपर है नेशनल हैराल्ड, उसे भी ये ठीक से नहीं देते हैं । एक रवीन्द्रालय बना है १५ लाख का । मैं सुनता हूं कि माननीय चन्द्रभानु गुप्ताजी उसे हड़प लिये हैं । वह कहते हैं कि वह मोती लाल नेहरू सोसाइटी का है, गवर्नमेन्ट का नहीं है । उग्रसेन कुछ कहें तो मार खायें । तमसो मा ज्योतिर्गमय, कहीं लिखा है । उसे मिटा दीजिये, नहीं तो सचमुच कुछ प्रकाश लाइये । मंत्री जी हमारे बड़े मित्र हैं । उन्होंने कहा चलो रवीन्द्रालय में । मैं गया और वहां कव्वाली पार्टी जो आयी थी उसे देखा । वह संगीत नहीं था, संगीत की हत्या थी । यह सूचना विभाग सरकार का मनोरंजन विभाग मौजकरण पार्टी के तदनुरूप है । इसलिये मैं मंत्री जी से कहता हूं कि इसमें कुछ दम लाइये वरना खत्म कीजिये । ठाकुर सिंह हमारे मित्र हैं । आप हमें बच्चों की तरह भुलावा न दीजिये । अगर सूचना विभाग को आप ठीक नहीं कर सकते तो हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया ।

जो बातें मैंने रखी हैं मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उनका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। मंत्री जी से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सचमुच जो कमियां इस विभाग में हम लोगों ने बताई हैं उनको दूर करने के लिये वे क्रान्तिकारी कदम उठावें । एक तो हिन्दी समिति के बारे में मुझे कहना है कि उसने काम अच्छा किया है और इससे भी अच्छा कार्य कर सकती है । लेकिन इसमें जो पक्षपात फैल रहा है उससे आप इसे बचाइये । एक दृष्टि से उसका काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है । जैसा अभी भाई जगदीश शरण जी ने कहा कि यह विभाग कोई नयी दिशा देने में समर्थ नहीं हुआ है । जो उद्देश्य इस विभाग का था उसको प्राप्त करने में यह विभाग पूर्णतया असमर्थ रहा है । इस बारे में मैं मंत्री जी से आशा करूंगा कि वे हम लोगों को आश्वस्त करें कि अगले वर्ष यह विभाग कुछ अच्छा काम करेगा ।

रामायण राय जी ने कहा कि ऐसे समाचारपत्रों को जो सरकार की नीति की आलोचना करते हैं, विज्ञापन नहीं देने चाहिये । अगर ऐसा हुआ तो वह लोकतंत्र के लिये अच्छा न होगा । जब वे इधर बैठा करते थे तो वे विश्वास करते थे कि लोकतंत्र के फैलाने में पत्र भी एक बड़े भारी अंग हैं, उनका विकास अवश्य होना चाहिये, लेकिन आज जब वे उधर चले गये हैं वे दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति का ही परिचय दे रहे हैं । यह तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय है जो लोकतंत्र के लिये एक अभिशाप होगी । आवश्यक है कि चाहे कोई पत्र सरकार की चाटुकारिता करें अथवा विरोधी भावों का प्रदर्शन करें, उनके साथ समान प्रकार का व्यवहार सरकार की ओर से होना चाहिये । अन्त में मैं आशा करूंगा कि जिन बातों की तरफ इधर से संकेत किया गया है, उनके बारे में मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण अवश्य देंगे ।

*श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विभाग के संबंध में बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये । मुझे तकलीफ भी हुई कि हमारे बहुत से भाइयों ने इस विभाग को उस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से वे जीवन की और चीजों को देखते हैं । खासतौर से सरकार की कमियों को । यद्यपि उसमें सच्चाई थी नहीं और न सच्चाई हो ही सकती है । मुझे एक और भी तकलीफ हुई कि विभाग की चर्चा करते हुए प्रेस क्लब की बात भी कह दी गयी । प्रेस क्लब प्रेस वालों की एक स्वतंत्र संस्था है । हजरतगंज में किसी जगह वह है । वे वहां बैठते हैं, मिलते हैं । यह बात सही है कि कोई अफसर भी उसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसका सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं है । आलोचना भी जिस दृष्टि से की गयी, वह भी अच्छी बात नहीं थी । ऐसा नहीं होना चाहिये था ।

हमारे ऊपर एक दोष यह लगाया गया कि यह विभाग प्रचार का काम करता है सरकारी मंत्रियों और सरकार के कार्यों का । यही तो उसका काम है, इसी काम को उसको करना है और करेगा भी । सरकार का सूचना विभाग कम्युनिस्टों या जनसंघ का प्रचार तो करेगा नहीं । यह बात सही है कि उस विभाग का एक ही काम है और वह काम यह है कि जो सरकार काम करे उस काम को लोगों तक पहुंचा सके । उसका एक अंग यह भी है कि मंत्री भी सरकार के हैं । अगर कहीं सरकार का काम करते हुये किसी मंत्री का भी नाम आ जाता है तो उसके लिये आपको जलन नहीं होनी चाहिये । क्योंकि अगर कहीं आपकी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी या जनसंघ की सरकार हो गयी, जिसकी उम्मीद नहीं है तो अगर उसमें सरकार का प्रचार होगा तो सरकार के साथ ही सरकार के मंत्री का भी प्रचार हो सकता है क्योंकि सरकार और मंत्री एक दूसरे से मिले हुये हैं । मैं समझता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

माननीय गोविन्द सहाय जी का मैं बड़ा कृतज्ञ हूं । उन्होंने कहा कि आज हर पार्टी को यह स्वतंत्रता है कि वह सरकार के खिलाफ, चाहे कोई बात सत्य हो या असत्य हो, उसका प्रचार करे और उसको बढ़ावा दे । तो सरकार के सूचना विभाग का भी यह काम है कि वह इस तरह के मिथ्या प्रचारों का खंडन करे और सही बात लोगों तक पहुंचा सके । मैं इस बात को मानता हूं कि इस बात का प्रचार करने में जो हमारा सूचना विभाग है वह कुछ अंशों में सफल नहीं हुआ है और यही कारण है कि आज सरकार के कामों के बारे में लोगों में कुछ भ्रान्ति है । इस बात को हम सोच रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रचार हो । प्रचार करना भी एक टेक्निकल काम है । हमारे माननीय झारखंडे राय जी, जो उधर बैठे हुये हैं, वे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कोई बात लोगों के दिमाग में डाली जा सकती है । मैं समझता हूं कि इस टेक्निक को उनसे सीख लेना चाहिये । हम चाहते हैं कि इसके लिये एक छोटी सी कमेटी बनावें जो इस बात को देखे कि हमारे विभाग ने जो प्रचार किया है वह लोगों को क्यों नहीं पहुंचता या किस तरह वह लोगों के दिमाग में पहुंचे । इस तरह की हम एक छोटी सी कमेटी बनावेंगे और कुछ दिनों के बाद वह अपनी रिपोर्ट देगी और जो उनके सुझाव होंगे उनको मैं आपके सामने लाऊंगा और आशा है कि आप उसे मंजूर करेंगे ।

एक बात और बड़ी परेशानी में डालने वाली कही गयी जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई । कहा यह गया कि इस विभाग ने सिवा पुस्तकबाजी के और कोई कार्य नहीं किया है । माननीय गोविन्द सहाय जी ने यह बात कही थी । "स्वतंत्र भारत की एक झलक" नामक यह किताब डाक्टर बाबूराम मिश्र द्वारा लिखी गयी है, जिसे आप पढ़ें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि सबसे अच्छी किताबों में से यह किताब है और भी बहुत सी बातों का जिक्र किया गया । एक ने मिसमेयो द्वारा लिखित एक किताब का, जिसके लिये गांधी जी ने सेनेटरी इंस्पेक्टर रिपोर्ट की संज्ञा दी थी (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने किताबों में ५०–६० प्रतिशत छूट देने की बात कही थी और एक तरह से वादा किया था, जिसको उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस तरह की बात सुन कर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि आज तक मुझसे एक भी पुस्तक किसी माननीय सदस्य द्वारा नहीं मांगी गयी तो हम छूट कहां से दे सकते हैं ? आज भी मैं अपने वादे को पूरा करने के लिये तैयार हूं और ५० प्रतिशत छूट देने को तैयार हूं ।

एक बात यह कही गयी कि समाजवाद के ऊपर कोई किताब लिखी ही नहीं गयी । हमारे विभाग में डाक्टर सम्पूर्णानन्द द्वारा लिखित एक किताब है तथा श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित भी एक किताब है जो समाजवाद के ऊपर है । मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ी समाजवाद के ऊपर अथारिटी आज इस देश में कौन दूसरा है और आप यह जानते होंगे कि हमारे विभाग ने इस दिशा में भी काफी अच्छे कदम उठाये हैं । विज्ञापनों के सम्बन्ध में कहा जाता है, लेकिन उस के लिये विभाग में रुपया ही कितना सा है । बहुत थोड़ा रुपया है, उसके लिये हमारे कुछ नियम हैं उन के अनुसार हम कुछ विज्ञप्तियां देते हैं । आप ने अखबार का नाम भी दिया, लेकिन वह हमारे रेगुलर विज्ञापन की लिस्ट में नहीं है । एक दो कैजुअल दे भी दिये तो वह बात दूसरी है ।

यह भी कहा गया कि विभाग में बड़ी भारी कोई ऐय्याशी है । हिन्दी समिति में ३४ लाख रुपया छोड़ा गया, जो रुपया लौट जाता है केन्द्र में जो खर्च होता है उसको छोड़कर । १३ लाख हम खर्च करते हैं अपने जिले के यूनिट्स पर और ११ लाख रुपये के करीब कर्मचारियों का वेतन हो

जाता है, तो यह २३ लाख रुपया निकाल कर यह ९-१० लाख रुपया रह जाता है जिस में मोटर और पेट्रोल आदि सब का व्यय शामिल है, इतने में ही आप को ऐय्याशी नजर आने लगी। मुझे तो वह कहीं नजर नहीं आती, वह बजट में देखकर कोई आइटम बतलाते कि यह गलत है ।

एक भाई ने कहा कि कोई सीक्रेट फंड है जिस से लोगों को पैसा दिया जाता है । आप किताब देख लें और बतायें कि ये फंड कहां हैं और कौन क्या देता है । मैं आदरणीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने एक ही बात कही सबने मिलकर कि इस विभाग को बढ़ाना चाहिये और इस के लिये ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस समय यह सम्भव होगा या नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी बैठी हैं, मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि सदन की इच्छा है कि इस विभाग के काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये थोड़ा अनुदान इसमें बढ़ायें. . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम ने यह नहीं कहा, हम ने कहा कि विभाग तोड़ दिया जाय ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप को तो मिस मेयो की तरह अच्छी चीज दिखती ही नहीं, हर चीज गन्दी नाली ही दिखाई देती है। अच्छी चीज तो आपने जिन्दगी में देखी ही नहीं ।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी बहुत ऊंचे आसन पर हैं, वह बुरी चीज नहीं देखेंगे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप काशीनाथ जी को शिक्षा दें कि वह अच्छी चीज देखें ।

श्री उग्रसेन—

चमन में गुल हैं और गुलों में खार कितने हैं यह तो इतिहास बतायेगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह मांग स्वीकार की जाय ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या आप अपने विभाग को यह आदेश देंगे कि हिन्दी के सरल शब्द इस्तेमाल किये जायं और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक साहित्य की बात है वह तो आप भी मानेंगे कि उस का एक स्तर होना चाहिये, लेकिन जनसाधारण के लिये जो लिफ्लेट आदि छपते हैं उनकी भाषा यह सही है कि ऐसी होनी चाहिये जिसको लोग पढ़ सकें और समझ सकें । इसी प्रकार के आदेश हैं और ऐसा ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ६२,७४,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ मार्च, १९६५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६९ पर)

उत्तर प्रदेश की गोशालाओं में उपलब्ध विभिन्न पशुओं की संख्या

पशुओं की किस्म		१ अप्रैल, १९६३ संख्या	१ अप्रैल, १९६४ संख्या	३१ अक्तूबर, १९६४ संख्या
१—सांड़ ..	..	९९	९६	९५
२—दुधारू गाय	..	६९५	७८५	६०६
३—सूखी गाय	..	१,४०४	१,४३०	१५३७
४—ओसर ..	..	९१९	९७९	८५६
५—नौजवान बछड़े	..	४३४	३७७	४८५
६—एक वर्ष से कम आयु के बच्चे				
(क) नर	..	६८२	५७७	५६०
(ख) मादा	..	७१०	८२०	६९०
७—अन्य ..	..	४	४	९
योग	..	४,९४७	५,०६८	४,८३८

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७३ पर)

विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत हुये व्यय का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम-संख्या	योजना	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	अन्य विवरण
		रु०	रु०	रु० *	*
१	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	५०.६०२	४१.६०३	७.९५७	३१–१२–६५ तक
२	अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना ।	५३.७७८	४७.२३	३३.८०	१८–२–६५ तक
३	मलिन बस्ती निपातन एवं सुधार योजना ।	२.००	०.१३३	१०.००	१८–२–६५ तक
४	ग्राम्य गृह-निर्माण योजना	६.००३	२.५३९	१.१६१६	३१–१–६५ तक

विधान सभा प्रदेश गोवा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ व २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७३–९७४ पर)

उत्तर प्रदेश में विनियमित क्षेत्रों की सूची

उन स्थानों के नाम जो उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम १९५८ के अन्तर्गत विनियमित क्षेत्र घोषित किये गये हैं		कालम (१) में वर्णित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के प्राविधान लागू हैं या नहीं।
१		२
१—लखनऊ	(नगर महापालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू हैं।
२—कानपुर	,,	,,
३—इलाहाबाद	,,	,,
४—वाराणसी	,,	,,
५—आगरा	,,	,,
६—गाजियाबाद	(नगरपालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
७—फिरोजाबाद	,,	,,
८—गोरखपुर	,,	,,
९—सहारनपुर	,,	,,
१०—मुगलसराय	(नगरपालिका मुगलसराय तथा राम नगर का शहरी और उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
११—हरिद्वार	(नगर पालिका हरिद्वार तथा ऋषिकेश का शहरी और उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१२—रुद्रपुर (जिला नैनीताल)	(नोटीफाइड एरिया कमेटी में पड़ने वाला शहरी क्षेत्र)	लागू नहीं है।
१३—पिठौरागढ़	(नगर पालिका का शहरी तथा उसके बाहर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	लागू नहीं है।
१४—गढ़मुक्तेश्वर	(गंगा नदी के पुल के पास का कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	लागू है।
१५—बाजपुर (जिला नैनीताल)	(गांव सभा, बाजपुर में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१६—किछा (जिला नैनीताल)	(किछा गांव सभा में पड़ने वाला ग्रामीण क्षेत्र)	,,
१७—पिपरी (जिला मिर्जापुर)	(रिहान्ड डैम के चारों ओर पड़ने वाला कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	
१८—चोपन (जिला मिर्जापुर)	(चोपन के चारों ओर कुछ ग्रामीण क्षेत्र)	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७५ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	गेहूं (कुइंटलों में)
१	सलोन	३०१.३४
२	महाराज गंज	३४१.२३
३	डीह	१९६.७२
४	हरचन्द्र पुर	५८२.७३
५	डलमऊ	४२६.३५
६	नसीराबाद	४२०.९१
७	जगतपुर	२६४.४७
८	ऊंचाहार	२७५.९६
९	सतावं	६४०.४०
१०	तिलोई	३२६.५६
११	बछरावां	४१९.७६
१२	लालगंज	३६०.५४
१३	खीरी	४३२.००
१४	सरेनी	४०२.७५
१५	सिंहपुर	३३५.५६
१६	राही	६७९.०५
	योग ..	६४०६.३३

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७९ पर)

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किये गये विदेशी गेहूं का विवरण

(आंकड़े टनों में)

		राज्य लेखे पर	पंच महानगरों, मेरठ तथा बरेली नगरों में	आटा मिलों को	योग
जून, १९६४	..	२३,३२७	१७,८५६	३९,७९१	८०,९७४
जुलाई, १९६४	..	३२,८९५	२४,५०८	२४,६७८	८२,०८१
अगस्त, १९६४	..	६२,४८०	२५,२२६	२३,२३२	१,१०,९३८
सितम्बर, १९६४	..	४२,०५२	२५,९१२	२०,३७६	८८,३४०
अक्तूबर, १९६४	..	४६,७५१	२५,७९७	१९,५१२	९२,०६०
नवम्बर, १९६४	..	३६,४३२	२२,९८४	४४,३५२	१,०३,७६८
दिसम्बर, १९६४	..	४३,६७६	२०,८४२	२५,३९२	८९,९१०
जनवरी, १९६५ (३०-१-६५)	..	२१,१७४	१९,०४६	२९,५९२	६९,८१२

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८० पर)

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में ३१ दिसम्बर, १९६४ तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में भूमि संरक्षण का कार्य किया गया है :

जिले का नाम	यूनिट की संख्या	किया गया कार्य (एकड़ों में)
१—आगरा	१	२२,४५१
२—मथुरा	१	२०,५४२
३—मेरठ	१	१०,६५२
४—कानपुर	१	१०,८३८
५—झांसी	१	१७,६१८
६—जालौन (उरई)	१	१८,९५३
७—मिर्जापुर	१	१५,२८१
८—सुल्तानपुर	१	२१,११९
९—प्रतापगढ़	१	११,८४८
१०—इलाहाबाद	१	१०,८५३
११—बांदा	१	५,८८६
१२—इटावा	१	४,१०५
१३—बुलन्दशहर	१	११,९५६
१४—फर्रुखाबाद	१	१२,१०८
१५—सीतापुर	१	६,९४७
१६—फतेहपुर	१	१,२५३०
१७—हमीरपुर (महोबा)	१	८,१२०
१८—वाराणसी	१	१२,७९१
१९—सहारनपुर	१	१,७०२
२०—उन्नाव	१	३,३८३
२१—मुजफ्फरनगर	१	३,३८३
२२—देहरादून	१	१,३१७
२३—टेहरी गढ़वाल	१	१६९
२४—उत्तरकाशी	१	१०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८३ पर)

जिला आजमगढ़ के सीमेंट स्टाकिस्टों की सूची

स्टाकिस्ट का नाम	व्यवसाय का स्थान
१— मेसर्स बद्रीप्रसाद	आजमगढ़
२— ,, बिहारीलाल मदन मोहन	,,
३— ,, वृजलाल अग्रवाल	,,
४— ,, जगदीश प्रसाद अग्रवाल	,,
५— ,, राम बदन व्योपार संघ	,,
६— ,, मदनमोहन हीरालाल	,,
७— ,, बनवारीलाल एण्ड संस	,,
८— ,, राधाकिशन बिमल कुमार	,,
९— ,, रिखाईलाल विन्देश्वरीप्रसाद	,,
१०— ,, आजमगढ़ सीमेंट सप्लाई कं०	,,
११— ,, श्यामलाल	,,
१२— ,, हरीचन्द गुलाब चन्द	,,
१३— ,, बारूराम	,,
१४— ,, रामदास सीताराम	,,
१५— ,, पोद्दार एण्ड संस	,,
१६— ,, प्रहलाद दास एण्ड संस	,,
१७— ,, बारू राम	जीयनपुर
१८— ,, बृजलाल अग्रवाल	,,
१९— डी० सी० डी० एफ० लि०	,,
२०— ,, श्रीमती शैलकुमारी	कैपटनगंज
२१— ,, बैजनाथ प्रसाद	विलारियागंज
२२— ,, किशोरीलाल एण्ड ब्रादर्स, सूरजपुर	सूरजपुर
२३— ,, जगदेव प्रसाद अशोक कुमार	अमिला
२४— ,, अमीर चन्द	मधुबन
२५— ,, जगदेश प्रसाद अशोक कुमार	दोहरी घाट
२६— ,, राम बदन व्योपार संघ	,,
२७— ,, रामेश्वरराम बद्री राम	,,
२८— ,, कन्हैयालाल बद्री-नारायन	,,
२९— ,, अग्रवाल ट्रेडिंग कं०	,,
३०— अक्षय एण्ड संस	,,
३१— ,, डी० सी० डी० एफ० लि०	घोसी
३२— शम्भू नारायण जगदीश प्रसाद	,,
३३— ,, श्यामलाल बद्री प्रसाद	,,
३४— ,, बी० बी० एल० टन्डन	,,
३५— ,, बी० बी० एल० टन्डन	कोपागंज
३६— ,, कपिलदेव तिवारी	,,
३७— ,, शिवराम बिन्द्राबन	,,
३८— ,, बी० बी० एल० टन्डन	मऊ
३९— ,, श्रीनाथ	,,
४०— ,, दानदास हरीदास	,,
४१— ,, मेसर्स शिवदास राम दास	,,
४२— ,, सीताराम रामधनी	,,
४३— ,, बारू राम	,,
४४— ,, कन्हैयालाल	मोहम्दाबाद गोहना

स्टाकिस्ट का नाम	व्यवसाय का स्थान
४५—मेसर्स बारू राम मोहम्दाबाद	गोहना
४६— ,, भूनेश्वर एण्ड कं०	,,
४७— ,, हरीशंकर राधे श्याम	,,
४८—मुरलीधर विशेसर प्रसाद	,,
४९— ,, अग्रवाल एण्ड संस	मुबारकपुर
५०— ,, नन्दलाल गुप्ता	,,
५१— ,, बृजलाल अग्रवाल	बरहलगंज
५२— ,, श्यामलाल	रानी की सराय
५३— ,, हरी चन्द गुलाब चन्द	,,
५४— ,, बारू राम	,,
५५— ,, जीत राम माती भीख	सरायमीर तथा फूलपुर
५६— ,, लक्षमन प्रसाद ज्ञान चन्द	,,
५७— ,, श्रीमती मालती देवी	,,
५८— ,, सीताराम लक्ष्मी नारायन	,,
५९— ,, भिखारी राम साधू	फूलपुर एण्ड सराय मीर
६०— ,, डी० सी० डी० एफ० लि०	,,
६१—मेसर्स रेख चन्द रूप चन्द फूलपुर एण्ड सरायं मीर	
६२— ,, सन्त बख्श सिंह	अहरौला
६३— ,, हरिहर सिंह	मरीनगंज
६४— ,, श्यामलाल	अतरौलिया
६५— ,, श्याम लाल	महानगर
६६— ,, मदन मोहन हीरा लाल	लालगंज
६७— ,, पंडोही राम रामा राम	,,
६८— ,, रामशंकर गुप्ता	,,
६९— ,, बारूराम	थिकमा
७०— ,, मेसर्स बृजलाल	,,
७१— ,, बारू राम	आजमगढ़
७२— ,, कन्हैयालाल बद्री नारायन	अमिला
७३— ,, बृजलाल	चिरैयाकोट
७४— ,, बृजलाल	चंदेशर
७५— ,, बृजलाल	जहांनागंज बाजार
७६— ,, बारूराम	,,
७७— ,, रामदास सीता राम	अतरौलिया बिलसिया
७८— ,, बृजबिहारी लाल टन्डन	मोहम्मदाबाद गोहना

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४२ एल० ए०—१९६५—८६२ ।